झाँसी जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग विकास

एम. फिल.

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता

पाठ्यक्रम की आंशिक पूर्ति हेतु

प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

पर्यवेक्षक

डा० श्रीराम अग्रवाल

उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष

प्रस्तुत कर्ता

साधना दुबे

छात्रा – एम० फिल०

1988 - 89

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी
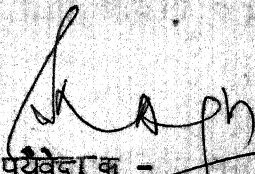
झांसी (उ० प्र०)

प्रमाणित किया जाता है कि कु० साधना दुबे, छात्रा- एम० फिल० ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग, बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झांसी ने " झांसी जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग विकास " पर एक लघु शोध-प्रबंध मेरे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी को एम फिल० उपाधि हेतु अ-पेक्षित किया है ।

अध्ययन कार्य का कोई भी अंश किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस उपाधि हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

पुनश्च, प्रमाणित किया जाता है कि यह अध्ययन कार्य इनके द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया गया है और यह इससे पूर्णतः भिन्न है।

स्थान- झांसी

पर्यवेक्षक -

दिनांक-

-: o :-

भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने पिछले दो दशक के दौरान अभूतपूर्व प्रगति की है। विशेष रूप से उसके औद्योगिक ढांचे में आमूल परिवर्तन हुआ है। परन्तु देश की तीव्र औद्योगीकरण की यह दौर मुख्यत: इकतरफा रहा है। क्योंकि देश का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों से बहुत दूर कृषि के आधुनिकीकरण में भी पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण औद्योगीकरण की तीव्र गति के बिना देश के औद्योगीकरण के प्रयास न तो पूरी तरह से सफल हो सकते हैं और न ही पर्याप्त।

ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में पूंजी तकनीक तथा कुशलता का अभाव सब से महत्वपूर्ण अड़चन के रूप में सामने आता है। ऐसी स्थिति में स्थानिक साधनों, परिस्थितियों तथा पर्यावरण के सन्दर्भ में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास का प्रयास किया जाना समिचिन है।

झांसी जनपद उ०प्र० के आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए संभाग बुन्देलखण्ड क्षेत्र का मुख्य जनपद है। सम्पूर्ण जनपद अपने आर्थिक विशेषताओं के आधार पर पूर्णतया ग्रामीण ही है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता तथा मानव संसाधनों की बाहुल्यता के उपरान्त भी पूंजी तथा कुशलता के अभाव में इसके ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगीकरण के बराबर हुआ है।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध इसी दिशा में झांसी जनपद के ग्रामीण औद्योगीकरण की वर्तमान स्थिति तथा सम्भावनाओं और खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन है।

इस अन्वेष प्रबन्ध को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय-एक : देश का औद्योगिक वातावरण ग्रामीण औद्योगिक, खादी एवं ग्रामोद्योग आवश्यकता एवं महत्व से सम्बन्धित है।

अध्याय- दो : खादी एवं ग्रामोद्योग स्वभाव एवं प्रकार तथा स्थापना एवं संगठन से सम्बन्धित है।

तीसरा-अध्याय : खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास वित्तीय संसाधन कच्चा-माल, तकनीकी सुविधायें एवं प्रशिक्षण विपणन प्रक्रिया, राजकीय सहयोग एवं संरक्षण से सम्बन्धित है।

अध्याय - चार: झाँसी जिला एवं खादी तथा ग्रामोद्योग, झाँसी जिले की भौगोलिक औद्योगीकरण से सम्बन्धित है ।

अध्याय पाँच - के अन्तर्गत झाँसी जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग की समस्यायें, सुझाव एवं उपसंहार प्रस्तुत किया गया है ।

मैं पर्यवेक्षक डा० श्रीराम अग्रवाल, उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष की मैं अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक शोधकार्य में सहयोग और कुशल मार्गदर्शन दिया। साथ ही मैं जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय के अधिकारियों की भी आभारी हूं एवं उनके असीम सहयोग के लिये धन्यवाद देती हूं जिन्होंने व्यस्त समय में भी मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया । प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मिलने वाली सहायता के लिये मैं अपने सभी मित्रों एवं सह-कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं ।

अन्त में , मैं इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण रूप से टंकित(टाइप) करने में कठिन परिश्रम के लिये मैं श्री अरुण दत्तात्रय जोशी की कृतज्ञ हूं ।

-: अनुक्रमणिका -:

पृष्ठ संख्या

-: o :-

अध्याय - एक

देश में औद्योगिक वातावरण

ग्रामीण औद्योगीकरण

खादी एवं ग्रामोद्योग - आवश्यकता एवं महत्व

भारत गावों का देश है यहां ८० प्रतिशत लोग गावों में निवास करते हैं। आज भी ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और उद्योगों के लिये ७० प्रतिशत कच्चा माल तैयार करते हैं। आदिकाल के पत्थर युग को पार करने के बाद देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता जा रहा है। फिर भी हमारी ग्रामीण व संस्कृति नाना प्रकार के घात-प्रत्याघात सहन करने के बाद टिकी हुई है। हमारे देश की प्रकृति, परिस्थिति, और वातावरण भी हमारी प्राचीन ग्राम निर्माण के योजनाकारों का कृतित्व वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारक विज्ञान के योजनाकारों को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती। अतः हमारी राष्ट्र-भक्ति की प्राचीन परम्परा की नींव पर ही नवीन वर्तमान राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण कर उसे हर प्रकार से सुसज्जित तथा ठोस बनाया जा सके तभी हम सुख-शान्ति, ऐश्वर्य और प्रेम तथा भाई-चारे द्वारा विश्व-बन्धुत्व के विचार को साकार करने में समर्थ हो पायेंगे। हमारी ग्राम पुनर्रचना का पाया प्राचीन है और प्राचीन ग्राम्य संगठन के साथ हमारे विचार और कार्य मेल खाते हों वहां आज के परिवर्तनों के अनुसार उसके बाह्य स्वरूप में हमें फेरफार भी करना होगा। प्राचीन परम्परा तथा वर्तमान वातावरण के मिश्रण से ही जीवन बनता है।

हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के इर्द-गिर्द हमारे सारे कार्य घूमते हैं। ऐश व आराम आदि के साधन तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही आते हैं। इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि गोपालन ग्रामोद्योग और बुनियादी तालीम की ठोस योजना के भीतर समा जाती है। उपरोक्त योजनाओं को सुघड़ तथा सुदृढ़ बनाने के बाद ही देश का सही रूप में नव-निर्माण किया जा सकता है। और यही सच्चा बुनियादी रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उसकी मुख्य बाते थी -

१- समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के आवश्यक साधनों का आश्रय मिलना।
२- स्पर्धा और स्वार्थ की प्रवृत्ति को निरंकुश नहीं होने देना और सहयोग की वृद्धि करना।

३- प्रत्येक गांव को इस प्रकार स्वावलम्बी बनाना कि वह अपनी आवश्यकता खुद ही पूरी कर ले और जीवन की मुख्य आवश्यकताओं के लिये परमुखापेक्षी न हो ।

सादा जीवन उच्च विचार जो हमारा प्राचीन आदर्श था उसी का सम्बल लेकर स्वराज्य का उपयोग जनजीवन को प्रभावित करने का था । सारे विभेदक तत्व मिट जायेंगे पर दुर्भाग्य से हमारे सबसे बड़े पथ-प्रदर्शक महा मानव गांधी को अपना बलिदान स्वराज्य की बेदी पर चढ़ाना पड़ा । उसी अन्धकार बेला में बापू के प्रकाश-पुंज को लेकर सन्त विनोबा भावे देश के समक्ष प्रकट हुए और इन्होंने देश को भूदान, ग्रामदान की मृत संजीवनी मंत्र गूंज उठा । पूज्य बापू के रचनात्म कार्यों को सही रूप से विकसित करने के लिये सर्व सेवा संघ बना, उनकी सलाह से सरकार ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बाद में खादी कमीशन का गठन किया, इसका जाल सभी राज्यों में फैलाया गया । देश को नये संविधान के अनुसार राज-काज चलाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाने लगा और सर्वत्र लोकतंत्र की दुहाई दी जाने लगी लोक राज्य का अर्थ है जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा चलाने वाला तंत्र ।

हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में फैलती जा रही केन्द्रित उत्पादन - प्रणाली के कारण गावों में गतिहीनता आ गई थी । गांव की विद्या, बुद्धि कला-कौशल और चातुर्य का लोप होता जा रहा है । जिससे गांव उजाड़ हो रहे हैं । हमें तो स्वराज्य और लोक राज्य भी ग्रामीण पारिवारिक भावना से अधिष्ठित करना होगा ताकि उजड़े गावों को हर प्रकार से स्वाश्रयी तथा परिपुष्ट बनाकर जीवित किया जा सके । हमारी सारी विकास योजनाओं की गति गांव की नींव को पक्की बनाने की होनी चाहिये । जिससे हमारी कृषि गोपालन, बागवानी, खादी - ग्रामोद्योग और बुनियादी तालीम द्वारा प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के द्वारा गावों में नवजीवन का संचार हो सके । ग्रामोद्योग की नींव पर शोषण का अन्त होगा । ग्रामोद्योग ही हमारे स्वराज्य और ग्राम्य जीवन का आधार सिद्ध होगा । वर्षों तर हमारा देश भारत हाथ की बनी वस्तुओं की सुन्दरता एवं सर्वश्रेष्ठता के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैण्ड में जब औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात मशीनी युग प्रारम्भ हुआ तब इनका अस्तित्व ही खतरे

में पड़ गया। कारण कि लोग हाथ की बनी वस्तुओं की अपेक्षा मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करने लगे थे। परिणाम स्वरूप यहाँ हस्त-निर्मित वस्तुओं की कला लगभग समाप्त होने लगी थी, ज्यों-ज्यों मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी त्यों-त्यों हमारे यहाँ ग्रामोद्योग की स्थिति बिगड़ती गई इस स्थिति से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काफी दुःख एवं दुःखी हुए, उनका मानना था कि यदि हमें ग्रामवासियों को कुछ काम देना है तो वह मशीनों के द्वारा सम्भव नहीं है। उनके उद्धार का सही मार्ग तो यही है कि जिन उद्योग-धन्धों को वे अब तक करते चले आ रहे हैं उन्हीं को भलीभांति जीवित किया जावे। यही कारण था कि सन् १९१८ में उन्होंने खादी आन्दोलन देश की आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये चलाया और लोगों से आग्रह किया कि वे केवल - स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें खादी हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आर्थिक उन्नति के लिये गांधी जी खादी वस्त्रों के साथ-साथ ग्रामोद्योगों का भी बड़े पैमाने पर विकास करना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि ग्रामोद्योग को जीवित न किया गया तो खादी की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती।

गांधी जी निर्धनता उन्मूलन के लिये खादी और ग्रामोद्योग दोनों का ही समुचित विकास चाहते थे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगों की इकाइयों को विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के मूल आधार पर सुनियोजित ढंग से स्थापित करके ग्रामीण विकास के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ग्रामीणों को उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग के द्वारा किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांवों में बेरोजगारी अर्ध-बेरोजगारी और गरीबी की समस्या काफी संगीन है। कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के लिये रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु उपर्युक्त ढांचा खड़ा करने की अधिक आवश्यकता है यह मानी हुई बात है कि कृषि न बढ़ते हुए, भूमि ही श्रमिकों को खपा सकती है और जिनको यह मौसमी रोजगार देती है उन्हें पूरे वर्ष तक काम नहीं दे सकती।

गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी दूर करने के लिये आय बढ़ाना आवश्यक है और यह कृषि और उद्योग या यों कहें कि कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्र के बीच एक कड़ी की स्थापना करके किया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या से आज लोग परिचित है। गांव में कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने की अब सीमित क्षमता रह गई है। अत: ऐसे लोगों को स्थानीय रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये खादी ग्रामोद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं इनके माध्यम से कम समय में और अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा जो परम्परागत कारीगर अपने पुराने उपकरणों द्वारा धन्धा कर रहे हैं उनके कौशल में वृद्धि करके तथा उन्हें सुधरे हुए उपकरण दिलाकर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा एक ओर जहाँ रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकते हैं वहीं दूसरी ओर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवनस्तर को ऊँचा करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जा सकता है।

हमारे देश जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश की ग्रामीण जनता को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने में खादी ग्रामोद्योग अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ग्रामोद्योग के लिये विशेष योजनायें बनाना, उद्योग-धन्धों का संगठन करना, खादी ग्रामोद्योगी इकाइयों को आर्थिक प्राविधिक तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता प्रदान करके उनकी उत्पादन एवं बिक्री आदि की समस्याओं का समाधान करना बोर्ड के मुख्य उद्देश्य है बोर्ड इन कार्यों के अलावा गरीब ग्रामीण मजदूरों और बेरोजगार लोगों को छोटे-छोटे विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा रोजगार प्रदान करके उनकी आय के अतिरिक्त साधन जुटाने का भी भरसक प्रयत्न करता है। उन्नतिशील प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित प्रशिक्षण - केन्द्रों ऋण अदायगी के नियमों ग्रामोद्योगीकरण की सम्भावनाओं व नवीन कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।

शक्ति चलित करघा समेत आधुनिक लघु स्तरीय उद्योग का बिखराव कम है क्योंकि ये विकसित राज्यों के कुछ शहरीकृत क्षेत्रों में केन्द्रित है पारम्परिक उद्योग की प्रकृति

ग्रामीण व अर्धशहरी होती है, ये रोजगार सृजन करते हैं। आय बढ़ाते हैं। गावों की कौशल और कला की रक्षा करते हैं। खादी ग्रामोद्योग ही एक ऐसा प्रस्ताव है जो लाखों ग्रामवासियों को रोजगार दे सकता है। यह हमारे हर ग्रामवासी को उसके खेत कुटिया या कारखानों में कार्य प्रदान करती रहेगी भारत सरकार ने गांधीजी के विचार के अनुसार १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में ग्रामीण कुटीर उद्योगों की आवश्यकता एवं महत्ता को मान्यता प्रदान की गई।

खादी के अन्तर्गत एक व्यक्ति को रोजगार देने में ५०००रुपये और ग्रामोद्योग में लगभग १००००रुपये की लागत आती है। भारत सरकार ने जुलाई १९८७ में खादी और ग्रामोद्योग समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अधिनियम में संशोधन किया। इसके अनुसार १०,००० या अन्य निर्धारित किसी जनसंख्या वाले ग्राम में स्थापित कोई भी ग्रामोद्योग जो और विद्युत या विद्युत के साथ किसी वस्तु का उत्पादन करता है या सेवा प्रदान करता है वह खादी ग्रामोद्योग से सहायता पाने का पात्र होगा। छठी योजना के अन्त में रोजगार प्राप्त लोगों की कुल संख्या ३७. ८६ लाख थी।

खादी और ग्रामोद्योग इस वक्त लगभग २ करोड़ व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में रोजगार उपलब्ध करा रहा है।

वर्ष १९८०-८१ में ५६७६ इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी जिनके माध्यम से ९, ८६, १४२ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष १९८५-८६ में १४५०७ इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई जिसके द्वारा २४१०६५ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। हमारी अर्थ-व्यवस्था अल्प पूंजी की है। हमेशा पूंजी सघन आधुनिक बड़े व मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना सम्भव नहीं है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक वृहद् स्तरीय और मध्यम स्तरीय जैसे संगठित उद्योग।

ग्रामीण गरीबों की समस्या का एक मात्र निदान ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास है जिनमें पारम्परिक उद्योग आते हैं। जिनमें मुख्यत: हथकरघा, दस्तकारी रेशम कीट प्लान, खादी औरग्रामोद्योग तथा आधुनिक लघुस्तरीय उद्योग और शक्ति चलित उपकरणों व यंत्रों का उपयोग किया जाता है और इनकी स्थापना बड़े शहरों

तथा वृहद् औद्योगिक केन्द्रों में होती है। इसके विपरीत पारम्परिक उद्योग कारीगर आधारित होते हैं। इनकी स्थापना गावों तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में होती है। इनकी स्थापना गावों तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में होती है। इनकी मशीनों पर कम व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अति लघु उद्योग क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है जिसका कृषि के बाद दूसरा स्थान है मूल्य के रूप में वह उत्पादन क्षेत्र का लगभग ५० प्रतिशत योगदान करता है। इसमें स्वरोजगार का बोलबाला रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधि का व्यापक प्रसार होता है। गांव में कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों को अपाने की अब सीमित क्षमता रह गई है अत: ऐसे लोगों को स्थानीय रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये खादी - ग्रामोद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इनके माध्यम से कम लागत पर कम समय में और अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर रोजगार मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो परम्परागत कारीगर अपने पुराने उपकरणों द्वारा उन्हें सुधरे हुए उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करता है।

ग्रामोद्योग का विकास कृषि विकास की ही एक अंग है ग्रामीण समाज भी आज इनके प्रति उदासीन है। आज हमारे ऊपर बड़े उद्योगों की चकाचौंध का एक ऐसा भ्रम छाया हुआ है कि हमें दिखाई नहीं देता ग्रामोद्योगों को सुचारुरूप से चलाने के लिये कच्चा माल समय पर और पर्याप्त मात्रा में सपलब्ध नहीं होता क्योंकि जो कुछ गांव में पैदा होता है वह थोक व्यापारियों के माध्यम से शहरों में चल रहे कारखानों में चला जाता है। उदाहरण के लिये हमें देखने को मिलता है कि गांव के जेलाहे कपास तथा सूत के लिये बड़े कारखानों पर निर्भर करते हैं। इस निर्भरता ने उसे अपंग बना दिया है। पूंजी जब कृषकों को ही सस्ते दर पर नहीं मिलती तो उन उद्योगों को चलाने के लिये जिनका बाजार नहीं के बराबर रह गया है कौन पूंजी लगायेगा, जो इस परम्परागत उद्योगों को जातीय पेशा होने के कारण चलाये जा रहे हैं। उनकी हालत इतनी गयी-बीती है कि वे कुछ भी अमानत नहीं रख सकते और गांवों में बिना अमानत के पूंजी लाने के लिये नहीं मिलती सस्ते दर पर तो उपलब्ध ही नहीं है। उत्पादन करने के तरीके वही पुराने हैं। नये-नये औजारों का आविष्कार करना तो ग्रामीणों को आता ही नहीं। अगर कहीं आविष्कार हो गया तो उसका उनको ज्ञान नहीं, किसी प्रकार जानकारी मिल भी गयी तो

इन नये औजारों और मशीनों को चलाने के लिये जो ट्रेनिंग की सुविधा चाहिये वह उन्हें हासिल नहीं है। जैसे-तैसेकर के कुछ वस्तुयें ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित हो गयी तो फिर बाजार की कठिनाई उठती है बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिकना उनके लिये सम्भव नहीं होता कारण कि ग्रामीण उद्योगों की वस्तुयें छोटे पैमाने पर उत्पादित होने के कारण महंगी और रूपरंग में कम आकर्षित होती है असंगठित होने के कारण उन्हें मांग का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता और न ग्रामीण उन लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग विज्ञापन द्वारा निर्मित की जा सकती है। बड़े-बड़े उद्योग विज्ञापन द्वारा अपनी मांग निर्मित कर लेते हैं यद्यपि शासन की नीति इन ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की है। जब पश्चिमी उद्योग का प्रभाव हटेगा तभी ग्रामीण उद्योग पनप सकते हैं।

ग्रामोद्योग के अन्तर्गत पहली योजना में ४४ करोड़ रूपये तथा दूसरी योजना में २ करोड़ रूपये एवं तीसरी योजना में २६४ करोड़ रूपये व्यय किये गये कि ग्रामीण उद्योग आर्थिक बनते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके। चौथी योजना के अन्तर्गत २९५ करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान था। पांचवी योजना के दौरान यह राशि लगभग ६११ करोड़ रूपये रखी गयी। किन्तु ये राशियां बड़े उद्योगों में लगी राशियों के मुकाबले में पांचवा भाग ही है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आठ गुने मनुष्यों को काम चाहिये ऐसी स्थिति में ग्रामीण उद्योगों का विकास हमारे लिये एक उलझन पूर्ण समस्या है इनका सुचारु रूप से विकास करने के लिये हमारे देश में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, लघु-उद्योग निगम आदि संस्थायें हैं।

खादी हाथकरघा, तेलघानी, चर्म, दियासलाई, खांडसारी, साबुन बढ़ईगिरी, खाद, लाख, उत्पादन, बेंत का काम, एल्युमिनियम के बर्तनों का उत्पादन, गोंद, कत्थों आदि के कार्य स्वयं संचालकों के अलावा इनके लिये सहायता तथा प्रोत्साहन देने के लिये अतिरिक्त ग्रामोद्योग में लगे कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें अपनी सहकारी समितियों को बनाने में प्रोत्साहन

देना है कमीशन ने अपने जिम्मे कच्चे माल की पूर्ति तथा बने हुए माल को बेचने का भी काम लिया है।

हमारी औद्योगिक नीति सारे देश को लाभ पहुंचाने की ओर लक्षित है। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलित और समन्वित विकास करके ही सारा देश उच्च जीवन स्तर प्राप्त कर सकता है इस नीति के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन इसके असन्तुलित व्यावसायिक रूप में परिलक्षित है। गांवों में खेतिहर मजदूरी छोटे किसान बेरोज-गारी के बढ़ते दायरे में खड़े हैं और उनकी आय जीवन यापन के लिये कम से और कम होती जा रही है। इसका एक मात्र उपाय है औद्योगीकरण आज तक के औद्योगीकरण के प्रयास ग्राम विमुख हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण जनता के लिये निरन्तर शहर की ओर जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चौथी योजना के पश्चात अन्य सभी योजनाओं में ग्रामीण औद्योगिक विकास कार्यक्रम के तकनीकी और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखा गया।

ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग का बोध होता है जो ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां कि आबादी अधिक न हो जो बिजली का उपयोग करके या बिना बिजली के उपयोग के वस्तुओं का उत्पादन करता है या सेवायें प्रदान करता है जिसमें प्रति कारीगर। कार्यकर्ता निश्चित पूंजी निवेश १०,००० रुपये या समय समय पर निर्धारित ऐसी अन्य राशि से अधिक न हो परन्तु ऐसे गैर निर्माण सुविधा या इकाई को भी ग्रामोद्योग माना जावेगा। जिसकी स्थापना १०००० से अधिक आबादी वाले स्थान पर हो जिसका मुख्य उद्देश्य परिभाषित ग्रामोद्योग का उन्नयन रख-रखाव, सहायता, सेवा (मात्र इकाई समेत) या प्रबन्ध सहायता प्रदान करना है। १०००० आबादी की सीमा की सिफारिश करने में बैंक क्षेत्र की परिभाषा का अनुकरण किया है।

इसी प्रकार उपरोक्त परिभाषा के बावजूद भी इससे पूर्व जिस इकाई

को ग्रामोद्योग माना गया है चाहे जिस स्थान पर उसकी स्थापना हुई हो उसे ग्रामोद्योग का दर्जा मिलता रहेगा । यह उद्योग जिस स्तर पर कार्य कर रहा है, करता रहेगा । परन्तु वर्तमान स्थान पर इसे और विस्तार करने से वह ग्रामोद्योग को मिलने वाले विशेष सहायता को पाने का हकदार नहीं होगा ।

अभी हाल में एक नयी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है वृहद् स्तरीय उद्योग ने एक नयी प्रथान शुरु की है । जिसके अन्तर्गत मशीन के छोटे-छोटे कल-पुर्जों का उत्पादन लघुस्तरीय क्षेत्र में होता है और वृहद उद्योग उसके जोड़ने पर ध्यान देते हैं । छोटे-छोटे कल-पुर्जों का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण होने की नई प्रवृत्ति से लघु स्तरीय, उद्योग का विकास होगा जोकि एक स्वस्थ विकास का संकेत देता है। इसके अलावा लगभग ७५ प्रतिशत गावों तथा ८५ प्रतिशत लोगों तक बिजली पहुंच गई है। अधिकांश बड़े गावों को संचार अच्छी सड़को, टेलीफोन, तार तथा डाक सेवाओं से जोड़ दिया गया है। अनेक गावों में बैंकों की शाखायें खोली गई है और अब कोई बैंक रहित क्षेत्र नहीं है। गावों में तकनीकी व्यक्ति मौजूद है। अत: विकेन्द्रित विकास और ग्रामीण और औद्योगीकरण कार्यक्रम यानि गावों में आधुनिक लघु स्तरीय उद्योग अथवा ग्रामोद्योग के लिये आज बेहद अनुकूल स्थिति विद्यमान है ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश के ग्रामोद्योग इकाइयों को विदेशी अर्थ-व्यवस्था के विकास राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों मे विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के मूल आधार पर सुनियोजित ढंग से स्थापित करके ग्रामीण विकास के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का अभिन्न अंग बन गया है। ग्रामीणों को उनके दैनिक उपयोग की वस्तुयें उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग के द्वारा किया जाता है । उपरोक्त सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र ने विकेन्द्रित ग्रामीण औद्योगीकरण के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है । उत्पादकता एवं रोजगार बढ़ाने में इस उद्योगों के पास अपार -

सम्भावनायें हैं । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग की अति - महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ श्रम अधिक तथा पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान कम है खादी और ग्रामोद्योग को ही आधार मान लेने से देश का सर्वांगीण विकास सम्भव है। इसी के माध्यम से बेरोजगारी की विशाल समस्या को कम किया जा सकता है। केवल खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों में ही गाँव-गाँव एवं देश के दूरदराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है । अभी हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप जो ग्रमाद्योग की संख्या बढ़ाई गई है उससे निश्चित रूप से बेरोजगारी कम करने में सफलता मिलेगी ।

ग्रामीण विकास कार्य में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गाँवों में ग्रामोद्योग स्थापित करने कीचुनौती का सामना करना पड़ता है । खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी व ग्रामोद्योग मण्डल के साथ मिलकर कार्य करता है और राज्य सरकार मण्डल की स्थापना खर्च देने के सिवा और कोई अन्य कार्य नहीं करता है ।

-: o :-

अध्याय - दो

खादी एवं ग्रामोद्योग - स्वभाव एवं प्रकार

खादी एवं ग्रामोद्योग - स्थापना एवं संगठन

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

ग्रामोद्योग में पूंजी कम और काम अधिक व्यक्तियों को मिलता है। अत: ग्रामोद्योग वह है जो स्थानीय कच्चे माल का प्रशोधन कर स्थानीय मांग की पूर्ति करता है। इसके अन्तर्गत तीन कारक काम करते हैं।

१- स्थानीय श्रमिक

२- छोटे पैमाने पर कार्य

३- गांवों में इकाइयों की स्थापना

खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत निम्न उद्योग आते हैं -

अनाज दाल प्रशोधन - इसके अन्तर्गत धान से चावल बनाना, डबलरोटी बनाना, मसाले पीसना।

ग्रामोद्योग तेल उद्योग - काली एवं पीली सरसों से घानी तेल निकालना।

रेशम उद्योग - कच्चा माल सनई, मूंज, पटसन, डाव या अन्य प्रकार के रेशे जो रस्सियां या बान बनाने के काम आते हैं। उनसे बीज बनाना, रस्सी के विभिन्न वस्तुओं को तैयार करना।

उपर्युक्त उद्योगों के अलवा अन्य निम्न उद्योग हैं -

४- गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग

५- चर्म कला व चर्म शोधन उद्योग

६- अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग

७- ग्रामीण कुम्हारी उद्योग

८- एल्युमिनियम उद्योग

९- आरबत्ती उद्योग

१०- चूना उद्योग

११- फल प्रशोधन उद्योग

१२- गोंद संग्रह उद्योग

१३- कत्था उद्योग

१४- हाथ कागज उद्योग

१५- वाल वस्तु उद्योग

१६- मधु मक्खी पालन उद्योग

१७- बांस बेंत उद्योग

१८- जड़ी बूटी उद्योग

१६- खादी उद्योग

२०- लाख उद्योग

२१- काष्ठ एवं लौह कला

२२- ऊनी खादी कम्बल उद्योग

२३- माचिस उद्योग

खादी बोर्ड के अन्तर्गत ग्रामोद्योग एवं ग्रामोद्योग का वर्गीकरण निम्न-प्रकार है -

खादी बोर्ड के अन्तर्गत ग्रामोद्योग एवं ग्रमोद्योगों का वर्गीकरण

	समूह	वर्तमान आच्छादित उद्योग	आच्छादित किये जाने वाले उद्योग । योजना
१-	खनिज आधारित उद्योग	चूना निर्माण, ग्रामीण कुम्हारी	पत्थर पर खुदाई सिरामिक्स, भवन सामग्री तारकोल और आभूषण जैसी अन्य खनिज आधा-रित मदे ।
२-	वन आधारित उद्योग	हाथ कागज, कत्था, गोंद और रेजिन, लाख, कुटीर दिया सिलाई और अगरबत्ती बेंत	कागज की स्टेशनरी, दफ्तो के के बक्से, जिल्दसाजी आदि
३-	कृषि आधारित उद्योग	अनाज, दाल, प्रशोधन ताड़ गुड़ खाण्डसारी मधुमक्खी पालन, अनाज और तेल रेशा वनीय औषधिय पौधों का संग्रह	मछली की डिब्बा बन्दी सेवई और मैक्रोनिक कोमल मज्जे से हैट और मालायें बनाना आयुर्वेदिक औषधियां, काजू प्रसाधन और खस की टट्टियां

४-	बहुलक और रसायन आधारित उद्योग	ग्रामीण चर्म, रबर के अन्दर उगाये गये लेटेक्स उत्पाद, अरबाद तेल और साबुन	हड्डी औ सींग उत्पाद रेजिंग और पी०वी०सी० आदि के उत्पाद, प्लास्टिक नायलोन, केन बांस बेग, पेपर मेशी, विरंजक चूर्ण नमक, दंत मंजन, वस्त्र, धुलाई की सामग्री और रंग सरेस रंगाई और छपाई और वार्निश मोमबत्ती और मोम द्वारा प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियां, सुगन्ध और प्रसाधन - वस्तुएं बर्तन मांजने का पावडर
५-	अभियान्त्रिकी और गैर-परम्परागत ऊर्जा	बढ़ईगीरी और एल्युम्युनियम के घरेलु बर्तन, गोबर-गैस	पीतल तांबे आदि के उत्तम दर्जे की की चीजें बनाना कृषि में काम आने वाले औजार बाल पेन, फाउन्टेनपेन रिबन, रिफिल बनाना स्टोव की पिन बनाना, लकड़ी में खुदाई करना, सेफ्टी पिन बनाना बटन, ताले, इलेक्ट्रोनिक चीजें बिजली की वस्तुएं ऊर्जा, ईंधन, फ्रिज, बिजली के छोटे बल्ब
६-	वस्त्र उद्योग (खादी का पाली वस्त्र) और लोक वस्त्र छोड़कर		होजरी, बढ़ाई का काम, धागे का काम, सूत की मराई, ऊन के गोले बनाना, लच्छी बनान, बढ़ाई, जरी खिलौनी एवं पट्टियां सिलाई तैयार वस्त्र
७-	सेवा उद्योग		कपड़े की धुलाई, टायर की री-ट्रिडिंग, हजामत बनाना, राजगीरी, नलसाजी, सेवा इकाइ और दुकान जो उपरोक्त से सम्बन्धित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योगों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके समुचित विकास और देखभाल के लिये आयोग और बोर्डों की स्थापना की गई , १९५७ में " खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं १९५३ में (अखिल भारतीय खादी एवंग्रामोद्योग बोर्ड " की स्थापना हुई । आज यह आयोग विकास हेतु कार्यरत है । खादी आयोग द्वारा खादी के अतिरिक्त अन्य २२ से भी अधिक लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ है। १९७९-८० में खादी ग्रामोद्योग के द्वारा ४१२ करोड़ रूपये का उत्पादन किया गया तथा वहीं १९८४-८५ में १५०० करोड़ रूपया का उत्पादन किया गया । खादी क्षेत्र के अन्तर्गत करीब एक करोड रूपये का उत्पादन किया गया । वर्ष १९५३ में भारत सरकार में " अखिल - भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल " का गठन किया था तब यह आभास हुआ कि सरकार ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहती है और देहातों के लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना चाहती है । अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल को उस समय सुस्थापित खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के माध्यम से काम करना पड़ता था । तथापि उस समय ऐसी संस्थाओं की संख्या इतनी नहीं थी कि सारे देश को आच्छादित किया जा सके और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सके । पुनश्च ग्रामोद्योग उस समय राज्य की प्रजा के तौर पर माने जाते थे । अतएव उक्त संस्थाओं के विकास की योजनायें बनाना सरकार के हाथ में ही था । बिना किसी विधिविहित स्वीकृति के अखिल भारत बोर्ड केवल बोर्ड ही रह गया था और वह राज्य सरकारों को कोई सहायता वितरित नहीं कर सकता था । वर्ष १९५६ में संसद के अधिनियम के जरिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अस्तित्व में लाया गया । यह देखने के लिये कि सरकारी संगठनों के सख्त ढांचे इन उद्योगों के विस्तार और विकास को कुप्रभावित न कर सकें । खादी आयोग और भारत सरकार राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे राज्य स्तर पर विधिवत् निकायों की स्थापना करें तो खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों की देखभाल करे और संरक्षण करें।

इस प्रकार पांचवे दशक में कई वर्षों तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मण्डल ने राज्य स्तर पर कार्य किया । इसके पूर्व

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ने खादी और ग्रामोद्योगों कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों व्यक्तियों को काम और मजदूरी देने का गम्भीर प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से एक विशेषज्ञ निकाय का स्तर हासिल किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपने प्रारम्भ के वर्षों में काफी स्वतंत्रता पूर्ण कार्य किया और उसने आय व शैक्षणिक योग्यता का कोई ख्याल किये बिना उपलब्ध प्रतिभाओं के गुणों का उपयोग किया एक और विशेष बात यह थी कि जिन लोगों ने खादी आयोग में कार्य करना प्रारम्भ किया वे लोग वचनबद्ध थे और खादी और ग्रामोद्योग में उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास और मूल स्तर संगठनों के बीच भाई-चारा विकसित हुआ। भारत सरकार ने आयोग के कार्य और दार्शनिक विचार धाराओं में कोई मध्यस्थता नहीं की। आयोग के अन्दर ही विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं और गम्भीर विवादों जैसे तकनीकी संगठन और प्रबन्ध आदि के बारे में सोचा जा रहा था लाखों लोगों के हितों की रक्षा के लिये जो लोग प्राचीन तकनीकी की वकालत कर रहे थे उनकी बात ही मानी गई। जैसे-जैसे समय बीतता गया सारी स्थितियाँ बदलती गईं। छटे दशक में सारे दर्शन में ही परिवर्तन हो गया। लकड़ी के अंबर-चर्खे के स्थान पर सर्व धातु नया माडल चरखा आ गया। ग्रामोद्योगों में बिजली के उपयोग की बात का विरोध हटा लिया था। चूंकि सरकार ग्रामीण गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार देना चाहती थी इसलिये सरल तकनीक का उपयोग करने से पहले दर्शन को मान्यता दे दी गई। उस समय आयोग ने केवल दो प्रकार के संगठनों को मान्यता प्रदान की प्रथम पंजीकृत - संस्थायें, और दूसरी सहकारितायें। छठे और सातवे दशक में परम्परावादियों और आधुनिकतावादियों के बीच सही लड़ाई छिड़ गई और जोर दिया गया उचित मजदूरी देकर रोजगार देने वालों की बात पर। यहाँ तक कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अकेले अपनी गतिविधियों के बल पर गरीबी से लड़ने का इरादा बना लिया राजनीतिक स्तर पर निर्धनता उन्मूलन को प्राथमिकता मिली और विगत दो दशकों तक परिश्रम करके जिस दर्शन को तराशा गया उसी के आधार पर कार्य किया जाने लगा।

आठवें दशक में स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इसका कारण गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। ग्रामीण विकास

के पूरे उपागम ने रोजगार सृजन को उच्च स्थान दिलाया। लगभग सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिये योजनाएं बनाईं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों को इसलिये बनाया गया कि दरिद्रता पर वे सीधे हमला करें। विकास का दृश्य पूरी तरह से विकृत हो गया। अधिकांश विकास मंत्रालयों के गावों के लघु उप-क्रमियों के विकास में अपने आपको समर्पित कर दिया। आज खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम आयोग और राज्य मण्डलों के एक मात्र क्षेत्र में नहीं आते हैं सहायता देने की प्रक्रिया भी विकेन्द्रित कर दी गई है। जिला-स्तर पर ग्रामीण विकास अभिकरण बहुत सारी स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। वे योजनाओं का परिक्षण अपने स्तर पर ही करते हैं। आयोग में ऐसा नहीं होता। आयोग में सारे प्रस्तावों को वित्त विभाग जानता और सहमत होता है। यहां तक कि आयोग की उपेक्षा वहां का सहायता स्तर भी अधिक उदार है। औजारों, मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिये सहायता उपलब्ध की जाती है। ट्राईसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण योजना सख्त नहीं है और स्थानीय हालात को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतर्गत अवस्थापना सुविधार्थ अनुदान के अन्तर्गत की जाती है। आयोग की तरह वहां पर सहायता स्वरूप नहीं तैयार किया जाता है उन्हें इस तरह से बन्धनों से नहीं गुजरना पड़ता।

अनुसन्धान और विकास के पहलू को देखे तो विज्ञान और तकनीकी ने ग्रामीण विकास के सारे क्षेत्रों में जिसमें उद्योग भी शामिल है, प्रयोग पर अपना ध्यान लगा रहा है। विज्ञान और तकनीकी विभाग के योजनाओं पर विशेष विशेषज्ञों की सलाह लेने और उस आधार पर निर्णय लेने हेतु योजनाओं को परामर्श के लिये भेजने की पद्धति तयार कर रखी है। उसकी मानीटरिंग प्रणाली भी ऐसी है कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। प्राय: योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये एक मानीटरिंग कमेटी गठित कर दी जाती है। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से गैर कृषि वृहद् उपक्रम के विस्तार के लिये जो कुछ धनराशि उपलब्ध होने वाली है वह दस हजार करोड़ रुपये प्रक्षिप्त है। इस धनराशि में नि:सन्देह संस्थात्मक वित्त का एक बड़ा भाग कम व्याज दर से उन लाभ ग्राहियों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसके सम्मुख आयोग खादी और ग्रामोद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिये पचास से साठ करोड़ रुपये तक का वित्त प्रदान करने का

का कार्य करता है ।

छठी योजना तक ग्रामोद्योगों के विकास में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एकाधिकार प्राप्त था । अन्य दूसरे कारीगरों की देखभाल से सम्बन्धित संगठन करता है । जैसे रेशम मंडल, नारियल जटा मण्डल, हाथकरघा और हस्त-शिल्प मण्डल । १९८० के उपरान्त समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु किया गया जिसमें उद्योग व्यापार और सेवा अवयव जोड़े गये हैं साथ ही आदिवासी उपयोजना तैयार की गई जिसमें वनाधारित उद्योग शामिल हैं, बैंकों ने कुटीर उद्योग और नन्हे क्षेत्र की इकाइयों के लिये योजनायें बनाई हैं । गांव अपनाने की योजना भी है। हाल ही में बैंकों को आदेश दिये गये हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र के गांवों में अपनी शाखायें खोलें ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के लिये पुर्नवित्तीयन योजना बनाई है । विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं जिनका कार्य कुटीर एवं ग्रामोद्योगों की भी मदद करना है। आज बैंक कुटीर एवं ग्रामोद्योगों की सहायता पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं । इससे पूर्व बैंक ऐसा करने में हिचकिचाते थे, परन्तु अब वे जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि बैंक अपनी कुल ऋण का ४० प्रतिशत भाग प्राथमिकता क्षेत्र को ये कुटीर और ग्रामोद्योग प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं । आदिवासी विकास निगम, चर्म विकास निगम, अनुसूचित जाति और आदिवासी निगम आदि कुटीर और ग्रामोद्योगों की सहायता के लिये तत्पर है । यहाँ तक कि भूमि विकास बैंकों ने भी ग्रामोद्योगों के सहायतार्थ योजनायें बनाई है। इस प्रकार ग्रामोद्योगों के विकास के क्षेत्र में अनेक अभिकरण कार्य कर रहे हैं किन्तु उनके सहायता स्वरूप उनमें एकरूपता लाने की जरुरत है। अब समय आ गया है कि खादी और ग्रामोद्योग जैसी केन्द्रीय संगठनों को वित्त प्रदान करने की अपेक्षा विकास कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिये । संस्थागत वित्त अभिकरणों को वित्त प्रदान करना चाहिये ।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सातवीं योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न है- अधिकाधिक पारम्परिक कारीगरों को अपने कार्य क्षेत्र में लाना खासकर पिछड़े क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना विकेन्द्रित आधार पर आद्योगिक गतिविधियों

का हाथ में लेना और कारीगरों की उपार्जन का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना। सातवीं योजना के समाप्ति वर्ष १९८९-९० में ४२.४२ लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आठवीं योजना में खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र के विकास को बहुत महत्व दिया जावेगा यह उचित है और पूर्व योजना का समस्त नीति समर्थन तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल भी हो चालू योजना में भी इन्हीं बातों पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण उद्योगों के लिये व्यापक क्षेत्र विस्तार के सन्दर्भ में भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप अनेक ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र में आ जायेंगे किन्तु खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिये नई भूमिका के लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं की प्राप्ति बहुत कुछ सरकार द्वारा प्रदत्त उपयुक्त नीति समर्थन पर निर्भर करेगा। इस प्रकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग का भविष्य प्रबन्ध कौशल वाला एक विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक संगठन बनने पर निर्भर करता है तथा वित्त वितरण का काम सम्बन्धित विभागों पर छोड़ देना होगा।

आठवीं योजना के परिवेश एवं विषयों पर एक टिप्पणी में योजना आयोग ने बेरोजगारी की विशालता को ठीक ही प्रस्तुत किया है। अन्य बातों के के अलावा टिप्पणी में योजना आयोग ने बेरोजगारी की विशालता को ठीक ही प्रस्तुत किया है अन्य बातों के अलावा टिप्पणी में कहा गया है कि जब तक प्रतिवर्ष लगभग १० मिलियन नये कार्य अवसर की दर से उत्पादन रोजगार का सृजन नहीं किया जाता तब तक बेरोजगारी सम्भलने वाली नहीं है।

संगठित क्षेत्र जिसमें मुख्यत: मध्यम और बृहद् उद्योग, अवस्थापना, सार्वजनिक प्रशासन संगठित सेवायें आती है। वर्तमान में प्रतिवर्ष औसतन ५ लाख व्यक्तियों को खपा सकती है। उच्चतर वृद्धि से यह दर बढ़ सकता है, फिर भी संगठित क्षेत्र में बहुत कम नये लोगों को काम मिलेगा। इसलिये कृषि तथा तत्सम्बन्धी अन्य गतिविधियों ग्रामीण व लघु उद्योगों में नये कार्य अवसर सृजन करने के लिये प्रयास करने की जरूरत होगी। इसलिये मात्र नीति समर्थन प्रदान करने से

समस्त रोजगार अवसर के सृजन से खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र का वांछित योगदान कम महत्व का नहीं है। खादी सूत तथा मिल सूत के मूल्य अन्तर को सरकारी उत्पादन से पाटा जाना है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो उपदान किया जायेगा वह सरकारी कोष से राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को दिये जाने वाले उपदान से कम होगा जबकि इससे बहुत कम लोग लाभान्वित होते हैं।

कार्यान्वयन -

दूसरा अवरोध खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ा है। इन कार्यक्रमों को चलाने वाले संगठन दो तरह के हैं, एक पुरातन धर्मादा समितियाँ जिनका गठन १८६० के अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है और दूसरा सहकारी समितियाँ जब से खादी और ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल जैसे सरकारी अभिकरणों का इस क्षेत्र में चरण पड़ा है। इस क्षेत्र में इनका प्रसार कार्य सामान्य पैमाने पर दृष्टिगोचर होता है। मगर समस्त कार्यक्रम में उनका योगदान बहुत कम है। अतएव कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस तरह के संगठनों का खतरनाक संकेत दिखाई देते हैं। उनके कर्मचारियों के वेतन व सुविधायें सरकारी दरों पर दी जाती है। और उपरोक्त स्वैच्छिक अभिकरणों अपने कार्यकर्ताओं को इतना उच्च वेतन नहीं दे सकते हैं। इस कार्यक्रम की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खासकर खादी के क्षेत्र में उनके उपरोक्त व्यय का प्रतिशत आज भी वही है जो सामान्यत: गांधी जी के समय में था। खादी और ग्रामोद्योग तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों के स्थापना खर्च की पूर्ति सरकारी अनुदान से होती है इसलिये आवर्ती एवं कार्य हानि की उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती है। इस असंगत स्थिति में स्वैच्छिक अभिकरणों के कर्मचारियों में ईर्ष्या होती है और समान कार्य के लिये समान वेतन की चाह उनमें बढ़ जाती है। यद्यपि स्थिति अभी विस्फोटक नहीं हुई है।

प्रबन्ध प्रणाली -

बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की प्रबन्ध

प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उनका संचालन नेक नियत वाले व्यक्तियों द्वारा होता है। जो पूरी निष्ठा व वचन बद्धता के साथ इस काम में अपने सारे प्रयास एवं शक्ति दाव पर लगा देते हैं और इसी कारण यह क्षेत्र अपनी सफलता प्रदर्शित कर पाता है न्यासधारिता सिद्धान्त की सही भावना को लेकर वे कम मनोदय राशि लेते हैं और मितव्ययी जीवन बिताते है। यद्यपि ग्रामोद्योगी संगठनों की उपरोक्त उपलब्धियां सराहनी हैं फिर भी वे परिस्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं है जोकि एक चुनौती है।

राज्य सरकार का सान्निध्य -

ग्रामीण विकास कार्य में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गावों में ग्रामोद्योग स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस काम में स्वैच्छिक संगठनों को लाना होगा, सरकार को इसमें भूमि का निभानी होगी। राज्य के लिये ग्रामोद्योगी कार्यक्रम तैयार करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को राज्य सरकार का शामिल करना है। खादी और खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के साथ मिलकर कार्य करता है और राज्य सरकार मण्डल को स्थापना स्थापना खर्च देने के सिवा और कोई काम नहीं करती है। इससे ग्रामोद्योगी कार्य कमजोर हो गया है। राज्य सरकार को विकास व्यय भी देना चाहिये इससे वह ग्रामोद्योग के प्रति जिम्मेदार हो जायेगी राज्य सरकारों व बैंकों को कार्य में सम्मिलित करने से जैव गैस कार्य का काफी प्रचार हुआ है।

उपयुक्त विकास हेतु ग्रामोद्योग के लिये टर्न की परियोजना की योजना बनानी होगी। इसी टर्न-की के कारण बड़े पैमाने पर जैव गैस कार्यक्रम में भारी सफलता हासिल हुई है। तकनीकी दल की मदद से निष्क्रिय समितियों को पुन: जीवित करने का अभियान चलाया जा सकता है। यह दल निष्क्रिय समितियों का अध्ययन करेगा और उन्हें संचालित करने के लिये दोषों को दूर करेगा।

ग्रामोद्योगों का गांव में सफल बनाने का काम आसान नहीं है और विकास प्रशिक्षण प्रसार तकनीकी सहायता तथा पर्यवेक्षक में सुधार लाने में भी बहुत

ध्यान देना होगा, गावों में ग्रामोद्योग स्थापित के इच्छुक युवा लघु उपक्रमियों के लिये खादी ग्रामोद्योगों के विकास में लगे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है ।

आयोग तथा राज्य मंडलों की भूमिका-

बैंकरों के विपरीत खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल वित्तीय सहायता का लाभ उठाने वाली इकाइयों के कार्य तथा अन्य बातों के बारे में निर्णय करने की अच्छी स्थिति में है। वे रोग के लक्षणों को बताते हुए पूर्व चेतावनी देने वाले के रूप में काम कर सकते हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आयोग और राज्य मण्डलों को व्यक्तिगत इकाइयों के लिये सूचना तथा वित्त के आधार पर एक " पैकेज कार्यक्रम " तैयार करना चाहिये।

इसमें तीन सोपान शामिल हो सकते हैं ।

१- सूचना का एकत्रण
२- इसका मूल्यांकन
३- पुनर्निवेशन मूल्यांकन पद्धति

सूचना का एकत्रण -

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य मण्डलों को समय समय पर खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम में लगी संस्थाओं से जानकारी एकत्र करनी है । इस जानकारी में सभी पहलू खास तौर से वित्तीय और भौतिक पक्ष शामिल होंगे ।

मूल्यांकन -

किसी इकाई के कार्य का मूल्यांकन करते समय चन्द महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उपयोग की क्षमता, बिक्री , कार्यकारी पूंजी की स्थिति , पूंजी उपयोग आदि को पहचानना आवश्यक है। इन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ।

१- पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
२- नकदी प्रवाह अनुपात
३- आय अनुपात

४- चरण और कुल परिसम्पत्ति अनुपात

५- व्यापार अनुपात

६- व्यापार और नकदी परिसम्पत्ति का अनुपात

७- कुल परिसम्पत्ति में नकदी परिसम्पत्ति का अनुपात

८- लागत के अनुपात

इसके अतिरिक्त संयत्र और मशीनरी तथा असम्भवत: गतिविधियाँ, निधि का अपवर्तन आधुनिकी करण तथा समय पर वैविध्यीकरण आदि में असफलता की देखभाल करने के लिये प्रबन्ध का गुणवत्ता पूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है।

पुनर्निवेशन मूल्यांकन पद्धति -

पुनर्निवेशन या मूल्यांकन और आयोग तथा राज्य मण्डलों द्वारा वित्तीयन इकाइयों की समीक्षा की कोई एक पद्धति होनी चाहिये, इसके परिणाम स्वरूप जिस क्षेत्र में इकाई द्वारा कार्यवाही की जरूरत होगी वहाँ के लिये सुधार के संकेत तथा दिशा दिये जा सकते हैं इस प्रकार अन्ततोगत्वा इकाई को बीमार पड़ने से रोका जा सकता है ।

खादी औ ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल कार्यान्वियन में मार्गदर्शी भूमिका अदा कर सके इसके लिये उनके द्वारा सहायता प्राप्त खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें नियमित रूप से अपने कार्य के सही आंकड़े दें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों की स्थापना विकेन्द्रित आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। अब तक देश के करीब ६० शहरी केन्द्रों में आधुनिक लघु स्तरीय उद्योग ने ग्रामीण औद्योगीकरण में कोई योगदान नहीं किया है । दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में घरेलू उद्योग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधिक तनाव आ रहा है ।

घरेलू उद्योग की मुख्य गतिविधि में पुरुषों का प्रतिशत विवरण

(अखिल भारतीय.)

	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	१६७१	१६८१	१६७१	१६८१	१६७१	१६८१
घरेलू उत्पादन	३-४३	३-१८	३-१६	२-८७	४-४०	४-४२
गैर-घरेलू उत्पादन	६-७०	८-६२	२-४६	३-८२	२४-१५	२६-०५

नोट- १६८१ के आँकड़े असम को छोड़कर ५ प्रतिशत नमूने पर आधारित है।

उपर्युक्त आँकड़ों से महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है इन आँकड़ो से साफ जाहिर होता है कि कुल प्रमुख कर्मियों में घरेलू उद्योगों के हिस्से में तीव्र गिरावट आई यानि १६७१ के ३-४३ प्रतिशत से घटकर १६८१ में ३-१८ प्रतिशत हो गया जबकि इस अवधि में जनसंख्या में २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है अर्थात ३.१६ प्रतिशत से २.८ प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में ४.४० प्रतिशत से ४.२१ प्रतिशत की सामान्य गिरावट हुई यानि मात्र ५ प्रतिशत वर्ष १६८१ में घरेलू उद्योग की मुख्य गतिविधि में ७.७ मिलियन व्यक्ति थे इसमें से ५.६ मिलियन पुरुष और २.१ मिलियन महिलायें थी । इन ७.७ मिलियन में गावों में ५.४ मिलियन एवं शहरों में २.३ मिलियन व्यक्ति थे । अनुमान है कि सहायक कारीगरों की संख्या भी वही होगी गैर-घरेलू उद्योग में कुल मुख्य पुरुष कर्मियों का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में २.४६ प्रतिशत से बढ़कर ३.८२ प्रतिशत अर्थात ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । शहरों में कुल मुख्य पुरुष कर्मियों का प्रतिशत २४.१५ से बढ़कर २६.०५ प्रतिशत होगया । यह वृद्धि मुख्यत: बिखराव के कारण हुई । श्री आर० नारायण ने १६५०-१६८० की अवधि के भारतीय उद्योग में कारखाना आकार की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और कुछ अस्थाई अनुमान प्रस्तुत किये । इस विश्लेषण से पता चलता है कि १६५० से १६८० की अवधि में सभी उद्योग समूहों में गिरावट आई । यह विश्लेषण कारखाना के निर्माण संयत्र के औसत आकार को उसमें लाये गये श्रमिकों के आधार पर किया गया ।

यदि यह सच है तो यह प्रवृत्ति विकेन्द्रीकरण के समर्थकों के लिये प्रोत्साहनकारी है। यह शहरों में हुआ या गावों में भी यह अज्ञात है। यदि यह प्रवृत्ति शहरों

में भी देखी गई हो तो निश्चय ही यह विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम आगे है । अध्ययन यह भी दर्शाता है कि गैर-घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में अपंजीकरण कारखानों में रोजगार में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है । १९६१ और १९८१ के बीच कारखाना क्षेत्र में रोजगार में ९७ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में गैर-घरेलू उत्पादन क्षेत्र के गैर-कारखानों में रोजगार में १५४ प्रतिशत की वृद्धि हुई अतः आज ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रामीण घरेलू उद्योग क्षेत्र का तेजी से पतन हो रहा है । और गैर घरेलू, गैर-कारखाना क्षेत्र का तीव्र प्रसार हो रहा है। गावों में भी यही हो रहा है। क्योंकि कुल मुख्य कर्मियों में गैर-घरेलू उद्योग के मुख्य कर्मियों का प्रतिशत हिस्सा २.४६ प्रतिशत से बढ़कर ३.८२ प्रतिशत हो गया अर्थात ३४ प्रतिशत की वृद्धि इससे संकेत मिलता है कि विकेन्द्रीकरण के लिये स्थिति बहुत अनुकूल हो गई है ।

खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र में विकेन्द्रित ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास में प्रमुख निभाई है। उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने में इन उद्योगों के पास अपार सम्भावना है । श्रम साधन तथा अल्प पुंजी प्रकृति के कारण ये उद्योग न केवल गावों के गरीब लोगों को उत्पादक रोजगार दे सकते हैं इन्ही सामाजिक कारणों से गांधीजी ने इस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया । जून १९४६ के हरिजन में उन्होंने लिखा है। खादी ग्रामोद्योग ही एक ऐसा आर्थिक प्रस्ताव है जो लाखों ग्रामवासियों को रोजगार दे सकता है । यह हमारे हर ग्रामवासी को उसके , कुटिया या कारखानों में कार्य प्रदान करती रहेगी । जब तक कि १६ वर्ष से ऊपर के हर स्वस्थ व्यक्ति को काम तथा पर्याप्त पारिश्रमिक देने वाली किसी दूसरी बेहतर प्रणाली का पता न लग जाये । अन्यथा गावों को समाप्त कर दें और अन्यथा गावों को समाप्त कर दें । और ग्रामवासी को आवश्यक आराम व सुविधायें दे जाकि एक नियमित जीवन की मांग है । और जिसके वे हकदार हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद भारत सरकार ने गांधी जी के विचार के अनुसार १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में ग्रामीण, कुटीर उद्योगों की आवश्यकता एवं महत्ता को मान्यता प्रदान किया ।

संविधान सभा ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त के ४३ वे अनुच्छेद में गांवों में कुटीर उद्योगों के विकास को सम्मिलित किया । पांचवीं योजना में

में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई । योजना में की गई सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने १९५३ में अखिल भारत खा दी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना की। बाद में संसद में एक अधिनियम पारित करके इसके स्थान पर एक स्वायत्त - संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना १९५७ में की गई ।

अभी हाल तक खानी और ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा अन्य २६ उद्योगों को चला रहा था । (प्रारम्भ में अधिनियम में इसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत १० ग्रामोद्योग थे , बाद में १६ उद्योग और जोड़े गये ।

स्थापना के समय उसके उद्देश्य या कार्य के बारे में जो परिकल्पना की गई है उसकी पृष्ठभूमि में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य की समीक्षा करनी होगी। आयोग के कार्य के पीछे तीन उद्देश्य हैं ।

१- रोजगार अवसर पैदा करने के सामाजिक लक्ष्य
२- बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक लक्ष्य
३- ग्रामीण लोगों में आत्म निर्भरता लाने और सामुदायिक भावना निर्माण करने का व्यापक लक्ष्य -

आयोग के कार्य -

सामान्यत: आयोग के कार्य खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिये उन्हें प्रोत्साहन देना, संगठित करना तथा कार्यक्रम के उन्हें कार्यान्वियन में मदद करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयोग निम्न कार्य करता है ।

१- योग्य अभिकरणों को वित्त प्रदान करना।
२- खादी ग्रामोद्योगों में रोजगार चाहने वाले तथा इसके लिये नियुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना ।
३- कच्चे मालों,उपकरणों का संग्रह करना तथा उचित दरों पर उनकी आपूर्ति करना।
४- खादी ग्रामोद्योगों उत्पादों को बिक्री व विकास के लिये सहायता देना।
५- खादी ग्रामोद्योगी कार्य में लगे व्यक्तियों में सहकारिता प्रयास को बढ़ावा देना।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना के पूर्व में १९५५-५६ में खादी

ग्रामोद्योगों का कुल उत्पादन मात्र १६.३७ करोड़ रुपये था । उस समय दो राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल २४२ पंजीकृत संस्थायें और ६० औद्योगिक सहकारितायें खादी ग्रामोद्योगों कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रही थी । देश के १.५ लाख गावों में १९८६-८७ के अन्त में इसके संगठनात्मक अवस्थापना में निम्न थे , २८ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल ११४८ पंजीकृत संस्थायें और लगभग ३०,००० औद्योगिक सहकारितायें लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में खादी ग्रामोद्योगों कार्यक्रम चलाये गये । खादी कार्यक्रम मुख्यत: सीधे खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सहायित संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। परन्तु ग्रामोद्योग के संचालन में प्रमुख स्थान राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों का है । यानि वे कुल का ९० प्रतिशत योगदान करते हैं । वे ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को संस्थाओं सहकारी समितियों और व्यक्तिगत कारीगरों द्वारा चलाते हैं ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योगों की प्रगति के चुने हुए आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जो निम्न हैं -:

क्र०	मद	५५-५६	७३-७४	७८-७९	८४-८५	८५-८६	८६-८७
१	२	३	४	५	६	७	७
१-	संगठन संख्या						
१-	राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल	२	२०	२४	२७	२७	३८
२-	संस्थायें	२४२	६८१	७३९	११३७	११४८	११४८
३-	सहकारी समितियां	६०	२३,७१५	२७८४२	३००००	२९९५३	२९९५३
	कुल संख्या:	३०४	२४४१६	३८६०५	[illegible]	३११२८	[illegible]
२-	उत्पादन-						
१-	खादी (मिलियन वर्ग-मीटर)	२३.९९	५५.७२	७१.५०	१०३.९८	१०४.९४	११३.१३
२-	मूल (करोड रू०)	५.४४	[illegible]२.७२	७६.५४	१५७.६२	१९५.०१	२१८.०६
३-	ग्रामोद्योग	१०.९३	१२२.४०	[illegible].९९	[illegible].०६	९२९.०३	१०९८.६६
	कुल मूल्य (करोड रू०)	१६.३७	१५५.२३	[illegible].५१	९६४.६८	११२४.०४	१३१६.७२

	५५-५६	७३-७४	७८-७९	८४-८५	८५-८६	८६-८७
४- बिक्री						
१- खादी (मूल्य करोड़)	४.३८	४५.९५	७८.२६	१५८.५१	१९६.७४	२०८.२७
२- ग्रामोद्योग- (मूल्य करोड़)	०.९०	११५.६४	२४२.०१	८८०.४६	१००८.७७	१२०८.८०
कुल मूल्य करोड़ रुपये)	१६६.२८	१६१.५९	३२०.२७	१०३९.९७	१२०५.६२	१४१७.०७
५- रोजगार						
१- खादी (लाख व्यक्ति)	६.५७	८.८४	१०.३४	१३.०५	१३.४७	१३.८८
२- ग्रामोद्योग (लाख व्यक्ति)	३.०७	९.२८	१४.९६	२४.८४	२५.६१	२६.८२
कुल लाख में	९.६४	१८.२२	२५.३०	३७.०८	३९.०८	४०.७०
६- उपार्जन						
१- खादी (करोड़ रूपये)	३.२२	१७.०८	३६.५१	७५.८९	९२.४६	१०६.३६
२- ग्रामोद्योग (करोड़ रुपये)	३.६०	२२.१६	५९.७९	२२०.४९	२२०.४९	२९८.७२
कुल करोड़ रुपये	८.९२	३९.२४	९५.३०	२९६.३८	३४९.५३	४०५.०८

मुख्य लाभ -

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा इसके अभिकरणों की विकास रणनीति कुछ निश्चित लाभ है यें पुंज सेवायें प्रदान करते हैं जोकि इनके मुख्य लाभ है। इसमें वित्तीय सहायता, कच्चे मालों की प्राप्ति प्रशिक्षण औजारों तथा वस्तुओं की बिक्री आती है। इसमें ग्गाली व पिछली कड़ी विद्यमान है। इस तरह का

आयोग ने कृषिक अवशिष्ट तथा चर्म शोधनालयों ,कागज कारखानों, चीनी मिलों आदि से निकले वाले चूना गारे का इस्तेमाल करते हुएएक जुड़ाई सामग्री तैयार करने के बारे में कुछ प्रयास किये जाये ताकि अनेक कार्यों के लिये उसका उपयोग हो सके। कृषिक और उद्योगिक अवशिष्टों की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से ऐसी सामग्री बनाने का परीक्षण चालू रखना जरूरी है ।

प्रतियोगी दर पर चूंकि कोयला आसानी से नहीं मिलता है। यह अवश्य है कि कृषक अवशिष्ट,धान की भूसी,छोई कूड़ा घुल का इस्तेमाल करके विकल्प स्रोतों का दोहन किया जाये । पूणे में २० से २२ अगस्त तक आयोजित विज्ञान और प्रोद्योगिकी संगोष्ठी ने छः दलों का गठन किया जिससे विज्ञान प्रोद्योगिकी के प्रसार की दृष्टि से सारे खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र को आच्छादित किया गया । दल ने मूल्यवान सुझाव दिये जो निम्न प्रकार है ।

खादी वस्त्र और रेशा दल ने सूती खादी,पाली वस्त्र,रेशमी खादी तथा ऊनी खादी के लिये अनुसन्धान और विकास के अंग स्वरूप प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया उन्होंने सुझाव दिये कि दल को सातवीं योजनाओं के आगामी चार वर्षों के लिये परियोजनाओं की सिफारिश करनी चाहिये। और यह इच्छा व्यक्त की कि परियोजनाओं का सुझाव देते समय निम्न माप दण्ड को ध्यान में रखा जाये ।

१- विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये जिन औजारों की जरूरत है उनका निर्माण देहात में खास तौर से उन क्षेत्रों मे हो जहाँ उनका उपयोग करना है ।

२- अपनाई जाने वाली प्रोद्योगिकी समझाते समय कारीगरों की समझ के स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

३- परियोजनायें श्रम सघन होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त आर्थिक औचित्यों और लागत कारक को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

४- वर्तमान में हाथ से चलाना केवल कताई और बुनाई तक सीमित है। गोले प्रसंस्करण सहित धोवीकरण तथा उत्तर बुनाई प्रक्रियाओं तक पूर्ण प्रक्रियाए मिलो से की जाती है ।

दल ने उद्योगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया तथा निम्न - परियोजनाओं की सिफारिश की ।

सम्बन्ध बहुत कम संगठनों के पास है। दूसरे खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र में समर्पित कार्यकर्ताओं का दल है। जिसका गावों के साथ गहरा लगाव है। तीसरे खादी ग्रामोद्योगों के कार्यान्वियन में सरकारी तंत्र एवं सरकारी संगठनों का सम्बन्ध होता है। सरकार सहायता देती है परन्तु गतिविधियों का संचालन समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित स्वतंत्र संगठनों द्वारा होता है। फलतः इसमें लोच व कुशलता दोनों है। और ऊपरी व्यय भी अपेक्षाकृत कम है।

खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषतः यह है कि इसमें बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को रोजगार मिलता है।

वर्ष १९८६-८७ में खादी ग्रामोद्योगों के कुल ४०.७० लाख लोगों के रोजगार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लगभग ३१ प्रतिशत और महिलाओं लगभग ४६ प्रतिशत है।

आवंटन -
------ उपर्युक्त सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि इस कार्य के लिये एक सर्वांगीण महति का अभाव है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण औद्योगीकरण में बाधा आती है। भारत में योजना काल के आरम्भ से ही सामान्य उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने से और सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में आरक्षण के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान देने की चर्चा होती रही है। यद्यपि खादी ग्रामोद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान देने के बारे में कई नीतिगत घोषणायें हो चुकी है परन्तु ये घोषणायें खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र को रियायती वित्त अन्य उपदान और समिति वित्तीय छूट देने तक के सबसे छोटे क्षेत्र खादी ग्रामोद्योग को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उदाहरण-स्वरूप योजना के कुल परिव्यय में खादी ग्रामोद्योगों के निधि आवंटन में निरन्तर ह्रास हुआ है। प्रथम योजना के ०.८ प्रतिशत से घटकर सातवीं योजना में ०.३ प्रतिशत जबकि द्वितीय योजना में यह बढ़कर १.८ हो गया था। ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण विकास रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है वैसी स्थिति में निधियों में गिरावट निश्चय ही चिन्ता का कारण है छठी योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं में खादी ग्रामोद्योगों को जो राशि मिली वह वास्तविक योजना आवंटन से कम थी। छठी योजना में आवंटन से थोड़ी अधिक निधि मिली।

-: o :-

अध्याय - तीन

खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास -

वित्तीय संसाधन

कच्चा माल

तकनीकी सुविधायें एवं प्रशिक्षण

विपणन प्रक्रिया

राजकीय सहयोग एवं संरक्षण

किसी ग्रामीण क्षेत्र में आदमी या औरत या कई लोग मिलकर धन्धा खोलना चाहते हो जिसमें आसानी से मिलने वाले कच्चे माल से पक्का माल बनाकर बेचा जाता है तो इस काम को ग्रामोद्योग का काम कहा जाता है। ग्रामोद्योग में पूंजी कम लगती है और काम अधिक लोगों को मिलता है । आसानी से समझ में आने वाली मशीन एवं औजारों से काम किया जाता है ।

ग्रामोद्योग तथा लोगों के लिये उसका चयन -

उद्योग लगाने से पूर्व इस बात की जानकारी कर लेना बहुत जरूरी है कि कौन से स्थान पर कौन सा उद्योग लगाया जाये । उत्पादन चालू करने के लिये निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये।

(१) ऐसे लोगों का चयन करना चाहिये जिन्हें उद्योग धन्धा खड़ा करने की इच्छा है और नई जानकारी के लिये ट्रेनिंग लेने को तैयार हैं ।

(२) कच्चा माल स्थानीय पैदा होता है या कच्चा माल पास के बाजार में आसानी से मिल जाता हो ।

(३) ऐसे स्थान जहाँ सामूहिक रूप से कई व्यक्ति अपनी इकाई लगा रहे हैं । जिससे एक स्थान पर शासन की विभिन्न सुविधायें आसानी से मिल सकें। कच्चा माल व पक्का माल ले जाने की व्यवस्था हो सके ।

(४) माल की बिक्री के लिये बाजार हैं ।

जिस उद्योग में उपर्युक्त बातें पायी जाती है वह उद्योग सफल होता है । ऐसा नहीं है कि ग्रामोद्योग केवल गांव में ही लगाये जा सकते हैं । गांव, कस्बा या शहर कहीं भी ग्रामोद्योग की इकाई लगाई जा सकती है। चूंकि गावों में लोगों के पास रोजी रोटी के धन्धे कम होते हैं लेकिन बहुत सा कच्चा माल जैसे धान, सरसों, मूंज, लकड़ी, गन्ना व खाने के तेल व मरे जानवर, कुम्हारी मिट्टी आदि आसानी से मिल जाता है । और इससे पक्का माल बनाने के लिये बेरोजगार लोग भी अधिक लगाये जाते हैं और ये उद्योग गांव में अधिक पनप सकते हैं । अगर कच्चा माल व उसे पक्के माल में बदलने वाले कारीगर कस्बा या शहर में है तो यह उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है ।

जो लोग गरीब हैं मेहनत कर सकते हैं लेकिन कोई हुनर उनके पास नहीं है ऐसे लोगों को हुनर सिखाया जा सकता है। खादी बोर्ड ऐसे लोगों को हुनर सिखाने वाले केन्द्रों पर २ से ४ माह के लिये भेजता है जहां रहने के लिये मुफ्त कमरा होगा तथा सरकार से इतनी धनराशि भी दी जायेगी जिससे खाने का इंतजाम हो सके। सीखने वाले से धन नहीं लिया जाता केवल आने जाने का किराया दिया जाता है। जिस उद्योग में हुनर सीखा है उस उद्योग को खड़ा करने के लिये मशीन औजार एवं कच्चे माल को खरीदने हेतु जितने धन की जरूरत पड़ती है वह धन कर्ज के रूप में उ०प्र०में उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से मिलता है। जो बहुत ही आसान किश्तों में वापिस होता है।

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ऐसे लोगों को भी कर्ज देता है जिनके पास जमानत के रूप में कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। ऐसे लोगों द्वारा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर उद्योगों में लगने वाली लागत को देखते हुए रू० ४०००रुपये तक कर्ज लिया जा सकता है। इस प्रकार के कर्ज पर किसी प्रकार का स्टाम्प खर्चा नहीं आता है। इस प्रकार किसी बाहरी आदमी की जमानत की जरूरत नहीं है। यदि इससे बड़ी इकाई के लिये कर्ज लिया जायेगा तो जमानत की जरूरत होती है। खादी बोर्ड से कर्ज लिया जाता है। वह बहुत सरल किश्तों में अदा किया जा सकता है। व्याज भी केवल ४ प्रतिशत सालाना की दर से वसूल किया जाता है। कर्ज की मदें वसूली की किश्ते निम्नलिखित है।

क्र० सं०	जिसके लिये कर्ज मिलता है	वसूली अवधि	वसूली किश्त
१-	कारोबारी कच्चा माल खरीदने तथा मजदूरों का भुगतान करने हेतु।	पांच वर्ष, तीन-किश्तें	१-तीसरे साल के अन्त में पहली किश्त २- चौथे साले के अन्त में दूसरी किश्त ३- पांचवे साल के अन्त में तीसरी किश्त
२-	पूंजीगत ऋण छोटी मशीन उपकरण व कार्यशाला के लिये	पांच वर्ष चार-किश्तें	१ दूसरे साल के अन्त में पहली किश्त इस प्रकार आगे प्रति वर्ष किश्त कुल के ४ बराबर किश्त

क्र० सं०	मद	जिसके लिये कर्ज मिलता है	वसूली अवधि	वसूली किश्त
३-	पूंजीगत ऋण	बड़ी मशीन व भवन के लिये	१० वर्ष, ६ किश्तें	१- दूसरे साल के अन्त में पहली किश्त इस प्रकार आगे प्रति वर्ष किश्त कुल ६ बराबर किश्त

इस प्रकार यह देखो कि धन देने के बाद कम से कम दो वर्ष तक किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाती जिससे इकाई अपने पैरों पर खड़ी हो सके। किश्तें भी बहुत आसानी रखी गयी है। ताकि किश्त अदा करने में कोई कठिनाई न हो।

खादी बोर्ड से कर्ज लेकर जो लोग विभिन्न उद्योगों की वस्तुएं बनाते हैं, वे अपना माल कहीं भी बेचने के लिये स्वतंत्र हैं। बिक्री की तुलना में यदि माल अधिक बन रहा है तो उसकी बिक्री खादी बोर्ड के भण्डारों से कराई जा सकती है।

बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार की इकाईयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

१- औद्योगिक सहकारी समितियां
२- पंजीकृत परोपकारी समितियां
३- व्यक्तिगत कारीगर

सहायता का प्रारूप -

वित्तीय सहायता हिस्सा पूंजी, कच्चा माल संग्रह कार्यशील पूंजी औजार एवं मशीन क्रय हेतु तथा व्यवस्थापकीय सहायता ऋण एवं अनुदान के रूप में बोर्ड के निर्धारित पेटर्न के अनुसार दी जाती है। ऋण सुविधा आसान किश्तों में ४ प्रतिशत व्याज की दर से प्रदान करायी जाती है। वाजिब ऋण की निर्धारित तिथि पर जमा न करने पर ५ प्रतिशत अतिरिक्त व्याज लगाया जाता है। जनपद स्तर पर उपलब्ध विकेन्द्रित सुविधायें।

१- ५०,०००रुपये ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति व व्यवस्था -

उद्यमियों को त्वरित गति से जनपद स्तर पर ही १०,०००रुपये तक के ऋण

अनुदान सहायता प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय वित्त समिति में स्वीकृत किये जाते हैं तथा सहायता का वितरण भी जिला स्तर पर किया जाता है। ५०,०००रूपये धनराशि से ऊपर की सहायता बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से स्वीकृति एवं वितरित की जाती है।

२- डी०आर०आई०योजनान्तर्गत बैंक द्वारा सहायता -

ऐसे उद्यमी जिनकी आय वार्षिक आय ३,०००रूपये से कम है। खादी तथा ग्रामोद्योग में बैंको द्वारा ६५००रूपये तक वित्तीय सहायता ४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) के प्रमाण-पत्र पर प्रदान करायी जाती है।

३- ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सहायता -

खादी एवं ग्रामोद्योग में चयनित व्यक्तियों को खादी तथा ग्रामोद्योग की कार्यरत इकाइयों में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था उपलब्ध है। जहां पर प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता दिलाने का प्रबन्ध किया जाता है।

४- डी०आर०आई०योजना के अतिरिक्त बैंक से सहायता -

खादी तथा ग्रामोद्योग के उद्यमियों को जो डी०आर०आई० योजना की परिधि में नहीं आते हैं को बैंक से सहायता दिलाने का प्रबन्ध किया जाता है। तथा सहायता पश्चात ४ प्रतिशत से अधिक ब्याज खादी कमीशन द्वारा निर्गत फिजीबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर ब्याज उपादान दिया जाता है।

५- उद्यमियों का अस्थाई पंजीकरण -

इच्छुक उद्यमियों का अस्थाई पंजीकरण छः माह की अवधि हेतु प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर लिया जाता है। जिससे उद्यमी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सफाई को उत्पादन स्तर तक स्थापित कर लें।

६- स्थाई पंजीकरण -

औद्योगिक इकाई की स्थापना के पश्चात उद्यमी के आवेदन पर प्रबन्ध

(ग्रामोद्योग) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के संस्तुति पर स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ।

७- उन्नतिशील उद्योगों में प्रशिक्षण -

इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रबन्धक जिला - प्रबन्धक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा लिया जाता है ।

८- करों में छूट -

१- उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग तथा वित्त पोषित व्यक्तियों, इकाइयों को ४०००रूपये तक आर्थिक सहायता पर स्टाम्प ड्यूटी देय होती है ।

२- सहकारी समितियों एवं समाज सेवी संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति प्रदान की गयी है तथा समिति संस्थाओं को चुंगी कर । रोल टेक्स , टर्मिनल टेक्स, बिक्री कर एवं वाथ टेक्स से मुक्ति प्रदान की जाती है ।

कर्जा के लिये प्रार्थना-पत्र कहां से मिलता है एवं कहां जमा होता है -

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दफतर प्रत्येक जिले में जहां जिला ग्रामोद्योग अधिकारी या प्रबन्धक ग्रामोद्योग का दफतर है । जिला मुख्यालय के अतिरिक्त खादी बोर्ड के ए०डी०ओ० व सुपरवाइजर कुछ तहसील व कुछ विकास खण्ड नियुक्त हैं । आई०एस०वी० जो कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की देखरेख में काम करेंगे । इन सब स्थानों पर कर्मचारियों के द्वारा कर्जा के लिये आवेदन प्राप्त कर सकते हैं । और कर्जा जिला ग्रामाद्योग अधिकारी के कार्यालय में मंजूर होकर मिल सकता है ।

वर्ष १९८६-८७ का एक्शन प्लान -

वर्ष १९८६-८७ के लिये खादी कमीशन से रू० २९३.११ लाख रूपये खादी हेतु एवं १५३९ लाख रूपये ग्रामोद्योग के लिये बजट स्वीकृति की है । जिसके आधार पर टास्क सेटिंग कर दी गई है । खादी आयोग के अपेक्षा की है कि उक्त ऋण राशि में से ४४६.९० लाख की राशि व्यवसायिक बैंकों से प्राप्त की जाये इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड परिधि में जाने वाले ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिये व्यवसायिक बैंकों से रू०१०१४.६ लाख की धनराशि प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में बैंकों को

आदेश दिये गये हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र के गावों में अपनी शाखायें खोलें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिये पुर्नवित्तीयन योजना बनायी है। विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये है। जिनका काम कुटीर एवं ग्रामोद्योगों की सहायता पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारती रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि बैंक अपनी कुल ऋण का ४० प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को दें कुटीर और ग्रामोद्योग प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आदिवासी विकास निगम, अनुसूचित जाति और आदिवासी निगम आदि कुटीर और ग्रामोद्योग इकाइयों की सहायता के लिये तत्पर है। यहां तक कि भूमि विकास बैंकों ने अभी ग्रामोद्योगों के सहायतार्थ योजनायें बनाई है। इस प्रकार ग्रामोद्योग के विकास के क्षेत्र में अनेक अभिकरण कार्य कर रहे हैं।

बैंक वित्त -

पहाड़ी सीमान्त और कमजोर वर्ग क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग के क्रियान्वयन के लिये उदार वित्तीय सहायता दी जाती है। मान्य औजारों उपकरणों की आपूर्ति ७५ प्रतिशत अनुदान तथा २५ प्रतिशत ऋण और कार्यशालाओं के निर्माण के लिये ५० प्रतिशत ऋण और ५० प्रतिशत अनुदान। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यक्रम के लिये व्याज मुक्त ऋण तथा ग्रामोद्योग के लिये ४ प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसी योजना विकसित की है जिसको आधार पर कार्यान्वियी अभिकरण बैंकों से ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने वाले अभिकरणों का मात्र ४ प्रतिशत वार्षिक व्याज देना पड़ता है। और वास्तविक व्याज तथा ४ प्रतिशत व्याज के बीच की भिन्नता को आयोग उपदान स्वरूप बैंको को भुगतान करता है।

वर्ष १९८३-८४ तक खादी कमीशन के मिलने वाली सहायता बहुत सीमित थी परन्तु बोर्ड एवं प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष १९८४-८५ से इस सहायता में वृद्धि हुई जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट है।

वर्ष	खादी ऋण	अंशदान	ऋण	ग्रामोद्योग अनुदान
१९८०-८१	४.२२	०.५४	२७१.२०	३७.३०
१९८१-८२	८.८९	०.४१	२३७.७५	२९.४७
१९८२-८३	-	-	३१६.९३	३७.३९
१९८३-८४	३०.१५	०.६९	४२१.१५	४०.८८
१९८४-८५	१२३.४६	०.५६	७४९.३५	६८.०८
१९८५-८६	५३.६२	०.०७	८६०.८४	८६.३३

यद्यपि बोर्ड के कार्य-कलाप पहले की अपेक्षा बढ़े हैं परन्तु स्टाफ में वृद्धि नहीं हुई है फिर भी अपने सीमित साधनों से बोर्ड ने उत्साह वर्धक कार्य किया है ।

खादी ग्रामोद्योग के प्रसार हेतु प्रशिक्षण महत्वपूर्ण -

प्रशिक्षण खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अनुबंध नहीं बल्कि सह प्रगति विधि है । जो खादी और ग्रामोद्योगों के विस्तार के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । पुर्नपरिमार्जित बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण तकनीकी का उन्नयन एक आवश्यक तथ्य है जिसमें प्रशिक्षण केन्द्रों को एक उत्प्रेरक भूमिका अदा करनी है। विशेषकर देश के सुदुरतम भागों में स्थित गावों के लाभ ग्रहीताओं के लिये तकनीकी के स्थानान्तरण में सातवीं योजना में जैसी परिकल्पना की गई है है उसके अनुसार खादी ग्रामोद्योग गतिविधियों के विस्तार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक चार्टर है और १३ सूत्र आवश्क रूप से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: ग्रामीण विकास से ही सम्बन्धित है। यहां तक कि शेष कार्यक्रमों में भी ग्रामीण विकास की ही गंध मिलती है। पुनश्च ग्रामीण विकास योजनाओं को चलाने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग व्यापक रूप से जाना जाता है अतएव उन्होंने भागीदारों का आव्हान किया कि वे अपने उत्तरदायित्वों से न भागे बल्कि महत्वपूर्ण परिणामों के लिये अपने आपको पुन: समर्पित करें । ग्रामीण प्रौद्योगिकी के दो पहलू हैं । प्रथम नवाचार, उन्नत औजारों और उपकरणों की पहचान और

विज्ञान को व्यवहार में लाना तथा इसका लाभ ग्रहीताओं के लिये कौशल और तकनीकी का स्थानान्तरण करना । यह दूसरा पहलू जो है वह अधिक कठिन है एवं महत्वपूर्ण भी है पुणे में आयोजित विज्ञान और तकनीकी कार्य गोष्ठी में जब इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की गयी थी तो यह निष्कर्ष निकला था कि तकनीकी के स्थानान्तरण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्यन्त आवश्यक है । तथा उन्होंने आगे कहा कि पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायता और स्थापना को इस कार्य के लिये अनुकूल होना चाहिये ।

आयोग के प्रशिक्षण केन्द्रों के पास और भी बुनियादी तथा गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम का सार और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिये । जब तक कि यह आवश्यक अंश पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाता है तब तक समर्पित और वचनबद्ध कार्यकर्ताओं को खादी ग्रामोद्योग कार्य के लिये जो कि बहुत जरूरी है मिलना बड़ा कठिन होगा । साथ ही आधुनिकता के नाम पर प्रार्थना, सामुदायिक जीवन को तिलांजलि नहीं दे दी जानी चाहिये । एक खादी ग्रामोद्योगी कार्यकर्ता को समग्र सेवक होना चाहिये और ग्रामीण ढांचे में उसकी एक विशेष पहचान होनी चाहिये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिये आयोग की चिन्ता का जिक्र करते हुए श्री थामस ने कहा की खानापुर में केन्द्रीय ग्रामीण कुम्हारी संस्थान और पुणे में केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है इसके अलावा राष्ट्रीय जैव गैस प्रशिक्षण केन्द्र नासिक के लिये भवन निर्माणाधीन है। विद्यालय के अन्तर्गत साबुन बनाने का प्रशिक्षण काफी प्रसिद्ध हो चुका है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वर्तमान वर्ष में यह केन्द्र रक्षा विभाग को उसके दो गुने मूल्य का नहाने का साबुन आपूर्ति करने में समर्थ होगा जिसके लिये बातचीत चल रही है ।

खादी ग्रामोद्योग के प्रशिक्षण केन्द्र -

उद्योगों के प्रभावशाली एवं सुनियोजित ढंग से विकसित करने में उद्यमियों को प्रशिक्षण देना एक प्रमुख अंग है। खादी आयोग एवं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की नीति है कि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाये और ग्रामोद्योग का सही रूप में विकास किया जाये इसलिये विभिन्न

ग्रामोद्योगों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नप्रकार है।

१-	खादी खादी एवं ग्रामोद्योग विद्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग स्वर्गाश्रम पो० कुआसागर, झांसी	क्षेत्रीय गांधी आश्रम अकबरपुर जिला फैजाबाद	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय सेवापुरी, वाराणसी
२-	अखाद्य तेल एवं साबुन अखाद्य तेल एवं साबुन प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्रीय गांधी आश्रम अकबरपुर जिला फैजाबाद	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अखाद्य तेल साबुन प्रशिक्षण सेवा सदन भीलवाड़ा (राजस्थान)	अखाद्य तेल एवं साबुन केन्द्र एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला ग्रामीण निर्माण मण्डल ग्रामोद्योग समिति जयप्रकाश नगर प्रो० बुनियादगंज (बिहार)
३-	अगरबत्ती अगरबत्ती प्रशिक्षण केन्द्र खादी ग्रामोद्योग आयोग अम्बा समुद्रम सर्वोदय संघ गांधी नगर वीरा पुनल्लर जि० तिरन्नेलवेली (तामिलनाडु)	रिफ्रेशर प्रशिक्षण केन्द्र पायलेट अगरबत्ती केन्द्र गुण नियंत्रण एवं मानकीकरण प्रशिक्षण केन्द्र कुटीर दियासलाई उद्योग आयोग (जि० थाना)	
४-	लोहा एवं काष्ठ कला बहुधन्धीय बढ़ईगीरी एवं लोहा वर्कशाप, खादी ग्रामोद्योग आयोग दहाणु जिला - थाना	बहुधन्धीय प्रशिक्षण केन्द्र खादी ग्रामोद्योग आयोग अभय आश्रम कैम्पसनिराटी (कलकत्ता)	बहुधन्धीय प्रशिक्षण केन्द्र खादी ग्रामोद्योग आयोग २६२२ बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)
५-	अनाज दाल प्रशोधन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग साइंस कालेज के पीछे जिला वर्धा		
६-	चर्म उद्योग		
१-	चर्मालय खादी ग्रामोद्योग कमीशन	गांधी आश्रम सेवापुरी वाराणसी	राजकीय मण्डल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बख्शी का तालाब, लखनऊ

७- माचिस

तनों का विस्तार केन्द्र कुटीर दियासलाई उधोग मिल्क प्लान्ट के सामने बल्देव नगर, (अम्बाला सिटी)

तकनीकी विस्तार केन्द्र कुटीर दियासलाई उधोग खादी ग्रामोधोग आयोग सघन क्षेत्र विकास समिति पो० सेवापुरी, वाराणसी ।

कुटीर दियासलाई उधोग प्रशिक्षण केन्द्र म०प्र० खादी ग्रामोधोग बोर्ड स्टेशन रोड रायपुर ।

८- गुड़ खाण्डसारी

गुड़ खाण्डसारी प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम एवं पो० कनवली, देहरादून ।

९- हाथ कागज

हाथ कागज उत्पादन संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान के० बी० जोशी रोड, कृषि विधालय कम्पाउण्ड ५, शिवाजी नगर, महाराष्ट्र

हाथ कागज शोध परियोजना (एस० टी०) सेल्यू लोज एवं पेपर ब्रांच कृषि विभाग अनुसंधान संस्थान पो० यू० फारिष्ट देहरादून ।

प्रयोगात्मक हाथ कागज इकाई खादी आयोग पो० क्वाली देहरादून ।

१०- ताड़ गुड़

विज्ञान टेक्नोलाजी अन्वेशन केन्द्र ताड़ गुड़ उधोग निदेशालय, दहाड़ी, जि० थाना ।

११- मधुमक्खी पालन

केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान खादी ग्रामोधोग

आयोग ११५३,गणेश खिंड
रोड कृषि कालेज के सामने वीर
चाफेकर रोड, पूना ।

१२-	ग्रामीण तेल उद्योग पर्यवेक्षक और मिस्त्री प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण तेल उद्योग सघन क्षेत्र विकास समिति सेवापुरी, वाराणसी	उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र पावर घानी यूनिट ग्रामीण तेल उद्योग निदेशालय खादी ग्रामोद्योग आयोग राजघाट,नईदिल्ली	ग्रामोद्योग मण्डल सात्ता आश्रम शुक्ल गंज , कानपुर ।

१३- कुम्हारी उद्योग केन्द्रीय ग्राम
कुम्हारी संस्थान,खादी ग्रामोद्योग
आयोग पो०खानापुर जि० बिलगांव

१४- चूना उद्योग

चूना उद्योग तकनीकी विस्तार
सेवा केन्द्र न्यू सहन धारा
रोड, देहरादून ।

१५- जड़ी बूटी उद्योग

फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट को
कोओपरेटिव डिपार्टमेंट रानीखेत
नैनीताल

१६- रेशा उद्योग -

रेशा उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र करुणापुरम, मद्रास	विमलालय इंस्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस चित्तौड़ रोड,एरनाकुलम(केरल)

१७- गोंद उद्योग -

इण्डियन लेक रिसर्च इन्स्टीट्यूट
नाम कुंज रांची, बिहार ।

खादी और ग्रामोद्योग के समक्ष अवरोध -

जब १९५३ में अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना हुई तभी से ग्रामोद्योगों कार्यक्रम के प्रति सरकार की वचनबद्धता रही है। वास्तविक रूप में खादी और ग्रामोद्योगों के कार्य निष्पादन में आशातीत वृद्धि हुई , इस क्षेत्र में लगे कारीगर १९५५-५६ से इसकी उपलब्धियों से गौरव महसूस कर सकते हैं ।

खादी एवं ग्रामोद्योग की उपलब्धियां १९५५-५६ से १९८६-८७ तक निम्न हैं।

उत्पादन (करोड रू०)	१९५५-५६	१९८६-८७
खादी	५.५४	२१८.०६
ग्रामोद्योग बिक्री (करोड रू०)	१०.९३	१०९८.६६
खादी	०४.३७	२०८.२७
ग्रामोद्योग रोजगार (लाख व्यक्ति)	००.९०	१२०८.८०
खादी	६.५७	१३.८८
ग्रामोद्योग पारिश्रमिक (करोड रू०)	३.०७	२६.८२
खादी	३.३३	१०६.३६
ग्रामोद्योग	३.६०	२९८.७२

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का श्रोत-

लेकिन इस कार्य निष्पादन के आलोचनात्मक विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें आत्म संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। और यदि हम राष्ट्रपिता द्वारा प्रतिपादित इस काम में लगे कारीगरों के प्रति कुछ न्याय करना चाहते हैं तो हमें अभी एक लम्बा रास्ता पार करना है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग को " सर्वोदय समाज " की स्थापन में प्रमुख स्थान दिया ताकि ये इसके लिये एक प्रभावशाली औजार का काम करें। सर्वोदय समाज से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जो विकेन्द्रित तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रणाली से स्वाश्रयी हो ऐसे समाज में लोक सत्ता को सर्वोपरि नहीं माना जायेगा। जिसका सबकारण कारण यह है कि सरकार राष्ट्रीय आयोजना के एक

अंग के रूप में कार्यक्रम को गरीबी निवारण के सीमित उद्देश्य के रूप में सहायता करती है ।

प्रभाव में अन्तराल -

सरकार द्वारा निधि दिये जाने के कारण व्यापक प्रसार के बावजूद अभी भी विशाल क्षेत्र खादी ग्रामोद्योगों से अछूता है । (अभितक यह कार्य १.५ लाख गावों तक ही पहुंच पाया है । पिछले वर्षों में तमाम यत्न के बावजूद खादी ग्रामोद्योगी कार्यकर्ता १८ लाख पारम्परिक कारीगरों को आच्छादित कर सके हैं । और शेष ५८ लाख कारीगर अपने भाग्य भरोसे हैं । चार दशकों के बाद भी उन्हें स्वतंत्रता की ज्योति अभी महसूस करती है। यह सही है कि ४०.७० लाख कारीगर हमारे कार्य क्षेत्र में आ गये हैं । और वस्तुत: उनके उपार्जन में भी वृद्धि हुई है परन्तु इसमें कोई गारन्टी नहीं है कि उनका स्तर उनके पूर्वजों से कहीं अच्छा होगा क्योंकि मुद्रास्फिति रूपी सर्पिणी उनके बढ़े पारिश्रमिक का बड़ा भाग चट कर जाती है।

सुघरी प्रोद्योगिकी ने कुछ हद तक खादी ग्रामोद्योगी कारीगरों को मुद्रा स्फिति की चुनौती का सामना करने में मदद की । विगत अनेक वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ उपलब्धि भी हुई है । वस्त्र प्रणाली में नया माडल चर्खे अर्द्ध-स्वचलित चर्खे और सुघरे कुम्हारी चाक आदि कुछ एक मदों को छोड़कर ग्रामोद्योगों की अनेक तथा-कथित विकास योजनायें अस्थायी प्रकृति की हैं । अब कोई नहीं कह सकता कि लाखों हाथ चावल कूटक पारम्पिरिक कारीगर और पारम्परिक सूतकार कहां चले गये ।

- आर्थिक सहायता -

क्र० सं०	आर्थिक सहायता के श्रोत	सहायता के मद	ऋण अदायगी की अवधि
१	२	३	४
१-	उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	१- उपकरण, मशीन	५ वर्ष, ४ किश्तों में
		२- शेड, कार्यशाला	प्रथम किश्त दूसरे वर्ष के अंत में
	(अ) ग्रामोद्योग हेतु	३- कार्यशील पूंजी	५ वर्ष, ३ किश्तों में प्रथम किश्त तीसरे वर्ष के अंत में

क्र० सं०	आर्थिक सहायता के स्रोत	सहायता के मद	ऋण अदायगी की अवधि
	(ब) खादी हेतु	हिस्सा पूंजी, मशीन, उपकरण शेड कार्यशाला कार्यशील पूंजी हिस्सा पूंजी	३० प्रतिशत ३० प्रतिशत ४० प्रतिशत ५ वर्ष बराबर किश्तों में। १० वर्ष बराबर किश्तों में।
२-	जिला सहकारी बैंक (६० प्रतिशत गारंटी स्कीम में) (खादी ग्रामोद्योग की सहकारी समितियों हेतु)	कार्यशील पूंजी	संयुक्त निदेशक उद्योग की जमानत रहने तक

राष्ट्रीय कृत बैंक उ०प्र० वित्तीय निगम -

क्र० सं०	आर्थिक सहायता के स्रोत	सहायता के मद	ऋण की अवधि	व्याज दर	दण्ड व्याज	निर्णायक अधिकारी एवं संस्था
१	२	३	४	५	६	७
(अ)	डी०आर०आइ०योजना ६५०००रु० तक	मशीन उपकरण ५०००रु० तक कार्यशील पूंजी १५००रु० तक	५ वर्ष बराबर किश्तों में	४ प्रतिशत	ऋण की समय से अदायगी न करने पर ५ प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड व्याज देय	१०००रु०तक जनपद के प्रबंधक जिला ग्रमोद्योग अधिकारी ।
(ब)	कम्पोजित योजना २५००० रु० तक	मशीन उपकरण, कार्यशील पूंजी	८ वर्ष बराबर किश्तों में	,,	,,	१०००रु०से उपर ५०००रु०तक सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय बित्त समिति ।
(स)	जनरल २५०००रु० से ऊपर	मशीन उपकरण कार्यशाला, कार्यशील पूंजी	तीन साल ३६ किश्तों में	,,	,,	५०००रु से उपर १००००रु० तक बोर्ड मुख्यालय के मुख्य - पालक अधिकारी ।
(द)	नाबार्ड की रिफानैंसिंग योजना ५००००रु०तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में ।	,,	दस वर्ष बराबर	,,	,,	१००००रु० से ऊपर बोर्ड की स्थाई वित्त समिति
				बिना व्याज		
				७-$\frac{१}{२}$ प्रतिशत(सीमित)		प्रबन्धक प्रशासक जिला सहकारी बैंक
				४$\frac{१}{२}$- प्रतिशत (सरकार)		
				४प्रतिशत	४प्रतिशत	शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित बैंक
				१०प्रतिशत पिछड़े क्षेत्र	४प्रतिशत	,,
				१२प्रतिशत अन्य क्षेत्र	४प्रतिशत	,,
				१२$\frac{१}{२}$--प्रतिशत	४प्रतिशत	,,
				७ प्रतिशत	-	,,

जमानत की व्यवस्था -

क्र०	ऋण दाता एजेन्सी	ऋण के पात्र	जमानत के लिये आवश्यक सम्पत्ति एवं प्रपत्र चार हजार ऋण तक के लिये	चार हजार से अधिक ऋण के लिये	जमानत की	स्टेम्प अदायगी की दर	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
१-	उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	व्यक्तिगत उद्यमी	१- आवेदक उद्यमी अथवा दो जमींदारों की अचल सम्पत्ति के आधार पर ग्राम प्रधान का हैसियत प्रमाणीकरण २- रूपया ५-०० मूल्य के स्टेम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित आवेदक उद्यमी अथवा दो जमींदारों के हलफनामा ३- नगर क्षेत्र के उद्यमी अपनी अचल सम्पत्ति के प्रमाण हाउस टैक्स की रसीद अथवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैसियत प्रमाण-पत्र ।	आवेदक उद्यमी अथवा उसके किसी निकट सम्बन्धी की अथवा सम्पत्ति सम्यक बन्धक हेतु	वांछित ऋण का १३३प्रतिशत	व्यक्तिगत उद्यमी चार हजार तक कोई स्टेम्प नहीं। चार हजार से अधिक की धनराशि पर ४२०५० प्रति हजार की दर से स्टेम्प लाने होंगे ।	सम्यक बन्धक पांच हजार से अधिक के ऋण पर ही कराया जायेगा। इससे कम की धनराशि पर आवश्यक नहीं
२-	..... त दै व.....	समाज सेवा संस्थायें	चार हजार तक ऋण प्रदान करने का कोई पेटर्न नहीं	अचल सम्पत्ति का टाइटिल रजिस्ट्री व वसीयतनामा हाउस टैक्स की रसीद नगर-पालिका के एसेसेमेन्ट रजिस्टर का एक्सटेम्स २१-००रु मूल्य के स्टेम्प पर			
३-	उ०प्र० खादी	पंजीकृत औद्योगिक सहकारी समितियां	वांछित ऋण का ११८ हिस्सा पूंजी समिति में जमा होना आवश्यक है अर्थात समिति को को जमा शुदा हिस्सा पूंजी का आठ गुना तथा ऋण दिया जा सकेगा	जमानत में दी जाने वाली सम्पत्ति के विषय में तहसीलदार द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं मूल्यांकन प्रमाण-पत्र सब-रजिस्ट्रार पंजीयन द्वारा निर्गत बारह वर्षीय भार मुक्ति प्रमाणपत्र	वांछित ऋण का १३३प्रतिशत	व्यक्तिगत उद्यमी को चार हजार तक कोई स्टेम्प नहीं, इससे अधिक धनराशि पर ४२०५० प्रति हजार की दर से स्टेम्प लाने होंगे	सम्यक बन्धक पांच हजार से अधिक के ऋण पर ही कराया जायेगा इससे कम की धनराशि पर आवश्यक नहीं।

क्र० सं०	ऋणदाता एजेन्सी	ऋण के पात्र	जमानत के लिये आवश्यक सम्पत्ति एवं प्रपत्र चार हजार ऋण तक के	चार हजार से अधिक के ऋण के लिये	जमानतकी माप	स्टेम्प अदायगी दर	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
४-	जिला सहकारी बैंक (६०प्रतिशत गारंटी योजना के अन्तर्गत	पंजीकृत औद्योगिक सहकारी समितियां	वांछित ऋण का ११८ हिस्सा पूंजी समिति में जमा होना आवश्यक है अर्थात समिति को जमा शुदा हिस्सा पूंजा का आठ गुना तथा ऋण दिया जा सकेगा।	जमानत ५रु० मूल्य के स्टेम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित सम्यक बन्धक सम्बन्धी हलफ-नामा	-	-	-
५-	<u>राष्ट्रीयकृत बैंक</u>						
	(अ) डी०आर०आई० योजना ६५००रु० तक	व्यक्तिगत उद्यमी	कोई जमानत नहीं	ग्रामीण क्षेत्रों की अचल सम्पत्ति के लिये कुटुम्ब रजिस्ट्रार की नकल आवेदक संस्था का निजी अथवा उसकी कार्यकारिणी के किसी सदस्य की निजी अचल सम्पत्ति सम्यक बन्धक के लिये अन्य व्यक्तिगत उद्यमियों की भांति यथावत्	-	पांच रु० का जनरल स्टाम्प	सम्यिक बन्धक पांच हजार से अधिक के ऋण पर ही कराया जायेगा इससे कम की धनराशि पर आवश्यक नहीं
	(ब) कम्पोजिट लोन २५०००रु० तक						
	(स) जनरल						
	(द) नाबाद <u>रिफाइनेंसिंग योजना</u>						
	१- ३०,०००रु० तक	,,	,,	वांछित ऋण के लिये समिति के जमाशुदा हिस्सा पूंजी ११८ जमा होनी चाहिये।	वांछित ऋण १३प्रतिशत	कोई स्टेम्प नहीं	,,
	२- ३०,०००रु० से ऊपर	,,	,,	यदि समिति की अपनी अचल सम्पत्ति है तो उसका सम्यक बन्धक बोर्ड के हक में करना होगा। अन्य प्रपत्र व्यक्तिगत - उद्यमियों की भांति यथावत ६० प्रतिशत गारंटी स्कीम के अन्तर्गत प्रबन्धक सामान्य प्रबंधक की संस्तुति पर संयुक्त निदेशक उद्योग की गारंटी पर उपरोक्त सम्यक बन्धक कार्यवाही	१३प्रतिशत	६रु०के जनरल स्टाम्प पर	-

पंजीयन एवं लाइसेन्स -

क्र० सं०	विवरण	अवधि	पंजीयन अधिकारी
१-	अस्थाई पंजीयन प्रस्तावित उद्योग हेतु	६ माह	जनपद के प्रबन्ध ग्रामोद्योग
२-	स्थाई पंजीकरण(कार्यरत इकाई हेतु)	ई के कार्यरत रहने तक	सामान्य प्रबन्ध जिला उद्योग केन्द्र
३-	विद्युत शक्ति	,,	आवेदन-पत्र प्रबन्धक ग्रामोद्योग सामान्य प्रबन्धक की संस्तुति क बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित द्वारा की जाती है।
४-	सेल्स टैक्स पंजीयन(५०००रु० से अधिक उत्पादन वाली इकाइयों पर	एक वर्ष हेतु	जनपद के बिक्री कर अधिकारी
५-	फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन		
	(अ) शक्ति चलित इकाइयां जहां १० अथवा इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हो	एक वर्ष हेतु	जनपद के श्रम कार्यालय में नियुक्त श्रम निरीक्षक के माध्यम से मुख्य कारखाना निरीक्षक (कानपुर)
	(ब) शक्ति विहीन इकाइयां जहां १० या २० से अधिक श्रमिक कार्यरत हो	,,	.... तदेव ....
६-	शक्ति विहिन अनाज दाल प्रशोधन	एक वर्ष	जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी
	(अ) मण्डी समिति का प्रमाण-पत्र	,,	
	(ब) फूड परमिट।		
७-	बेकरी मसाला उद्योग	एक वर्ष	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
	(अ) स्वच्छ प्रमाण-पत्र	-	
८-	माचिस उद्योग	एक वर्ष	जिला अधिकारी
	(अ) स्टरलिंग लाइसेन्स		
	(ब) सल्फर एक्साइज लाइसेन्स	,,	एक्साइज अधीक्षक अधिकारी
९-	फल प्रशोधन एवं फल संरक्षण उद्योग	-	-
	(अ) स्वच्छता प्रमाण-पत्र	एक वर्ष	जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी
	(ब) एफ०पी०ओ० लाइसेंस(फूड प्रोडक्ट आर्डर)	,,	वरिष्ठ निरीक्षक अधिकारी फल व सब्जी परिरक्षण लखनऊ की संस्तुति पर दिल्ली से निर्गत किया जाता है।

१	२	३	४
१०-	कुम्हारी उद्योग (ईंट भट्टा उद्योग) (माइनिंग लाइसेन्स)	एक वर्ष	प्रभारी अधिकारी जिला परिषद्
११-	काष्ठकला उद्योग (अ) अनापत्ति प्रमाणपत्र	,,	जिले के वन विभाग के अधिकारी द्वारा
१२-	चर्मच्छेदन।हड्डी चूरा इकाई (अ) मृत पशुओं के उठाने का ठेका	,,	जिला परिषद् द्वारा
१३-	गोंद, कत्था, जड़ी बूटी उद्योग संग्रह तथा उत्पादन प्रमाण-पत्र	,,	जिले के वन विभाग द्वारा
१४-	गुड़ खांडसारी उद्योग	,,	मण्डल के सहायक गन्ना आयुक्त
	(अ) पावर क्रेसर लाइसेंस	,,	जनपद के गन्ना निरीक्षक के माध्यम से
	(ब) एक्साइज लाइसेन्स	,,	जनपद के एक्साइज अधिकारी
१५-	ताड़ गुड़		
	(अ) गुड़ निर्माण लाइसेन्स एस०टी०वन	,,	जनपद के आबकारी अधिकारी
	(ब) नीरा सम्भरण एवं आपूर्ति एस०टी०टू	,,	,,
	(स) नीरा की फुटकर बिक्री एस०टी०थ्री	,,	,,
१६-	खादी उत्पादन अनापत्ति प्रमाण-पत्र	तीन वर्ष	खादी कमीशन लखनऊ के प्रमाण-पत्र समिति द्वारा
१७-	फिजिबिल्टी रिपोर्ट	प्रति वर्ष इकाई की स्थापना करने से पूर्व	क्षेत्र निदेशक खादी ग्रामोद्योग कमीशन वाराणसी

अध्याय - चार

झांसी जिला एवं खादी तथा ग्रामोद्योग

झांसी जिले की भौगोलिक स्थिति

झांसी जिले में औद्योगीकरण एवं ग्रामीण औद्योगीकरण

झांसी जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के (झांसी मण्डल) के अन्तर्गत पांच जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन आते हैं। इस मण्डल का भौगोलिक क्षेत्रफल २९४१७ वर्ग कि०मी० है। वहां की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग कि०मी० १८५ है जबकि प्रदेश का औसत घनत्व ३७७ है। मण्डल में २२ तहसीलें, ४७ विकास खण्ड तथा ५२३४ ग्राम हैं। यह मण्डल उ०प्र० की दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है जिसके उत्तर में जनपद इटावा है। दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व में कानपुर तथा पूर्व में फतेहपुर, इलाहाबाद एवं मध्यप्रदेश की सीमा है।

जनपद-झांसी

भौगोलिक क्षेत्रफल -	५०२४ वर्ग कि०मी०
जनसंख्या -	११,३७,०००
पुरुष-	६,०८,०००
स्त्री-	५,२९,०००
ग्रामीण-	७,०६,०००
नगरीय -	४,३१,०००
पशुओं की संख्या-	७,६० ,०००

भौगोलिक स्थिति -

जनपद-झांसी उ०प्र० के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर में जनपद-जालौन पूर्व में जनपद-हमीरपुर और दक्षिण में जनपद-ललितपुर तथा पश्चिम में म०प्र० प्रान्त है।

तहसील एवं विकास खण्ड -

क्र० सं०	तहसील	विकास खण्ड
१-	झांसी	बबीना, बड़ागांव
२-	मऊरानीपुर	बंगरा, मऊरानीपुर
३-	मोंठ	चिरगांव, मोंठ
४-	गरौठा	गुरसरांय , बामौर

नरपालिकायें-

१- झांसी   २- मऊरानीपुर   ३- बरुआसागर   ४- समथर

टाऊन एरिया -

चिरगांव, मोंठ, गुरसरांय, कटेरा, एरच , रानीपुर

ग्रामों की संख्या-   ८३६

न्याय पंचायत -   ६५

रेल्वे स्टेशन हाल्ट सहित १५

वर्षा जलवायु -   सामान्य वर्षा ८४८ मी०मी०

  औसतन ११६४ मि०मी०

तापमान -   उच्चतम ४८.५ सेंटीग्रेड

  न्यूनतम   १.२ ,,

विद्युत -   विद्युती ग्राम - २६५ (३७२) १९८७-८८ में

जनसंख्या का घनत्व - २२६ प्रति वर्ग कि०मी०

तहसील, विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालय से दूरी -

क्र० सं०	तहसील	विकासखण्ड का नाम	जिला मुख्यालय से दूरी
१-	मोंठ	चिरगांव, मोंठ	२६ कि०मी० ५० मी०
२-	गरौठा	गुरसरांय, बामौर	१०५ कि०मी० १२५ मी०
३-	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर, बंगरा	६५ कि०मी० ५० मी०
४-	झांसी	बबीना, बड़ागांव	२६ कि०मी० १५० मी०

मुख्यालय झांसी दिल्ली, मद्रास तथा दिल्ली-बम्बई आने जाने वाली मुख्य राष्ट्रीय रेल लाइन पर स्थित है जिसके कारण उत्तर एवं दक्षिण भारत से इसका सीधा एवं द्रुतगामी सम्पर्क है। इसके अतिरिक्त यह झांसी-लखनऊ तथा झांसी-मानिकपुर रेल लाइन से भी जुड़ा हुआ है।

इस क्षेत्र में प्रमुखतया: बेतवा, धसान, पहुंज, शहजाद, जामिनी, यमुना तथा केन नदियां है जिनका पानी भूमि सिंचाई आदि के लिये प्रयोग में आता है। मण्डल की जलवायु गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में सर्द रहती है।

प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी रही है। विषम भौगोलिक स्थिति, जलवायु, आवागमन के अपर्याप्त साधन, क्षेत्रीय निर्धनता इत्यादि कई कारण है जिनके फलस्वरूप इस क्षेत्र का आशानुकूल औद्योगिक प्रगति अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। यह क्षेत्र मूलतः कृषि पर ही आधारित है और औद्योगिक दृष्टि से यह अभी भी पिछड़ा हुआ है। अतः क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके इस क्षेत्र में कृषि साथ-साथ आर्थिक उन्नति के लिये वृहद् , लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के समुचित विकास हेतु अधिक ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। जिससे इस क्षेत्र में विशेषकर ग्रामों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर साधन एवं स्रोत सुलभ हो सकें इस क्षेत्र के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में समुचित वृद्धि हो सके ।

औद्योगीकरण को गति देनेके लिये न केवल झांसी अपितु बुन्देलखण्ड क्षेत्र अन्य चारों जनपदों को प्रदेश के घोषित पिछड़े जनपदों की श्रेणी में रखा गया है । साथ ही मण्डल के तीन जनपदों, जालौन, बांदा हमीरपुर को " शून्य उद्योग " जनपद घोषित कर इन जनपदों में अनेक प्रकार की अतिरिक्त सुविधायें एवं सहायतायें भी उपलब्ध करायी गयी हैं जिनके फलस्वरूप अब पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र की औद्योगिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

वर्तमान में जनपद-झांसी में ६ वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित एवं कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त अभी तक इस क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों। आशय पत्रों तथा डी०जी०टी०डी०रजिस्ट्रेशन के विपरीत झांसी में ४ वृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्योग निर्माणाधीन हैं जिनके शीघ्र उत्पादन में आने की सम्भावना है ।

भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार यंत्र संयत्र पर अधिकतम ३५ लाख रु० तक की पूंजी विनियोजन की लागत से स्थापित होने वाली इकाइयां लघु उद्योग की श्रेणी में आती है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित उद्योगों की संख्या १०८३ थी जिनमें २६६.४३ लाख रु० पूंजी निवेश तथा ११०२२ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

वर्ष १९८५-८६ तथा १९८६-८७ से १९८७-८८ तक स्थापित उद्योगों की कुल संख्या ९२० तथा पूंजी निवेश ३३.३-६१ लाख रु० जिसके अन्तर्गत ३१९३ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत झांसी जनपद में वर्तमान में कार्यरत वृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों का कुल संख्या ६ है जिसके अन्तर्गत पूंजी निवेश ६३९६.१८ लाख रु० तथा १०९१५ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है ।

नये उद्योग जो निर्माणाधीन हैं झांसी-जनपद के अन्तर्गत निर्माणाधीन उद्योगों की संख्या ४ है। पूंजी निवेश २४३३.०० लाख रु० तथा रोजगार ४४० व्यक्तियों को उपलब्ध है ।

अनुपूरक उद्योग -

झांसी-ललितपुर रोड पर ग्राम बलार (झांसी से लगभग १९ कि०मी० दूर है । में स्थापित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कारखाने से एक कि०मी०की दूरी पर उ०प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा अनुपूरक इकाइयों की स्थापना हेतु एक अनुपूरक इकाइयों की स्थापना हेतु एक अनुपूरक औद्योगिक आस्थान का निर्माण कराया गया है । जिसमें ६ अनुपूरक इकाइयां स्थापित हैं ।

हस्तकला उद्योग -

१- पीतल की मूर्ति एवं खिलौने - झांसी जनपद में पीतल के गुलदस्ते ,एश-ट्रे, लैम्प रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर सवार मूर्ति का उत्पादन होता है । इन इकाइयों को कच्चा माल स्थानीय बाजार में सपलब्ध हो जाता है। इस कार्य में झांसी शहर व आस-पास लगभग २५-३० कारीगर कार्यरत हैं ।

२- ऊनी कालीन उद्योग - झांसी-जनपद में भी झांसी शहर, बिजौली तथा बरुआसागर में कालीन बनाने के उद्योग में लगभग २०० करघे लगे हुए हैं जिसपर लगभग ६५० कारीगर कार्य करते हैं । ये कारीगर भी अधिकांशतया कच्चा माल दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, लुधियाना तथा कानपुर खादी से खरीदते हैं और तैयार माल की बिक्री भी दिल्ली, ग्वालियर तथा आगरा में ही फिनिश कराकर करते हैं ।

३- पेपरमेसी उद्योग -

झांसी जनपद के ग्राम पिछोर की बांगया, झांसी से लगभग ६ कि०मी० में लगभग ३ परिवार पेपर मेसी बनाने का कार्य करते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर सवार स्टेचु, वीनस, बैठा हुआ कुत्ता, जानवर आदि बनाते हैं।

४- हथकरघा उद्योग -

हथकरघा उद्योग की दृष्टि से झांसी-जनपद का प्रमुख स्थान है। झांसी जनपद का रानीपुर तथा मऊरानीपुर क्षेत्र टेरीकाट शूटिंग तथा शर्टिंग के लिये देश भर में प्रसिद्ध है। जनपद-झांसी में कुल बुनकरों की संख्या २०१५० है।

झांसी जनपद में हथकरघा उद्योगों का विवरण -

क्र० सं०	मद। कार्यक्रम	संख्या
१-	कुल बुनकर	२०१५०
२-	कुल हथकरघों की संख्या	१००००
३-	सहकारी बुनकर	३८५४
४-	सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	५७८५
५-	बुनकर समितियों की संख्या	१३७
६-	कार्यरत समितियों की संख्या	११८
७-	पूंजी विनियोजन (स्थाई कार्यशील पूंजी) लाख रु० में	११८.०००
८-	वस्त्रों का मासिक उत्पादन (मीटर में)	१८.००
९-	रोजगार सृजन	२०५००

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड -

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी आयोग के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को विशेषकर ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, महिलायें हो या कारीगर हो अथवा उद्यमी।

खादी तथा ग्रामोद्योगों के माध्यम से अनाज दाल प्रशाधन ग्रामीण तेल, गुड़ खांडसारी, साबुन, चर्म कुम्हारी, दियासलाई, अगरबत्ती, मधुमक्खी पालन, काष्ठ एवं लौह कला, हाथ कागज, रेशा, कुटीर, चूना, जड़ी-बूटी संग्रह, बांस बेंत, फल-प्रशाधन, गोंद, लीसा, एल्युमिनियम के बर्तन, कत्था, नाड़ गुड, गोबर गैस, खादी तथा कम्बल बुनाई आदि छोटे-छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत छठवीं-पंचवर्षीय योजना एवं सातवीं-पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता की जनपद-झांसी की स्थिति -

क्र० सं०	विवरण	संख्या	पूंजी निवेश
१-	छठ वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक	६६७	२६.८३
२-	वर्ष १९८५-८६ से १९८६-८७ तक की प्रगति	५४६	२८.४६
३-	वर्ष १९८७-८८ के माह से दिसम्बर ८८ तक की प्रगति	१०६	५.८

झांसी जनपद में औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी उपलब्ध विशेष सुविधायें -

(अ) औद्योगिक क्षेत्र -

झांसी-जनपद के ग्राम बिजौली (झांसी ललितपुर रोड पर झांसी शहर से ७ कि०मी० दूर) में लगभग २५० एकड़ भूमि पर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर स्थापित किया गया है जिसमें २४३ भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में २०८ भू-खण्ड, १६५ उद्यमियों को आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयां उत्पादन रत तथा २० इकाइयां निर्माणाधीन हैं। अन्य १५ इकाइयां अपना उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद बन्द हो गयी हैं तथा शेष ५० इकाइयों द्वारा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग ३५ भू-खण्ड आवंटन हेतु रिक्त हैं।

(ब) औद्योगिक आस्थान -

उद्यमियों को अपने उद्योगों की स्थापना हेतु सर्वप्रथम भूमि, भवन की आवश्यकता

स्थापना होती है जिसकी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद में उद्योग निदेशालय उ०प्र० द्वारा औद्योगिक आस्थान स्थापित कराये गये हैं। औद्योगिक आस्थान - योजनान्तर्गत उद्योगों हेतु विकसित भू-खण्डों तथा निर्मित भवनों का आवंटन लीज/हायर परचेंज के आधार पर किया जाता है।

(स) मिनी औद्योगिक आस्थान -

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण का बढ़ावा देने एवं उद्योगों की स्थापना हेतु विकसित भूमि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष १९८५-८६ तथा ८-८७ में शासन द्वारा १० मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्वीकृति प्रदान की गयी। झांसी जनपद में बांरा तथा मोंठ का चयन मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु किया गया।

(द) प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र -

इस योजना के अन्तर्गत झांसी जनपद में मऊरानीपुर में स्थापित राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र पर सिलाई एवं लौह कला के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसमें प्रशिक्षार्थियों ६ माह तक की अवधि का प्रशिक्षण लेना होता है तथा प्रशिक्षण काल में २०रू० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत चीनी पात्र विकास केन्द्र कोछा भांवर पर सिरेमिक्स में भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें प्रशिक्षार्थियों को ५०रू० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

उ०प्र० हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर उनके द्वारा उत्पादित माल को क्रय कर बिक्री किये जाने कर उद्देश्य से मऊरानीपुर में कच्चा माल डिपो तथा बिक्री केन्द्र की स्थापना की गयी है।

(य) राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र (कोछाभांवर -

झांसी से लगभग ८ कि०मी० दूरी पर झांसी-कानपुर रोड पर ग्राम कोछाभावर में १० एकड़ भूमि पर उद्योग निदेशालय द्वारा खुर्जा तथा चुनार की भांति लगभग २५ लाख रुपये की लागत से एक चीनी पात्र विकास केन्द्र की स्थापना करायी गयी है। इस केन्द्र पर कार्यालय, भवन, कुंआ, मशीन, वर्कशेड, भट्टी चिमनी तथा दस पात्रकार निर्मित

शेड उपलब्ध कराये गये हैं। इस केन्द्र पर दस पात्रकार शेडों में से ४ शेड उद्यमियों को आवंटित किये जा चुके हैं। अभी तक इस केन्द्र पर लगभग ४० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

झांसी जनपद में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में मांग पर आधारित कुछ उद्योगों की अच्छी सम्भावनायें हैं जो मुख्यत: मिल्क प्रोसेसिंग ओटोमेटिक बेकरी, वेजीटेबिल घी ३० मे० टन पशु आहार, सोफ्ट ड्रिंक्स, वेजीटिबिल डीहाइड्रेशन फूड वेजीटबिल प्रिजर्वेशन आदि है।

जनपद में ग्रमोद्योग के स्थापित होने की सम्भावनायें-

१- कृषि आधारित उद्योग -

काष्ठकला अनाज दाल प्रशोधन, तेल, फल संरक्षण, मसाला रेशा तथा बेकरी उद्योग।

२- वन आधारित उद्योग - फर्नीचर एण्ड बिल्डिंग मटेरियल, जड़ी-बूटी संग्रह, गोंद कत्था, बांस, ताड़ गुड एवं नीरा उत्पादन, कुम्हारी ईंट भट्टा उद्योग

३- पशुपालन पर आधाररित उद्योग -

चर्म शोध, चर्मकला, हड्डी चूरा, ऊनी कम्बल उद्योग।

४- खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग -

चूना, गोरा पत्थर, वस्तु निर्माण, मूर्ति कला, सीमेन्ट जाली, एल्युमिनियम एवं लोह कला।

५- टेक्सटाइल उद्योग - उनी, रेशमी व सूती खादी का उत्पादन, कढ़ाई एवं बुनाई तथा सिले-सिलाये कपड़ो का निर्माण।

जनपद में साक्षरता -

पुरुष	-	१८६४६६	योग - २५२२४१
स्त्री	-	६२७७२	

जनपद-झाँसी हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यक्रमों का विवरण -

आगामी वर्षों में नवीन योजनायें जनपद-झाँसी में प्रस्तावित हैं जिन पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका ह । उनका विवरण निम्न प्रकार है -

वृहद् ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्र (कम्बल उत्पादन) -

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग आयोग ने (कम्बल उद्योग) सहकारी समिति लिमिटेड ५०८, खट मार्केट, ओरछा रोड, झाँसी का चयन ऊनी खादी हेतु किया है जिसके अन्तर्गत उपकरण आदि समिति को उपलब्ध करा दिये हैं योजना की सम्पूर्ण लागत ६.८५ लाख रू० होगी जिस केन्द्र हेतु समिति ने फ्री होल्ड जमीन उपलब्ध करादी है । उक्त केन्द्र की एक इकाई ५०८ खड मार्केट ओरछा रोड, झाँसी तथा दूसरी इकाई टोड़ी फतेहपुर (विकास खण्ड गुरसराँय) में स्थापित की जावेगी। साल में दो सत्र होंगे जिनमें दोनों स्थानों में १०० प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण पावेगी । अब स्थापना मद की धनराशि ६.३७ लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास के माध्यम से भेजा जा चुका है ।

१- राज्य सरकार के अंशदान की स्वीकृति डी०आर०डी०ए० कार्यालय झाँसी को प्राप्त हो चुकी है । आशा है शीघ्र ही कार्य क्रियान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षण काल का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वहन करेगा । प्रशिक्षार्थियों हेतु कार्यशाला एवं हास्टल सुविधायें भी प्रशिक्षण अवधि में उपलब्ध कराई जावेगी और जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है । अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र रेशा, मौ पाल मऊरानीपुर में तथा मसाला व चर्म का झाँसी में स्थापित किया गया है । छात्रवृत्ति ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी द्वारा निर्धारित पेटर्न के अनुसार दिया जायेगा।

२- शोध केन्द्रो पर ग्रामोद्योगी इकाइयों की समूह के स्थापित करने का कार्यक्रम जनपद- में झाँसी, मऊरानीपुर, चिरौना(चिरगाँव(खेलार) (बबीना) एवं मौठ में कुम्हारी, चर्म पावर घानी, मसाला बेकरी व गोंद उत्पादन की इकाइयों के समूह में स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

३- ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादन की व्यवस्थित बिक्री करने के उद्देश्य से झांसी शहर में ग्रामोद्योगी बिक्री भण्डार की स्थापना करादी गई और उत्पादित माल की बिक्री होने लगी है।

जनपद-झांसी वर्ष १९८८-८९ में ब्लाक वाइज गांवों का नाम जहां आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी तथा कच्चे माल तथा ग्रामोद्योगों का विवरण -

क्र० सं०	नाम ब्लाक	ग्राम का नाम	प्रस्तावित उद्योगों के नाम	उपलब्ध कच्चेमाल
१	२	३	४	५
१-	बड़ागांव	भट्टा गांव सिरक पट्टी, श्रीनगर करारी, पालर, पिछोर बड़ागांव, बरुआसागर	कुम्हारी, चर्म, चना लोहा, काष्ठ, अनाज दाल, रेशा, अगरबत्ती बांस बेंत, फल प्रशोधन	मिट्टी, लकड़ी, लोहा रेशा, सन, घास, बांस चर्म घना पत्थर आदि
२-	मऊरानीपुर	धवाकर, स्यावरी सदरका, बड़ागांव महरा, मऊरानीपुर	ताड़, गुड़, चर्म, रेशम कुम्हारी, तेल, शहद अगरबत्ती	ताड़, खुर के पेड़ शहद, तिलहन, लकड़ी, चर्म, लोहा, तिलहन, सन, मिट्टी आदि
३-	बंगरा	कटेरा, लारौन, लुहारी सकरार, बिजना, कटेरा देहात	कुम्हारी, चर्म, रेशा बांस, बेंत, लकड़ी	चर्म, सन, बांस, लकड़ी
४-	गुरसरांय	टाड़ी फतेहपुर	चर्म कुम्हारी, तेल, अगरबत्ती, दाल, रेशा	
५-	बामौर	पाड़ा, साली	चर्म, बांस बेंत, कुम्हारी, ईंट भट्टा, रेशा, तेल	
६-	बबीना	सैलार, बिजौली हंसारी मुथुरापुरा रक्सा	चर्म, बांस बेंत, कुम्हारी, ईंट भट्टा	

क्र० सं०	नाम ब्लाक	ग्राम का नाम	प्रस्तावित उद्योगों के नाम	उपलब्ध कच्चे माल
१	२	३	४	५
७-	मोंठ	भुजोंद, सैमरी समथर, साकिन पूंछ	फल संरक्षण, काष्ठ, लोहा, चर्म, कुम्हारी, तेल बांस, आरबत्ती	
८-	चिरगांव	अमरा, बरल, बकुंवा बुजुर्ग, उफियान	फल संरक्षण, काष्ठ लोहा, चर्म, कुम्हारी, तेल बांस, आरबत्ती	

विभिन्न निगमों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधायें -

(अ) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम -

१- कच्चे माल का वितरण.
२- मशीनों की आपूर्ति, किराया क्रय पद्धति के आधार पर
३- तकनीकी परामर्श उपलब्ध करना ।
४- स्टोर परचेज कार्यक्रम के अन्तर्गत विपणन सहायता के लिये जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण.
५- कार्यकारी आस्थानों की स्थापना
६-

(ब) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कानपुर -

१- निर्यात वृद्धि हेतु क्रेडिट गारण्टी, विपणन तथा डिजाइन आदि की व्यवस्था।
२- निर्यात को एवं विभिन्न निर्यात विकास परिषदों के बीच कैश इन्सेन्टिव हेतु सामन्जस्य स्थापित करना ।
३- निर्यातकों को निर्यात अधिकार के समक्ष आयात लाइसेन्स प्राप्ति में पर्याप्त सहायता करना ।
४- छोटे निर्यात कर्ताओं की सुविधा के लिये स्वयं निर्यात करना।
५- निर्यातकों को डाकुमेन्टेशन एवं पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना।
६- विदेशी बाजारों की सर्वेक्षण रिपोर्ट, निर्यातकों को उपलब्ध कराना ।

७- निर्यातक डाकुमेन्टेशन के समक्ष १० प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।

(स) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम -

१- उपयुक्त स्थानों पर भूमि अर्जित कर विकसित कर आवंटित करना ।

२- व्यवस्थापित सार्वजनिक कम्पनियों के अंश अभियोजन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

३- संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना ।

(द) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कान्सलेन्टेस लिमिटेड, कानपुर -

१- प्रोजेक्ट लाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना ।

२- प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर उपलब्ध कराना।

३- प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने हेतु शासन द्वारा सब्सिडी के वितरण हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करना ।

४-
(य) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन -

१- बिक्री कर की .... में ऋण

२- बैंकों में ऋण प्राप्त करने के लिये क्रेडिट गारण्टी प्राप्त करना ।

३- सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा निर्गमित अंशों का अनियोजन कर आर्थिक - सहायता प्रदान करना ।

४- फिजीबिलिटी स्टडी एवं प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायता विशेष रूप से रासायनिक, विद्युत एवं अन्य उद्योगों के लिये उपलब्ध कराना ।

(र) लघु उद्योग सेवा संस्थान-

१- यह संस्थान औद्योगिक सम्भावनाओं का सर्वेक्षण, तकनीकी, परामर्श, प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायता, उद्यमियता विकास प्रशिक्षण तथा इन प्लाण्ट स्टडी में संलग्न है ।

(ल) केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान(क्षेत्रीयप्रसार केन्द्र सूटरगंज, कानपुर-

१- चर्म उद्योग पर शोध कार्य

२- चमड़ा पकाने एवं चर्म वस्तु उत्पादन की देशी विधियों को विकसित करना।

३- चर्म उद्योग का गुणवत्ता की उन्नति करना व कच्चे माल के प्रयोग हेतु शोध कार्य

(व) केन्द्रीय सरकार संस्थान।नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट (कानपुर)-

१- गन्ने तथा शक्कर की उत्पादन प्रक्रिया एवं विजातियों पर शोध कर उत्पादन की प्रतिशत उन्नति ।

२- बचे तथा बेकार वस्तुओं के समुचित प्रयोग पर शोध तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना ।

३- गन्ना शक्कर तथा गुड़ खाण्डसारी उद्योग की उन्नति हेतु शोध प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध करना ।

विभिन्न क्षेत्रों में हुए अविष्कारों के द्वारा आत्म निर्भरता प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया है ।

कार्यकलाप-

१- शोध एवं विकास संस्थानों से उद्योगों को औद्योगिकी हस्तान्तरण

२- शोध एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित औद्योगिकी के उन्नति करने के लिये उद्योगों में सहयोग से प्रदर्शनों का आयोजन करना तथा प्रायोगिक।प्रारूप संयंत्रों की स्थापना करना ।

३- देश में आविष्कार प्रतिभो को प्रोत्साहित करना ।

४- प्रौद्योगिकी का क्षैतिज स्थानांतरण करना ।

५- तकनीकी का निर्यात करना ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान ।सी०एफ०टी०आर०आई०)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एफ०आई०आर०) का एक घटक केन्द्रीय खाद्य प्रदौद्योगिक अनुसंधान ने (सी०एफ०टी०आर०आई०) आज खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में कटाई उपरान्त अध्ययनों के लिये अग्रगामी अनुसंधान की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। २१ अक्तूबर-१९५० को विधिवत् उद्घाटित इस संस्थान की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है ।

मुख्य प्रयोगशाला कर्नाटक राज्य के मैसूर में है और मंगलूर ,हैदराबाद, नागपुर,बम्बई, लखनऊ तथा लुधियाना में क्षेत्रीय प्रयोग केन्द्र हैं ।

कालान्तर में संस्थान में इतनी निपुणता हासिल कर ली है कि अब वह खाद्य उद्योग की नहीं बल्कि खाद्य वितरण विपणन तथा तकनीकीकरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय एजेन्सियों को भी सलाह परामर्श देने की स्थिति में है। अनुसंधान और विकास केसाथ-साथ इसने गुणवत्ता के नियंत्रण में सहायता देना खाद्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार करना, प्रलेखन और परामर्श सेवायें प्रदान करना, मशीनों का निर्माण इत्यादि अन्य पहलुओं को भी महत्वपूर्ण माना ह अर्थात संस्थान में कटाई उपरान्त तकनीकी और खाद्य उद्योग के सभी पहलुओं पर काम हो रहा है इसलिये यह स्वाभाविक है कि सी०एफ०टी०आर०आई०आज सारे विश्व में एक ऐसे अनोखे संस्थान के में मशहूर है जहां खाद्य विज्ञान प्रायोगिक(तकनीकी से सम्बन्धित) सभी कार्य एक ही छत के नीचे सम्पन्न होते हैं ।

फल उत्पाद आदेश १९५५ के अन्तर्गत लाइसेन्से -

फल व सब्जी के संरक्षित उत्पादों के विक्रय हेतु उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये उत्पाद आदेश १९५५ के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है । फल उत्पाद आदेश १९५५ के अनुसार फैक्ट्री यन्त्र, संयत्रों की व्यवस्था हो जाने पर निम्न अधिकारियों को निरीक्षण के लिये सूचित करें ।

१- केन्द्रीय तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये -

वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी, फल व सब्जी परिक्षण, ३ गोखले मार्ग लखनऊ।

२- उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिये -

उप निदेशक(फल एवं सब्जी उत्पाद(खाद्य विभाग,भारत सरकार, कमरा नं०१२५ जामनगर हाउस,नईदिल्ली ।

३- निरीक्षण से संतुष्ट होने पर यह अधिकारी लाइसेन्स जारी करने के लिये निम्न अधिकारियों को संस्तुति सहित आवेदन-पत्र अग्रसारित करते हैं ।
निदेशक।फल एवं सब्जी उत्पाद(खाद्य निगम,कृषि भवन नईदिल्ली ।

४- आवश्यक सर्वेक्षण कराकरम उपलब्ध कच्चे माल के विभिन्न प्रयोगों पर शोध कर तकनीकी ज्ञान वर्धन कराना

५- शक्कर मिलों में आवश्यक औद्योगिकी विकसित करना

प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना (उद्योग निदेशालय)-

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए नवयुवकों विशेष रूप से कारीगर परिवार के सदस्यों को प्राविधिक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना एवं उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे विभिन्न कलाओं में निजी उद्योग की स्थापना कर जीविकोपार्जन का आधार प्राप्त करें । इस योजना को प्रदेश के २१ जिलों में २२ प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जो सामान्य जिला प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के अधीन हैं चलाया जा रहा है । इन केन्द्रों पर जनरल मैकेनिक काष्ठ, लौह कला, विद्युत कला, सिलाई, कम्बल, बुनाई, चर्म कला, मशीनिष्ठ, वैल्डिंग, मोटर मैकेनिक, टर्निंग तथा फिटिंग कलाओं में से दो वर्ष का प्रशिक्षण रहने की व्यवस्था के साथ २०-२५ रू० प्रति माह की छात्रवृत्ति पर दिया जाता है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०)-

ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में सर्वांगीण उन्नति हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम का नियोजन, संचालन, सफल क्रियान्वयन भौतिक तथा वित्तीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु जिला ग्राम्य विकास की स्थापना प्रदेश के प्रत्येक जनपद में की गई है ।

भारत सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम द्वारा आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना द्वारा ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करने एवं ट्राइसेम योजना द्वारा ग्रामीण युवक । युवतियों को उद्योगों स्वत: रोजगार में स्थापित प्रशिक्षित करने एवं ऋण।अनुदान सुविधा बैंकों द्वारा सुलभ कराकर अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास डी०आर०डी०ए०के माध्यम से किया जाता है ।

राष्ट्रीय शोध विकास निगम (एन०आर०डी०सी०)-

परिचय - इस निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर-१९५३ में एक शून्य लाभ (नान प्रोफिट) संगठन के रूप में हुई । निगम को स्वदेश विज्ञान एवं औद्योगिकी के

वर्ष १९८७-८८ में प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण -

क्र० सं०	उद्योगका नाम	इकाइ सं०	ऋण	अनुदान	योग
१-	फल प्रशोधन	४	४०००० रु०	-	४०००० रु०
२-	अनाज दाल प्रशोधन	१९	६१५०० रु०	१५००	६३००० रु०
३-	चर्म	४२	१९२७५० रु०	१७७५० रु०	२१०५०० रु०
४-	रेशा	५२	१९३७०० रु०	२३५०० रु०	२१७२०० रु०
५-	कुम्हारी	४२	१२२०२० रु०	१२०२० रु०	१३४०४० रु०
६-	लोह काष्ठ	१५	१६८५०० रु०	१३५०० रु०	१८२००० रु०
७-	चूना	७	४५६०० रु०	४६०० रु०	५०२०० रु०
८-	बांस तेल	४०	२३०००० रु०	३०००० रु०	२६०००० रु०
९-	आरबत्ती	१	३५००० रु०	-	३५००० रु०
१०-	एल्युमिनियम	१	४०००० रु०	-	४०००० रु०
११-	मौन पालन	मौनग्रह २० मधुनिष्कासन-२ मीडियम स्केल-१	२८०० रु०	४८०० रु०	७६०० रु०
योग -					

बजट-मांग १९८८-८९ एवं १९८९-९० का संकलन (जनपद का नाम - झांसी)

		वर्ष १९८८-८९				वर्ष १९८९-९०			
क्र० सं०	उद्योग	इकाई सं०	ऋण	अनुदान	योग	इकाई सं०	ऋण	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१-	चर्म उद्योग	८०	७३९०००	८००००	८१९०००	६५	२७००००	४५०००	३१५०००
२-	काष्ठ।लोह	७३	१२५९०००	३९०००	१२९८०००	७३	१२५९०००	३९०००	१२९८०००
३-	अनाज। दाल प्र०	४४	७५९०००	५०००	७६४०००	३७	२९२०००	५०००	५३२५००
४-	कुम्हारी	१००	४८५७०	२५७५०	५११५००	१३०	६८०० ५०	३०० ५०	७१० १००
५-	रेशा	८०	२७७६००	३७६००	३१५२००	१००	३४७०००	४७०००	३९४०००
६-	बांस तेल	५०	१८७५००	३७५००	२२५०००	५०	१८७५००	३७५००	२२५०००
७-	अखाद्य तेल।साबुन	३	२५४०००	१२०००	२६६०००	४	५४६०००	१२०००	५५८०१०
८-	गोंद	१०	२०००००	-	२०००००	१०	२०००००	-	२०००००
९-	आरबत्ती	९	३०७५००	-	३०७५००	१४	३९५०००	-	३९५०००
१०-	फल प्रशो०	१०	१०००००	-	१०००००	१०	१०००००	-	१०००००
११-	चूना	१३	१३६५००	३३००	१३९६००	१३	१३६५००	३३००	१३९६००
१२-	जड़ी बूटी संग्रह	२	४१५००	५१००	४६६००	२	४१५००	५१००	४६६००
१३-	ग्रामीण तेल	५	३५२०००	-	३५२०००	५	३५२०००	-	३५२०००
योग:		४७९	५०९९३५०	२४५२५०	५३४४६००	५१३	४१९६३००	२२४४००	४४१८७००

जनपद-झाँसी उ0प्र0 तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-झाँसी (१९८५-८६ - १९८९-९०)

क्र0	उद्योग	व्यक्तिगत वित्त पोषण (लाख रु0 में)	सं0	सहकारी वित्त पोषण (लाख रु0 में)	सं0	संस्थायें वित्त पोषण (लाख रु0 में)	सं0	योग वित्त पोषण (लाख रु0 में)	सं0	उत्पादन लाख रु0 में	बिक्री लाख रु0 में	रोजगार संख्या
१-	चर्म उद्योग	३०.००	१२.००	५.००	८	४.६०	६	४०.६०	१२१४	१२१८०	१३१.३०	३६४२
	बांस तेल											
२-	बांस तेल	६.२५	२.००	१.००	४	-	-	-२.२५	२०४	८.००	८.८८	६.१२
३-	गोंद संग्रह	१.००	-	०.८०	२	१.००	५	१.८०	७	५.४०	५.६५	.२५
४-	रेशा	२.००	.८०	१.००	२	-	-	३.००	.६२	६.००	६.६०	१.८०
५-	ग्रामीण तेल	५.००	.३०	२.००	८	२.२०	[illegible]	९.२०	.४२	३६.८०	३७.२५	१.२५
६-	लोह एवं काष्ठ	८.००	१.५०	२.८०	७	५.३०	५	१६.२०	१.६२	६४.८०	६५.५५	७.८७
७-	अनाज दाल प्रशो0	४.००	१.००	७.२५	५	४.४५	४	१५.७०	१.०६	४६.२०	४६.८५	३.२२
८-	ग्रामीण-कुम्हारी	१७.००	४.५०	१.३०	४	-	-	१८.३०	४.५४	५४.६०	७०.६०	१३.६०
९-	चूना	२.००	.२०	०.८५	१	१.७०	२	३.६०	.२३	१०.७०	१०.६०	.७०
१०-	एल्युमिनियम	०.६०	.०५	२.००	२	२.००	२	४.६०	.०६	१२.८०	१४.००	.३०
११-	साबुन	३.२०	.३०	४.५०	६	४.३०	८	१२.००	.४४	४८.००	५०.४०	१.२५
१२-	फल प्रशो0	३.२५	.०८	३.२५	२	२.६०	२	६.१०	.१२	२७.००	२६.३०	४०
१३-	ताड़ गुड़	२.००	१.८०	२.००	५	-	-	४.००	१.८५	८.००	८.८०	५.५५
१४-	माचिस	-	-	२.७०	३	२.००	२	४.७०	५	१२.००	१३.२०	.८८
योग-		७८.२०	२४.२५	३६.४५	५९	३०.१५	४०	१४४.८०	२५२४	४६५.४०	५०२.८०	७९.६१

झांसी जनपद में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत अनाज दाल प्रशोधन योजना का वित्तीय विवरण - १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	मऊरानीपुर	११	११०००	३३०००	-	४४०००
२-	मोंठ	१	५०००	३०००	-	८०००
३-	बड़ागांव	१	५००	३०००	५००	४०००
४-	झांसी	४	९५००	१२०००	१०००	२२५००
५-	गुरसरांय	१	७५००	३०००	-	१०५००
६-	बिरगांव	१	१०००	३०००	-	४०००

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत चूना उद्योग योजना का वित्तीय विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	मऊरानीपुर	१	५०००	४०००	-	९०००
२-	मोंठ	२	६१५०	७०००	११५०	१४३००
३-	बड़ागांव	२	६१५०	७०००	११५०	१४३००

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत लौह एवं काष्ठ कला उद्योग योजना का वित्तीय विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	बबीना	१	१८००	९ ३०००	१८००	६६००
२-	बड़ागांव	३	१७७००	१६०००	२७००	३६४००
३-	झांसी	२	३००००	२००००	-	५००००
४-	बामौर	२	२७००	६०००	२७००	११४००
५-	बंगरा	२	१६८००	१३०००	१८००	३१६००
६-	चिरगांव	४	१८६००	२९०००	३६००	५१२००

जनपद झांसी में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत फल प्रशोधन योजना का वित्तीय विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	बड़ागांव	१	५०००	५०००	-	१००००
२-	झांसी	१	५०००	५०००	-	१००००
३-	बंगरा	१	५०००	५०००	-	१००००
४-	चिरगांव	१	५०००	५०००	-	१००००

झाँसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुम्हारी उद्योग योजना का वित्तीय - विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	मऊरानीपुर	२	७१५	४०००	७१५	५४३०
२-	मोंठ	३	९३०	७०००	९३०	८८६०
३-	बड़ागांव	२३	३९३५	४६०००	३९३५	६११७०
४-	गुरसरांय	४	१४३०	८०००	१४३०	१०८६०
५-	बामौर	१	५००	१०००	५००	२०००
६-	बंगरा	१	१५०००	-	-	१५०००
७-	चिरगांव	८	२३६०	२९०००	२३६०	३३७२०

झाँसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत रेशा उद्योग योजना का वित्तीय- विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१-	मऊरानीपुर	११	५१७०	३३०००	५१७०	४३३४०
२-	मोंठ	२	९४०	६०००	९४०	७९८०
३-	बड़ागांव	९	४२३०	२७०००	४२३०	३५४६०
४-	झाँसी शहर	१	५१००	५०००	-	१०१००
५-	बामौर	७	३२९०	२१०००	३२९०	२७५००
६-	बंगरा	९	४२३०	२७०००	४२३०	३५४६०
७-	चिरगांव	१३	६११०	३९०००	६११०	५१२२०

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत चर्म उद्योग योजना का वित्तीय विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	मऊरानीपुर	१४	३५००	२८०००	३५००	३५०००
२-	बबीना	१	५०००	१२०००	-	१७०००
३-	मोंठ	५	१२५०	१००००	१२५०	१२५००
४-	बड़ागांव	४	१०००	८०००	१०००	१००००
५-	झांसी शहर	५	८२५०	३३०००	८२५०	५० ५००
६-	बामोर	२	५००	४०००	५००	५०००
७-	बंगरा	७	२५००	२२०००	१५००	४५०००
८-	चिरगांव	४	१०००	८०००	१०००	१००००

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत बांस बेंत उद्योग का वित्तीय-विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	अमरोख	१४	१० ५००	७००००	१० ५००	९१०००
२-	बड़ागांव	६	४५००	३००००	४५००	३९०००
३-	बामोर	६	४५००	३००००	४५००	३९०००
४-	बंगरा	६	४५००	३००००	४५००	३९०००
५-	चिरगांव	८	६०००	४००००	६०००	५२०००

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत मत्स्य पालन योजना का वित्तीय-विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	मऊरानीपुर	१	२८००	-	४८००	७६००

झांसी जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आरबत्ती उद्योग योजना का वित्तीय विवरण वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	झांसी	१	५०००	३००००	-	३५०००

जनपद-झांसी में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाव
एल्युमिनियम उद्योग योजना का वित्तीय विवरण
वर्ष १९८६-८७

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	झांसी	१	२५०००	१५०००	-	४००००

झांसी-जनपद में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का विकास खण्ड-वार वित्तीय विवरण -

क्र० सं०	विकास खण्ड	इकाई सं०	ऋण	कार्यशील पूंजी	अनुदान	योग
१-	मऊरानीपुर	४०	२८१८५	१०२०००	९३८५	१११३८५
२-	मोंठ	१३	१४२७०	३३०००	४२७०	५१५४०
३-	बड़ागांव	४९	४३०१५	१४२०००	१८०१५	२०३०३०
४-	झांसी	१५	८२७५०	११५०००	९२५०	२०७०००
५-	गुरसरांय	५	१०४७०	११०००	१४३०	२१३६०
६-	चिरगांव	३९	१०४७०	७९०००	९४७०	९८९४०
७-	बामौर	१८	११४९०	६२०००	११४९०	८४९८०
८-	बंगरा	२६	४६०३९	९७०००	१२०३०	१५७०६०
९-	अमरोख	१४	१०५००	७००००	१०५००	९१०००

विभिन्न विकास खण्डों में एवं योजना वार खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कार्यरत इकाइयां

क्र० सं०	योजना	विकास खण्ड वार संख्या								
		मऊरानीपुर	बबीना	बामौर	बंगरा	चिरगांव	झांसी	बमरौरा	गुरसांय	बड़ागांव
		१	२	३	४	५	६	७	८	९
१-	अनाज दाल प्रशोधन	११	१	-	-	१	४	-	१	१
२-	मोम पालन उद्योग	१	-	-	-	-	-७	-	-	-
३-	चर्म उद्योग	१४	५	२	७	४	५	-	-	४
४-	चूना उद्योग	१	२	-	-	२	-	[illegible]	-	२
५-	रेशा उद्योग	११	२	७	९	१३	१	-	-	९
६-	कुम्हारी उद्योग	२	३	१	१	८	-	-	४	२३
७-	लौह काष्ठ कला उद्योग	-	१	२	२	४	२	-	-	३
८-	बांस बेंत उद्योग	-	-	६	६	८	-	१४	-	६
९-	फल प्रशोधन उद्योग	-	-	-	१	१	१	-	-	१
१०-	क्षारबत्ती उद्योग	-	-	-	-	-	१	-	-	-
११-	एल्युमिनियम उद्योग	-	-	-	-	-	१	-	-	-
योग :		४०	१४	१८	२६	४१	१५	१४	५	४९

अध्याय - पाँच

झाँसी जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग

समस्याये एवं सुझाव

उपसंहार

पिछले पचास वर्षों के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। बाजार में त्रुटिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के द्वारा वर्तमान समय में मांग पैदा की जाती है। और उसी के अनुसार उत्पादन किया जाता है । वास्तविक उत्पादन के पूर्व उत्पाद विकास उत्पाद उन्नयन विज्ञापन बिक्री अभियना, प्रदर्शनी आदि पर बहुत धन खर्च किया जाता है। जोरदार विपणन उत्पादन की बुनियादी आवश्यकता रही है। हम देखते हैं कि आज उत्पाद का बिक्री मूल्या उत्पादन की फेक्ट्री निकासी कीमत तथा प्रमुख लागत से भी अधिक है। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के आरम्भिक वर्षों में बिक्री मूल्य तथा उत्पादन की फेक्ट्रीनिकास लागत में कुछ सम्बन्ध रहता था। किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारण "व्यापार कितना सह सकता है उस सिद्धान्त पर आधारित है" बिक्री उन्नयन लागत के कारण अनेक वस्तुओं का बिक्री मूल्य बढ़ गया है मूल्य वृद्धि का नैतिक औचित्य नहीं है। अधिक उपरी लागत के वास्तविक लाभ ग्राही शहरी क्षेत्रों के प्रबुद्ध वर्ग है।

केन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था मेंउपक्रमियों, व्यापारियों और सरकारी अफसरों का संग्रह हैमेंनिहित स्वार्थ होता है। प्रति इकाई कम लाभ और अधिक उत्पादन करके आर्थिक मुनाफा कमाने के बजाय व प्रति इकाई कम उत्पादन पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर आर्थिक मुनाफा कमाना ज्यादा पसन्द करते हैं।

इस प्रकार पूरी अर्थ-व्यवस्था मुद्रा स्फीति कारी हो जाती है। पारिश्रमिक वृद्धि से उत्पन्न मुद्रा स्फीति और लागत वृद्धि से उत्पन्न मुद्रा स्फीति फलत: केन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था से आय एवं सम्पत्ति में असमानतायें बढ़ जाती है। निहित स्वार्थ वाले यह सिद्धान्त हांकते हैं कि मुद्रा स्फीति की हल्की छूट आर्थिक विकास के लिये टानिक का काम करती है परन्तु वास्तव में शराब की भांति मुद्रा स्फीति की यह मात्रा कभी कम नहीं रहती है और सम्पूर्ण समाज मुद्रा स्फीति का आदि हो जाता है। समृद्धि की भ्रान्ति पैदा होती है। उत्पादक,कर्मचारी और कारीगर जैसे आम आदमी को लगता है कि वह अधिक आय करता है परन्तु उसे यह नहीं पता है कि वह कितना खोता है। जब पारिश्रमिक बिल बढ़ता है तब श्रमिक यूनियन प्रबन्ध के साथ समझौता करता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई काम करने वाले लोगों में कमी होती है और आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रति कारीगर काम का भार बढ़ जाता है। व्यक्तिगत रूप से कारीगर अधिक कमाता है किन्तु समूह के रूप में उत्पादन लागत में उसका हिस्सा कम हो जाता है। मुद्रा -

स्फीति का कुप्रभाव गरीब तबके के लोगों और अर्थ-व्यवस्था की सबसे छोटी औद्योगिक इकाइयों पर कम पड़ता है और वृहद् स्तरीय इकाइयाँ इसे फेलने में समर्थ हैं। इस प्रकार मुद्रा स्फीति से और अधिक केन्द्रीकरण होता है इसलिये विकेन्द्रीकरण के प्रवर्तकों को मुद्रा स्फीति का विरोध करना चाहिये क्योंकि यह छोटी इकाइयों का शत्रु है।

मुख्य अवरोध -

केन्द्रीकरण की अपेक्षा विकेन्द्रीकरण अधिक आर्थिक है। यह सिद्ध करने के लिये केन्द्रीकरण के समर्थकों के पास अनुभव सिद्ध आंकड़ों का अभाव है। जो कि एक मुख्य अवरोध है। वृहद् स्तरीय उद्योग पर कितनी सामाजिक लागत लगी इसे जानने के लिये कोई संक्षिप्त सूचना नहीं है। एक अनुमान के अनुसार बम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में समाज को एक व्यक्ति पर औसतन ८०,०००रुपये खर्च करना पड़ता है। हर स्तर पर उपदान दिया जाता है। प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही दृष्टि से सरकार बड़े उद्योगों को कई तरह से मदद करती है। छूटकर, छूट खरीद, वरीयता, भूमि आवन्टन, बिजली निर्यात प्रोत्साहन के उपाय रियायती ब्याज दर पर ऋण, आसान ऋण वगैरह प्रत्यक्ष मदद है। विश्वविद्यालयों, तकनीकी एवं शोध संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, औद्योगिक तकनीकी संस्थानों इत्यादि की स्थापना करके सरकार परोक्ष सहायता प्रदान करती है। शिक्षा सबसे अधिक उपदानित मद है और इसके वास्तविक लाभग्राही वृहद-स्तरीय इकाइयां है। अनियोजित विकास के कारण शहरी उद्योग ने गन्दी बस्तियों सामाजिक तनाव कानून और व्यवस्था तथा पर्यावरण समस्याओं को जन्म दिया है। इसके अलावा बड़े उद्योगों ने विद्यमान उत्पादन से श्रमिकों के विस्थापन की समस्या पैदा की है। इस सामाजिक लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बम्बई माडर्न बेकरी इकाई ने लगभग ५००० छोटी बेकरी इकाइयों को विस्थापित कर दिया है। प्लास्टिक उद्योग कुम्हारी को हटा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव घड़ी में है। अत: यहां पुराने तथा नये उद्योग साथ-साथ चलते हैं। गावों में पारम्परिक उद्योगों में गिरावट और सीमान्त किसानों में वृद्धि होने से कृषि श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष १९६१ में कुल कार्य शक्ति में इन श्रमिकों की संख्या १६.७ प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष १९८५ में २२.७ प्रतिशत हो गयी।

प्रौद्योगिकी का चुनाव -

भारत में आर्थिक नियोजन की यह कमजोरी है कि जो प्रौद्योगिकी परिश्रम

प्रोद्योगिकी के चुनाव में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । जो प्रोद्योगिकी पश्चिम देशों के लिये उपयुक्त है वह भारत के लिये भी उपयुक्त होगी यह जरूरी नहीं है । उत्पादक कार्य में विशाल मानव शक्ति को उपयोग करना सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी जानकार व्यक्ति तभी वृहद स्तरीय प्रोद्योगिकीयों को छोटा रूप देना नहीं चाहेगा न तो वह अपेक्षित है और न सम्भव ही । लोहा और इस्पात,जहाज निर्माण, रेल कार एवं अन्य वाहनों एवं रक्षा उत्पादन को बरबर बड़ी ही नहीं अपितु अत्याधुनिक प्रोद्योगिकियों को अपनाना होगा । इसके विस्तार से विकेन्द्रीकरण को सहायता मिलेगी किन्तु बहुत से उपभोक्ता सामग्री उत्पादन करने वाले उद्योग हैं जिनमें लघु प्रोद्योगिकी अपेक्षित ही नहीं बल्कि सम्भव भी हैं । ये उद्योग हैं वस्त्र,खाद्य,तिलहन पिराई,फल सब्जी प्रशोधन,साबुन उत्पादन, चर्म वस्तु निर्माण भवन सामग्री, कृषि आधारित उद्योग रेशा यत्तीादिन इन उद्योगों में उपयुक्त लघु तकनीकी के साथ उत्पादन के उपयुक्त पैमाने का पता लगाना आवश्यक है। यह काम नहीं किया गया है। इसके बारे में सामाजिक लागत लाभ का अध्ययन करना आवश्यक है । आर्थिक श्रम लगाने की क्षमता ही लघु स्तरीय निर्माण का मुख्य औचित्य है । यह सही है कि लघु स्तरीय निर्माण की सिफारिश करते वक्त इस बात पर ध्यान देना होगा कि वस्तुओं की कमी के कारण उपभोक्ता उससे वंचित न हो ऐसा होने पर उपभोक्ता का शोषण साथ ही उससे जितनी कीमत देने को कहा जाये वह बहुत ही अधिक न हो दूसरे शब्दों में उपभोक्ता के हितों की रक्षा होनी चाहिये उससे अनुचित त्याग करने को न कहा जाये । यह भी सिद्ध हो गया है कि वृहद् स्तरीय इकाइयों की तुलना में लघु स्तरीय निर्माण में निवेश उत्पादन और निवेश रोजगार अनुपात अधिक अनुकुल है ।

गुणवत्ता पर कम जोर देना खादी ग्रामोद्योगी आन्दोलन का अभिशाप रहा है। पारम्परिक चरखे के अध्ययन का मुख्य ध्येय उत्पादकता बढ़ाना और जान लेवा श्रम को दूर करना है। इसी भांति पोर्टेबल तेलघानी में भी कई परिवर्तन किये गये हैं । उन उपकरणों के आदि रूप से इन उद्देश्यों को पूरा किया किन्तु भारी संख्या में इन औजारों की आपूर्ति करने की लगन में गुणवत्ता को नजर अन्दाज कर दिया गया है इसका परिणाम यह हुआ कि आज हजारों ऐसे औजार बेकार पड़े हैं । सक्षम मशीनों औजारों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है । इसके निर्माण और आपूर्ति पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। गुण-वत्ता पर हमेशा ध्यान देना चाहिये। खादी ग्रामोद्योगों को बैंकों द्वारा प्रदत्त बिल को मार्गदर्शक माना जाये तो यह

पाया जाता है कि समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम जन-जातीय उपयोजना और ऐसे ही अन्य सरकारी कार्यक्रमों में जिन कारीगरों को वैयक्तिक रूप से बिल प्रदान किया गया था वे देश के सुदूर स्थानों में बिखरे पड़े थे और बैंक वहां की यथार्थ साख - आवश्यकताओं गैर साख आधा दिये गये ऋण के उपयोग के पर्यवेक्षण आदि की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते थे। पुनर्भुगतान में भी यही समस्या आती थी इसी प्रकार कारीगरों ने भी कच्चा माल प्राप्त करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रोद्योगिकी उपकरण, प्रशोधन के नये तरीकों और विपणन सुविधाओं आदि का अनुभव किया। बैंकों के लिये ग्रामीण औद्योगिक सहकारिताओं को बिल प्रदान करने में आसानी ही रहनी चाहिये थी। तथापि अधिकांश समितियां रोग ग्रस्त बन्द हैं क्योंकि उनका वित्तीय आधार कमजोर है, साख सुविधायें अपर्याप्त हैं। कच्चा माल मिल नहीं पाता विपणन सुविधायें अपर्याप्त हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। निहित स्वार्थ है पर्यवेक्षण और नियन्त्रण का अभाव है तथा कुल मिलाकर सम्बन्धित अधिकारियों की तरफ से काम के प्रति उदासीनता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद मिश्रण में भी बहुत बड़ा ढांचात्मक परिवर्तन हुआ है। खादी की लोकप्रियता घट रही है और अन्य उद्योगों के उत्पादन की लोकप्रियता बढ़ रही है। स्वभावतः यह गांव के लोगों की मनःस्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है क्योंकि जो इस शताब्दी के पांचवे दशक में खादी के लिये आकर्षित हुए थे अब वे मिल की वस्तुओं को अपनाने लगे हैं क्योंकि ये वस्तुएं अधिक आकर्षक, टिकाऊ और सस्ती हैं। दूसरा परिवर्तन यह दिखाई पड़ा कि ग्रामीण उद्योगों में जितने लोग लगे थे उनमें से दो तिहाई से अधिक (६८ प्रतिशत को १९६५ में खादी में रोजगार मिला। वर्ष १९८४-८५ में खादी में आज ३४ प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला।

ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम को न केवल गुणवत्ता एवं उत्पादकता उन्मुख ही होना चाहिये बल्कि बाजार में माल की मांग भी होना चाहिये। यदि विपणन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे ग्रामीण औद्योगिकरण कार्य के लिये बाधा उत्पन्न हो जायेगी। वास्तव में ग्रामीण उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री के लिये नयी विपणन रणनीति विकसित करने की दिशा में अब तक कोई प्रभावकारी कार्य नहीं किया गया है।

खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रम की सबसे कमजोर कड़ी प्रशिक्षण है नीतियों में परिवर्तन के कारण विगत वर्षों में सुस्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में ठोस प्रशिक्षण

व्यवस्थाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। कई स्थानों में प्रशिक्षण केन्द्रों की भर्ती की क्षमता का भी उपयोग पूरा-पूरा नहीं हो पा रहा है।

खादी के बाद खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुटीर दियासलाई एक सबसे बड़ा श्रम प्रधान उद्योग है। जहाँ तक कारीगर प्रशिक्षण की बात है अन्य उद्योगों मी स्थिति छात्रवृत्ति लेने मात्र के उद्देश्य से अनिच्छुक होते हुए भी प्रशिक्षण के लिये आये। सारे देश में प्रशिक्षित के स्थान पर अप्रशिक्षित व्यक्ति ज्यादा हैं। प्रारम्भ से ही संस्थाओं और समितियों से आयोग सदैव यही आग्रह करता है कि वे केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों ही काम पर लाये। कुछ राज्यों में बहुत सी संस्थाओं में अधिकांशत: अप्रशिक्षित कार्यकर्ता ही भरे पड़े हैं।

खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रम का मानीटरिंग कमजोर है। कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन न तो त्रिमाही न ही वार्षिक आधार पर तुरन्त भेजा जाता है न ही समस्त विकास को क्षमता पूर्वक मानीटर किया जाता है।

कारीगरों की समस्यायें -

१- असंगठित क्षेत्र के कारों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या विपणन की है। ऐसे कारीगरों को अपने तैयार माल को समय से बेचने हेतु दलालों तथा बिचौलियों की शरण में विवश होकर जाना पड़ता है।

२- विपणन के बाद दूसरी समस्या कच्चे माल की उपलब्धता है। कच्चे माल के लिये ग्रामीण कारीगर बिचौलियों के शोषण का शिकार होते हैं।

३- ग्रामीण परम्परागत कारीगर आधुनिक तकनीकी फैशन तथा बाजार की मांग से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं और अपना कार्य पुराने ढंग से करता रहता है।

४- अनपढ़ होने के कारण ज्यादातर ग्रामीण कारीगर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं।

५- अपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण कारीगण न तो स्तरीय कच्चा माल ही खरीद पाते हैं एवं न ही अधिक दिनों के लिये कच्चा माल खरीदकर भण्डारण ही कर पाते हैं।

६- सरकारी तथा सहकारी स्तर पर तैयार माल के विपणन व कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव भी ग्रामीण कारीगरों की एक आम समस्य है।

क) असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार माल में गुणवत्ता का अभाव होता है। उनके उत्पादन के स्तर को सुधारने के लिये कुछ चुनी हुई संस्थाओं का गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिये ।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा असंगठित और विकेन्द्रित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य वृद्धिशील बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आवश्यकता का सृजन करना है। खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम में लगी अधिकांश संस्थायें लगातार घाटे में चल रही हैं जोकि उनके अस्तित्व को बनाये रखने तथा विकास में तो बाधक है ही साथ ही इससे विद्यमान रोजगार अवसरों का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। अतः इस क्षेत्र की रुग्णता को प्रभावी ढंग से दूर करना एक अहम सवाल है। इस गम्भीर समस्या की तरफ सरकारी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों एवं अन्य विकास अभिकरणों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। रुग्णता के लक्षण की पहचान प्रारम्भिक स्तर पर की जानी चाहिये और रुग्णावस्था को दूर करने एवं रोकने के उपाय तुरन्त करने चाहिये ।

रुग्णता क्या है -

सामान्यतः रुग्णता की परिभाषा यह है कि रुग्ण इकाई वह है जो निरन्तर आधार पर आन्तरिक अतिरेक के सृजन में असफल हो जाती है तथा अपनी जीव्यता के लिये निरन्तर बाहरी निधि पर निर्भर करती है। इस प्रकार एक कमजोर इकाई हमेशा कार्यकारी पूंजी की कमी की समस्या का सामना करती है ।

खादी और ग्रामोद्योगी संस्थायें अनुदान, पूंजीगत खर्च और कार्यकारी पूंजी के रूप में आयोग, खादी और ग्रामोद्योग मण्डल तथा बैंकों से प्राप्त निधि पर आश्रितहोती है इनके संचालन साइकल से अपर्याप्त धन का प्रभाव होता है। कुल चालू परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति का हिस्सा लगभग ७० से ८० प्रतिशत होता है। ऋणों की विशाल राशि महीनों तक बकाया रहती है और कुछ मामलों में बकाया रहती है। औसत कार्यकारी पूंजी व्यवसाय से दुगना होता है। सम्पत्ति व्यवसाय बहुत कम होता है । ग्रामोद्योग में यह उत्पाद की गुणवत्ता के मुताबिक २ से ७ गुना होता है । चालू परिसम्पत्तियाँ चालू ऋणों से ५ गुना से अधिक है। अन्ततः

परिणाम कार्यकारी पूंजी की अपर्याप्तता एक कारण है । तथा कभी-कभी यह बहाना भी बन जाता है लेकिन यह व्यापार की असफलता का कारण नहीं है मुश्किल से ही कोई संस्था हमेशा आन्तरिक अधिशेष तैयार करने में सफल होती है । साथ ही उसका अपना अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत कठिन है ।

रुग्णता के कारण आन्तरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी, बाह्य कारणों पर प्रबन्ध का नाम मात्र का या बिल्कुल ही नियन्त्रण नहीं होता । रुग्णता कच्चे माल, बिजली आदि जैसे आवश्यक आदानों की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण निम्न उपयोग क्षमता के कारण भी हो सकती है। इसी प्रकार उत्पादन मूल्य निर्धारण, वितरण, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा उपदानों से सम्बन्धित सरकारी नीति, उत्पादन का व्यवहारिक न होना, कार्यकारी पूंजी नीति का अभाव वित्तीय अभिकरणों द्वारा सहायता का विलम्ब से भुगतान भी रुग्णता के कारण होसकते हैं ।

सामान्यरूप से आन्तरिक कारण प्रबन्ध के नियन्त्रण में होते हैं । खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र की औद्योगिक रुग्णता के अनेकों कारण दिये जा सकते हैं फिर भी प्रबन्ध या उसकी कमी रुग्ण इकाइयों की सबसे बड़े कारण के रूप में आगे आयी है । आम तौर से यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र में ४० से ६० प्रतिशत रुग्णता प्रबन्ध के कारण है क्योंकि अधिकांश व्यापार उपक्रमों में प्रबन्धक सर्वाधिक खर्चीले माध्यम होते हैं और ये कि उनका क्षरण बहुत तेज गति से होता है। अत: सतत् आपूर्ति की जरूरत होती है फिर भी रुग्ण इकाइयों बेहतर प्रबन्ध की आवश्यकता की सुविधा का सामना करती है लेकिन औसत किस्म के प्रबन्ध भी नहीं रह पाती है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की रुग्णता का एक कारण सरकारी नीति भी है । सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा खादी की खरीद में बहुत अधिक कमी हुई है। सरकारी विभागों को बेची जाने वाली खादी कुल बिक्री की केवल ४ से ५ प्रतिशत है ।

खादी की अधिकांश बिक्री छूट पर आधारित है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट की अवधि तथा छूट का प्रतिशत बिक्री बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है । खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादनों पर बिक्री कर के मामले में कोई समान पद्धति नहीं है ।

रुग्णता के कारण-

रुग्णता की स्थिति में आने के पहले इकाई चन्द कठिनाइयों से गुजरती है।

१- वैधानिक देनदारी के भुगतान में असफलता

२- निम्न कारणों से कार्यकारी पूंजी में कमी

अ- कर्जदारों की संख्या

ब- बाजार में साख गिरने के कारण साख देने वालों की कमी

स- ऐसी अनुसन्धानशालाओं का पत्ता काटना जो बड़ी संख्या में मद या गति ही मदों को शामिल कर सकती है ।

३- अल्पावधि में तीव्र विस्तार और अत्याधिक वैविध्यीकरण

४- विभिन्न तरह के विपरण के लिये लगने वाला समय

५- प्रबन्ध में अचानक । मुक्त परिवर्तन चाहे वह पेशेवर हो या अन्यथा और किसी एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों द्वारा वर्चस्व वाला हो ।

६- इकाइयों के संचालन के अलावा अन्य कार्यों के लिये निधियों का उपवर्तन

७- क्षमता की तुलना में निम्न स्तर का उत्पादन

८- कम व्यापार

९- उत्पादन की उच्च लागत

<u>ग्रामोद्योग को अधिक विकसित करने,कर्मचारियों।अधिकारियों को सक्रिय करने एवं</u> कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं -
----

१- कार्यक्रम में गतिशीलता लाने की दृष्टि से मुख्यालय स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है और मुख्यालय स्तर पर योजना अधिकारियों,परिक्षेत्र स्तर पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों एवं जिला स्तर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों के कृत्यों एवं दायित्वों को निर्धारित किया गया है । विभिन्न समस्याओं को समाधान स्थल पर ही करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया ।

२- अभी तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,प्रबन्धक ग्रामोद्योग अपना कार्य केवल ऋण अनुदान वितरित करने तक ही सीमित रखते थे जो उचित नहीं था उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि वे समुचित सर्वेक्षण के उपरान्त उद्यमियों का चयन प्रशिक्षण,कलस्टर के आधार पर इकाइयों की स्थापना,

स्वैच्छिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग, फारवर्ड एण्ड बैकवर्ड लिन्केज अपनाते हुए वांछित समन्वय रखने तथा विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। साथ ही स्थानीय कच्चे माल विशेषकर कृषि उत्पादन पर आधारित कच्चे माल की उपलब्धता पर ग्रामोद्योगों का अभिज्ञापन करें। उद्यमियों के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं

३- क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कोई नार्म्स नहीं थे जिससे उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन हो सके अब नार्म्स निश्चित कर दिये गये हैं जिससे कार्य में सुधार की सम्भावना है। जनपदों के लिये टास्क सेटिंग कर दी गई है जिससे उनके कार्य की सही समीक्षा की जा सकेगी।

४- जनपद एवं क्षेत्रों में कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करने के लिये निरीक्षण रिपोर्ट स्थल पर ही निर्गत करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं और मुख्यालय के लिये एक समन्वित रिपोर्ट जिसमें सभी बिन्दुओं का विवरण उपलब्ध कराने के लिये उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। इकाइयों के व्यवसायिक केन्द्रों एवं जिला कार्यालयों के लिये निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप निर्धारित कर दिये गये हैं।

५- मुख्यालय पर नियुक्त लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को जनपदों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे जनपदों में लेखों का रख-रखाव सही हो गया है तथा अभिकरणों की जांच हो सके। ऋण ग्रहीता से वसूली की कार्यवाही स्थानीय बैंकों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है जिससे ऋण ग्रहीता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। रिकवरी सर्टीफिकेट निर्गत करने का अधिकार जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को दे दिया गया है।

६- समस्त क्षेत्रों में मितव्ययता एवं सही कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये आडिट की प्रक्रिया मजबूत हो गई है। मासिक रिपोर्ट/त्रैमासिक रिपोर्ट संकलन हेतु अलग से सेल का पुनर्गठन किया गया है जिसके द्वारा प्रतिमाह अनुसरणात्मक समीक्षा जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वह उसके अनुसार सुधार कर सकें।

७- व्यवसायिक योजनाओं व विकास योजनाओं की मानीटरिंग करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

८- खादी बोर्ड के कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से निरीक्षण/जांच को प्रभावी बनाने की दृष्टि से शासन से प्रथम चरण में कुछ वाहनों की व्यवस्था कराई गई है।

९- बोर्ड के कर्मचारियों को बैठने एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बोर्ड मुख्यालय पर भवन के विस्तार की कार्यवाही तीव्र गति से कराई जा रही है।

१०- बोर्ड के व्यवसायिक कार्यक्रमों को लाभप्रद बनाने और उनमें गतिशीलता लाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें से प्रमुख कार्य व्यवसायिक इकाइयों के कार्यपालक अधिकारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

११- विभिन्न विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिये समय-समय पर शासन स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया जिसके फलस्वरूप हाथ कागज एवं मधुमक्खी पालन उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी प्रकार वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये वन विभाग तथा पर्वतीय विकास विभाग से विचार विनिमय किया गया और उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

१२- पर्वतीय क्षेत्र में वूल बैंक की योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें व्यक्तिगत कारीगरों को ऊन प्रदान करने की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।

१३- बिक्री केन्द्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विपणन प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। जिला स्तर पर एवं मुख्यालय स्तर पर समितियों का गठन कर दिया गया है और उनके उत्तरदायित्व निश्चित कर दिये गये हैं। बिक्री केन्द्रों में बिक्री अधिक से अधिक हो माल की निरन्तरता बनी रहे इसलिये फण्ड उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इन केन्द्रों को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से बिक्री से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना बनाई गई है।

१४- खादी, हाथ, कागज, तेल, कुम्हारी, मधुमक्खी पालन, चमड़ा, जड़ी बूटी, अनाज दाल फल संरक्षण आदि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिनमें समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों का अधिक लाभान्वित होने की सम्भावना है। अत: इन उद्योगों के अन्तर्गत विशेष रूप से उद्यमियों के चयन, प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन पर अधिक ध्यान देने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

१५- जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्हें दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर द्वारा अभिप्रेरित किया गया। साथ ही साथ विभाग गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत करने तथा उसके फलस्वरूप उनकी दक्षता एवं गतिशीलता बढ़ाने के लिये पुरुस्कार योजना बनाई गई है।

१६- पूर्व में यह अनुभव किया गया कि धन स्वीकृति उपरान्त इकाइयों की स्थापना में बहुत विलम्ब इसलिये होता रहा है कि वांछित मशीनरी, उपकरणों की आपूर्ति समय पर नहीं हुई खादी कमीशन के वर्तमान इन्स्ट्रूमेन्टेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत मशीनरी निर्माताओं का अनुमोदन उनके द्वारा ही किया जाता है। खादी कमीशन से अनुरोध किया गया है कि वे इस पालिसी को विकेन्द्रित करें और विभिन्न परिक्षेत्रों में सक्षम इकाइयों का अभिज्ञापन करने के लिये उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश देदिये गये हैं ।

१७- प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाने के लिये मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई है जिसको उ०प्र०शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस वर्ष ५ स्थानों पर विद्यालय संचालित करने क लक्ष्य निश्चित किया गया है ।

१८- खादी एवं ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिये उचित प्रचार एवं प्रसार की कार्यवाही ग्रामोद्योग पत्रिका व अन्य साधनों से निरन्तर की जा रही है ।

कठिनाइयाँ -

वर्ष १६८०-८१ से वर्ष १६८४-८५ तक खादी कमीशन से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का विश्लेषण करने पर यह परिलक्षित होता है कि वर्ष १६८०-८१ में खादी कमीशन से प्राप्त होने वाली धनराशि रु० ११३.२६ लाख थी जो वर्ष १६८४-८५ में ६४२.१४ लाख हो गई और १६८५-८६ में बोर्ड ने खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त धनराशि में से १००२.६८ लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया ।

जिला स्तर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर योजना अधिकारी का स्तर उद्योग निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों की तुलना में कम रहा है। विभिन्न जनपदों में वित्त पोषित इकाइयों की प्राप्त सूची का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये हैं कि बन्द इकाइयों की संख्या अधिक है जिसका कारण यह है कि इकाइयों की स्थापना पर ध्यान नहीं दिया जा सका। इसका प्रमुख कारण यह है किकार्यभार में तीव्र गति से वृद्धि हुई और स्टाफ में वृद्धि नहीं हुई और स्टाफ का वेतन क्रम भी उद्योग निदेशालय की अपेक्षा कम है। इकाइयों के निरीक्षण एवं क्षेत्र

में सम्पर्क हेतु जिला स्तर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों के पास जीप नहीं है। जब तक बोर्ड के पास समुचित फील्ड स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिये जिला उद्योग केन्द्रों से सामंजस्य रखते हुए उनके स्टाफ की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

निवास स्थानों पर उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है इससे दूर से सामान मंगाने पर होने वाले परिवहन व्यय में भी बचत होती है। निरन्तर विभिन्न तरह की तकनीकी के आयात पर निर्भर रहने के कारण देश के विकास व मानव कौशल के वैविधीकरण में बाधा आई है। यदि हम आयातित प्रौद्योगिकी के जरिये अपने उद्योग को आधुनिक न बनाकर देश के भीतर ही प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने का प्रयास करें तो देश का विकास एवं मानवीय कौशल का वैविधीकरण अवश्य होगा। आयातित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास करने के लिये प्रौद्योगिकी का चयन सम्भव नहीं है क्योंकि आयातित प्रौद्योगिकी अन्य कार्यों को भी प्रभावित करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग रोजगार देकर तथा ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मदद करता है। वास्तविक रूप से इस संगठन का विकास कम से कम १० प्रतिशत की दर से होना चाहिये था। दस प्रतिशत मुद्रा स्फीति के प्रभाव को मानने पर भौतिक रूप से इसकी विकास दर २० से २५ प्रतिशत की श्रेणी में होनी थी। खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र के अन्तर्गत गांव के संसाधनों का एकत्रण और रोजगार सृजन तभी सम्भव है जब विपणन मजबूत हो। ग्रामीण विकास में खादी और ग्रामोद्योगों की प्रमुख भूमिका है और जब तक ग्रामीण विकास के लिये गतिशील कार्यक्रम हाथ में नहीं लेते तब तक देश से गरीबी मिटाना मुश्किल होगा। विकास के तीन महत्वपूर्ण कारकों कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्योग के माध्यम से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की सर्वांगीण प्रगति के लिये व्यापक प्रयास करना होगा क्योंकि इन तीनों कारकों में पारस्परिक और अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। कुटियों में बनाई गई सामग्रियों का प्रायः स्थानीय उपयोग होता है, दूर के बाजारों में नहीं जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि इनका उत्पादन वितरण और उपयोग साथ-साथ होता है।

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण का तर्क गांधी जी का एक मात्र योगदान है और यह सन् २००० में सही साबित होगा। ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत जन समुदाय द्वारा उत्पादन होता है जबकि बड़े कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।

जबकि बड़े कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है बड़े कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन होने के कारण मिल के कारीगर अपना व्यक्तित्व खो देते हैं इसके विपरीत लघु तथा ग्राम मशीनों का उपयोग करने पर कारीगण को अपने व्यक्तित्व और उत्पादन में साझेदारी का भान होता है। प्रो० शुमाखर के कथन के अनुसार सफलता की कुंजी विशाल उत्पादन में नहीं वरन् जन समुदाय द्वारा उत्पादन में है।

ग्रामीण उद्योग उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे मालों तथा कौशल का उपयोग करें। इस प्रकार किसानों तथा कारीगरों के बीच सहजीवी सम्बन्ध का निर्माण होता है इससे स्वावलम्बन की भावना पनपती है क्योंकि दूर दराज के स्थानों पर अत्यधिक निर्भर हुए और अपने कच्चे माल में सूत और रंग का उपयोग होता है। रंग स्थानीय बाजार में आसानी से सुलभ हो जाता है किन्तु सूत की समस्या शत-प्रतिशत बुनकर और व्यापारियों में समान है।

सूत महंगा और अस्थिर मूल्य का रहा है। महंगा सूत क्रय करके यदि माल तैयार होने तक उसका मूल्य कम हो जाता है तो माल को कम मूल्य पर विक्रय करना पड़ता है सूत पर बिक्री कर के छूट " फार्म-३१ " द्वारा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बाजार में सूत सदैव गुणवत्त प्राप्त नहीं होता जिससे माल की गुणवत्ता में अन्तर आ जाता है।

वित्त समस्या -

बुनकरों की यह प्रधान समस्या है क्योंकि अधिकांश बुनकरों की मासिक आय ४०० रु० तक है। धन के अभाव में उन्हें सूत उधार तथा महंगा क्रय करना पड़ता है तथा अधिक मशीनें और उन्नतिशील मशीनों को लाना भी सम्भव नहीं होता।

ऋण समस्या -

लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने ऋण-व्यवस्था प्रारम्भ की है। ऋण के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि अधिकांश बुनकर ७० प्रतिशत और व्यापारी ८० प्रतिशत ऋण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण बुनकरों ने ऋण स्वीकृत कराने की लम्बी और जटिल प्रक्रिया, ऋण प्राप्त के दो माह बाद ही ऋण की वापसी तथा ऋण को एक बोझ मात्र बताया।

अधिकांश व्यापरी कुशल कारीगरों की इस उद्योग में कमी अनुभव कर रहे हैं जिसका मूल कारण अच्छे कारीगरों का खादी के सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी करना, निजी क्षेत्र त्यागना, अधिक वेतन की मांग करना तथा अपने ही घरों में माल तैयार करना है। अधिकांश कारीगर स्वयं माल तैयार करते और बेचते हैं।

उपस्कर और औजार समस्या -

उपस्कर और औजारों से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि खड्डी हण्डलूम एवं पावरलूम मशीनों के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है जिसमें खड्डी सर्वाधिक सस्ती और परम्परागत तकनीक है तथा पावरलूम आधुनिक और महंगा है। आज भी ५४ प्रतिशत बुनकर केवल खड्डी द्वारा माल तैयार करते हैं जबकि किसी भी बुनकर ने पावरलूम अपने घर पर नहीं लाई है। इसका मुख्य कारण उनका निम्न-आर्थिक स्तर है। ६ प्रतिशत बुनकर ऐसे भी हैं जिनके पास कोई मशीन नहीं है। पुणे में २० से २३ अगस्त तक आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगोष्ठी ने छः दलों का गठन किया जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रसार की दृष्टि से सारे खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र को आच्छादित किया गया। दल ने मूल्यवान सुझाव दिये जो निम्न प्रकार हैं।

खादी वस्त्र और रेशा दल ने सूती खादी, पाली वस्त्र, रेशमी खादी तथा ऊनी खादी के लिये अनुसन्धान और विकास के अंग स्वरूप प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया उन्होंने सुझाव दिये कि दल को सातवीं योजना के आगामी चार वर्षों के लिये परियोजनाओं की सिफारिश करनी चाहिये। और यह इच्छा व्यक्त की कि परियोजनाओं का सुझाव देते समय निम्न माप दण्ड को ध्यान में रखा जाये।

१- विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये जिन औजारों की जरूरत है उनका निर्माण देहात में खासतौर से उन क्षेत्रों में हो जहां उनका उपयोग करना है।

२- अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी सरल हो ताकि कारीगर उसे आसानी से समझ सके अर्थात प्रौद्योगिकी समझाते समय कारीगरों की समझ के स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

३- परियोजनायें श्रम सघन होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीव्यता और लागत कारक को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

४- वर्तमान में " हाथ से चलाना " केवल कताई और बुनाई तक सीमित है। गाले प्रशोधन सहित रोविंग तथा उत्तर बुनाई प्रक्रियाओं तक पूर्ण प्रक्रियायें बिजली से की जाती है।

दल ने उद्योगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया तथा निम्न परियोजनाओं की सिफारिश की।

सूती खादी -

१- बेहतर किस्म का सूत प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि शक्ति चलित कंघी करने वाली मशीन बनाये जाये तो महीन कताई में सहायता कर सकती है।

२- चालक के जानलेवा श्रम में कमी करने के लिये यह सुझाव दिया गया कि दो नया माडल चरखों जैसे कोयम्बटूर माडल और राजकोट माडल का और अध्ययन किया जाये तथा इस उद्देश्य की प्राप्तियों के लिये उसमें आवश्यक सुधार का सुझाव दिया जाये। जहाँ सम्भव हो भार में और पूर्जे बदलने में कमी लाने की दृष्टि से प्लास्टिक के पुर्जों की आजमाइश करने का भी सुझाव दिया।

३- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बतलाई गई सीमा जैसे मानव चालक के लिये ७० वाट को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया गया कि यह बात आजमाई जाये कि क्या अधिक तकुवे वाले ऐसे चरखे बनाये जा सकते हैं जिन्हें पैर से चलाया जा सके ताकि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन की क्षमता बढ़े और भार में कमी आये।

४- विभिन्न तरह के वस्त्र का उत्पादन आवश्यक समझा गया और कहा गया कि पट्टी आदि जैसे विशेष किस्म के कपड़े पर भी ध्यान दिया जाये। यह समझा गया कि हाथ कते सूत से बना पट्टी का कपड़ा बेहतर हो सकता है परन्तु यह सोचना होगा कि हाथ कते सूत से बने पट्टी के कपड़े का मूल्य बाजार में उपलब्ध पट्टी के कपड़े के मूल्य के बराबर हो।

५- बहु ट्रेडल और बहु शटल की सहायता से तैयार बनावट की अपेक्षा विभिन्न बनावट की डिजाइन की खोज की जाये और विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाये।

६- विभिन्न तरह के माड़ी लाने के पदार्थों जैसे इमली का चूर्ण, कोबॉक्सिल मेटल, सेल्यूलोज और वाली पिंगल, अल्कोहल पर अध्ययन करना आवश्यक समझा जाये। छोटे बड़े बाने बनाने और सूत की किस्म की विभिन्न पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए माडी लाने के विभिन्न किस्म के पदार्थों का अध्ययन किया जाय एवं मानक माडी लाने का सूत्र विकसित किया जाय।

७- सेक्शनल वार्पिंग, वीविंग और नाटिंग तथा शारीरिक श्रम से संचालित पर्न वाइडिंग उपकरणों पर और प्रयोग करने का सुझाव दिया गया।

८- सूती धागे, ऊनी धागे, पोलिस्टर मिश्रित सूत की बुनाई से सम्बन्धित प्रयोगों पर पुनः प्रयोग का कार्य आरम्भ किया जाये। हर किस्म में लागत कारक को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

९- अर्धस्वचलित करघे (नेपाल करघे) में सुधार करना एवं डी-६१ फुट ट्रेडल लूम जिसे जार्ज हेटरस्न एण्ड संस लि० ने तैयार किया है उसका आयात किया जाये और उस पर अध्ययन किया जाये। अगर कार्य के लिये उपयुक्त पाया गया तो उसे अपनाने का विचार किया जाये।

खादी प्रशोधन -

खादी क्षेत्र में हौज रंगाई की जगह कुछ संशोधनों के साथ रियेक्टिव और सल्फर रंगों का उपयोग किया जाये।

२- सूत को ही रंगने का प्रयास किया जाये तथा क्षेत्र में पाली वस्त्र छीट का रंग देने के लिये रंगे हुए सूत का उपयोग किया जाये।

३- मानकीकृत विरंजन उपचार के लिये सफेदी का मूल्यांकन किया जा सकता है।

४- सूत की हौज रंगाई में सोडियम हाइड्रो सल्फाइट का उपयोग करने के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं।

५- खादी उत्पादनों की तरफ उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने के लिये पाली वस्त्र सहित सभी तरह की खादी के लिये शेड कार्ड तैयार कराना चाहिये।

६- मेटल कम्प्लेक्स रंगों के साथ रेशम रंगाई से सम्बन्धित प्रयोग करना।

७- खादी उद्योग जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, खादी और पाली वस्त्र को बेहतर सजावट देने के लिये रंजिन उपचार करने पर प्रयोग किया जाये

८- रेशम और ऊन में सिकुड़न विरोधी प्रक्रिया अपनाई जाये । छोटी क्षमता वाले उपकरण का विकास किया जाये ताकि उसका उपयोग उत्पादन केन्द्रों में हो सके ।

पाली वस्त्र -

१- कार्य सम्बन्धी और बुनाई गुणों का त्याग किये बिना खादी वस्त्र में पोलीस्टर तत्व को कम करने की सम्भावना का पता लगाने की विद्यमान परियोजना को रखा जाये ।

२- प्रयोग की दृष्टि से पोलिस्टर छीजन का उपयोग कर कम लागत का - पोलिस्टर तैयार करने का प्रयास किया जाये लेकिन छीजन के उपयोग से वस्त्र की किस्म में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिये ।

३- पाली वस्त्र में डिजाइनें प्रचलित करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये ऐसा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों की सहायता से किया जा सकता है ।

ऊनी खादी -

१- गांव स्तर पर अच्छी किस्म का कच्चा माल देने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिनी स्कोरिंग इकाई का विकास किया जाये ताकि उसकी स्थापना उन बाजार उत्पादन इकाइयों के पास के स्थान में की जा सके ।

२- अर्ध-स्वचलित करघे को ऊनी धागे की बुनाई के उपयुक्त बनाया जाये ।

३- ऊनी और आकृतिक रेशों के मिश्रण से कोटिन के उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाये ।

४- कम लम्बे रेशे की ऊनी टाप का उपयोग कर ऊनी धागे की कताई के लिये चार तकुवे वाले ऊनी चर्खे का सार्वभौम माडल प्राप्त करने हेतु कुछ संशोधन किये जाये ।

रेशमी और मखमल खादी -

१- स्थानीय बंगाल कोथी के विशेष सन्दर्भ सार्थ परेतन उपकरणों प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के मानकीकरण की एक परियोजना प्रारम्भ की जाय ।

२- तसर परेतन(बिनावट) के विशेष सन्दर्भ के साथ परेतन उपकरणों और प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिये एक परियोजना प्रारम्भ की जाये ।

३- क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के शहतूती कोयों को सुखाने के लिये निरचर ड्राइंग चेम्बर विकसित करने हेतु प्रयोग किया जाये।

४- पोलिस्टर के साथ रेशम अपशिष्ट के मिश्रण का प्रयास किया जाये ।

५- मूंगा परेतन के लिये उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए असम सरकार के रेशमकीट पालन निदेशालय द्वारा तैयार किये गये तकुवे वाले उपकरणों को अपनाया जाये ।

६- रेशम के अवयव वाले पदार्थों की बट के लिये एक छोटी बट मशीन का विकास किया जाये

रेशा -

१- रेशम के साथ रेमी और अन्नास रेशे के मिश्रण के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाये ।

२- कालीन बनाने के लिये अन्नास के रेशों के उपयोग पर प्रयोग किया जाये ।

३- रेमी,अन्नास,केला आदि जैसे विभिन्न तरह के रेशों के उपयोग पर प्रयोग किया जाय ।

४- विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थान का प्रयोगशालाओं का वेतनमान अपनाया जाये इससे अनुसन्धान कार्य के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वित करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये पदों को भरने में किसी प्रकारकी उलझन नहीं होनी चाहिये ।

बसा और साबुन उद्योग -

ग्रामीण तेल उद्योग और अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग से सम्बन्धित विभागीय और प्रवर्तित परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जाये । कारीगरों की आय बढ़े इस उद्देश्य से प्रौद्योगिकी में और सुधार की जरूरत महसूस होती है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

१- घानी तेल विभिन्न पेराई अभिकरणों से प्राप्त होता है इसलिये प्राप्त

तेल के लिये गुणवत्ता नियन्त्रण अति आवश्यक है। मिलावट के फलस्वरूप खाद्यान्न विषमता के मामले भी देखने को मिले हैं। त्रुटिपूर्ण भण्डारण के कारण खराब हुए तिलहनों के उपयोग का भी तेल की किस्म पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः उपलब्ध भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों को लागू करना आवश्यक है।

२- भण्डारण की अवधि में तथा पेरने के पहले तिलहनों के उपचार से तेल और साथ ही खली की किस्म में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। विभिन्न किस्म के तिलहनों के लिये प्रथक रूप से इस प्रकार का अध्ययन किया जाना चाहिये

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अखाद्य तिलहनों के एकत्रण और उपयोग को बढ़ावा देने में मार्गदर्शी काम कर रहा है। हाल ही में नहाने और कपड़ा धोने का साबुन बनाने पर अधिक जोर दिया गया है जबकि अखाद्य तेलों के एकत्रण पर कम।

भारत सरकार ने अब इस समस्या को पकड़ा है तथा गैर परम्परागत क्षेत्रों में पेड़ों से प्राप्त तिलहनों के एकत्रण और उपयोग पर अब अधिक जोर देती है। आयोग को भी भण्डारीकरण और यातायात, सुखाने तथा पूर्व प्रशोधन की समस्याओं को हल करने के लिये इस दिशा में प्रयास करना चाहिये।

अधिकांश वृक्ष जात तिलहनों का एकत्रण वर्षा ऋतु में होता है इसलिये उपयुक्त सुखाने की तेलों की किस्म आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो। साल, रतनज्योत, रबर नाहोर कुछ ऐसे तिलहन हैं जिनके छिलके एकत्रण स्थान पर ही निकालने की जरूरत होती है ताकि यातायात खर्च से बचा जा सके इसलिये इन तिलहनों में से सभी के लिये उपयुक्त छिलका निस्सारक यंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसे बिना किसी यांत्रिक समस्या के बीज एकत्रण केन्द्रों पर ही आसानी से चलाया जा सके। चूंकि अखाद्य तेल और साबुन उद्योग में विज्ञान और प्रोद्योगिकी आदानों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसलिये प्रक्रिया, उत्पाद सुधार एवं अनुसन्धान के लिये जोरदार प्रयास की आवश्यकता है। योग्य संस्थाओं में इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का यह कार्यक्रम लेने के लिये आमन्त्रित किया जानाचाहिये।

अखाद्य तिलहनों की पिराई के लिये हर प्रकार के तिलहनों हेतु उपयुक्त प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिये अध्ययन करने की आवश्यकता है। आयोग

अखाद्य तिलहनों की पिराई के लिये लघु भेवी एक्सपेलरों को भी मान्यता दे चुका है।

आज तेल पिराई के लिये बैल चलित घानियों और विभिन्न प्रकार की शक्ति चलित घानियों का सापेक्षिक पिराई क्षमता का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये ।

यह भी आवश्यक है कि एक उपयुक्त डिजाइन विकसित की जाये जो क्षेत्र की स्थितियों के अनुकूल न हो तथा उपकरण टिकाऊ हो । विभिन्न तरह के तिलहनों के छिलके उतारने के बारे में सक्षम उपकरण निर्मित करने की त्वरित आवश्यकता है। छिलका उतारने से तेल और खली की किस्म में बहुत सुधाधिक सुधार होता है ।

एक ऐसी निम्न स्तरीय प्रोद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है जो ग्रामीण स्थितियों के अनुकूल हो और खली में बचे तेल की सम्प्राप्ति कर सके । इस उद्देश्य के लिये कुछ मार्गदर्शी योजनाओं को प्रारम्भ किया जाये । खलियों का पशु चारे में उपयोग में लाने की सम्भावनाओं की खोज की जानी चाहिये ।

तेल की किस्म को कुछ कुप्रभावित किये बिना घानी के लकड़ी की पुर्जों के स्थान पर वैकल्पिक वस्तु के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लाने की आवश्यकता है। हर तिलहन के लिये मापदण्ड निर्धारित करने हेतु अध्ययन को आगे जारी रखना आवश्यक है तांकि कारीगर सिफारिश किये गये माप दण्डों को अपना कर तिलहनों से अधिकतम तेल प्राप्त कर सके ।

अखाद्य तेल और साबुन उद्योग -

अखाद्य तिलहनों के महत्व के प्रति जागरूकता होने के कारण इनके एकत्रण का कार्य बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देश में खाद्य तेलों की कमी तथा उनके आयात के लिये विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्ध ने इस प्रयास को और आगे बढ़ाया है । तेल परिष्करण तथा उससे तिक्तता को दूर करने का काम तीन परियोजनाओं में दिया जाता है ।

१- जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान परियोजना ।

२- एन०पी०टी०कालेज,नासिक

३- निमकर अनुसन्धान संस्थान फाल्टन

साबुन उत्पाद - एक आधार साबुन इकाई से तीनमार्गदर्शी साबुन इकाइयों को

जोड़ने की वर्तमान पद्धति अच्छी तरह से काम करती हुई नहीं पाई गई है। अत: संयुक्त नहाने के साबुन की इकाई जिसे पास आधे टन की क्षमता वाली एक लघु आधार इकाई है इस उद्देश्य की परियोजना के लिये आवश्यक है कि वह आधार साबुन बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाये और आर युक्तिसंगत हो तो भाप से ताप देने की प्रक्रिया को हटायें ।

सिरेमिक्स और चूना -

ग्रामीण कुम्हारी उद्योग में जो प्रोद्योगिकी आदायें है वे अपर्याप्त हैं तथा देश में कुम्हारी उद्योग की संख्या को देखते हुए उनके विकास में आयोग का योगदान नगण्य सा है। अत: गृह निर्माण और कृषि एवं उपभोग्य सामानों के क्षेत्र में नयी मदों को इस उद्योग में आगे और प्रचलित करना चाहिये तथा केन्द्रीय शीशा तथा सिरेमिक्स अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्थान व राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों तथा क्षेत्र में कार्यरत प्रोद्योगिक विदों से उदारता पूर्वक प्रोद्योगिकीय सहायता आयोग को लेनी चाहिये । कांचित अथवा अकांचित खादी तथा छाजन की खपरेल एवं दीवाल में जड़ने की लाठियों जैसी भवन निर्माण सामग्रियों को तत्काल ही इस उद्योग में प्रचलित करने की दरूरत है। उसी भांति सिंचाई सह नाली पाइपों के निर्माण को मांग के अनुरूप बढ़ाना है। चूंकि कई लोग फ्रिट और सिरेमिक्स रंग तैयार करते हैं उनकी सुलभता कांचित लाल मिट्टी के बर्तनों के प्रचलन के रास्ते ग्रामीण कुम्हारी के लिये रोग नहीं होना चाहिये ।

हस्तचलित कुम्हारी चाक में उसकी लागत घटाने की दृष्टि से आगे सुधार करना जरूरी है। इसे निम्न लागत पर शक्ति चलित भी किया जा सकता है ।

चूना उद्योग -

आयोग द्वारा अभिकल्पित सुधरी उर्ध्वाकर्ष चूना भट्टियों को अपनाने में सीप से चूना बनाने वाले कारीगर कतराते हैं और चूना पत्थर फूंकने वाले कारीगर आम तौर पर उसे स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं तो उसके कारणों को समझना जरूरी हो जाता है। इसके लिये कुछ चुने हुए केन्द्रों में से कारीगरों से बात चीत करके समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिये ।

लिम्पो - (१) चूना-परियोजना मिश्रण -

लिम्पो निर्माण प्रक्रिया और उपकरणों में सुधार किया जाना चाहिये ताकि बेहतर गुणवत्ता का लिम्पो बनाया जा सके। इसी तरह विविध प्रकार की योजकाना सामग्रियों के कारण विविध कोटि के चूनेकी रेत वहन क्षमता तथा परिवर्तित भण्डारण समय के बारे में अध्ययन करना जरूरी है।

प्रदूषण पर प्रतिबन्ध के कारण चूना इकाइयों द्वारा अब जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके लिये जरूरी है कि कोई उपाय विकसित करके मट्टी से निकलने वाली गैसों के द्वारा सी०ओ० २ इकट्ठा किया जाये।

निर्माण कार्य के लिये चूने की मांग सीमित है लेकिन औद्योगिक कार्यों के लिये रासायनिक कोटि के चूने की मांग बहुत बड़ी है। जिसकी लागत और उसमें लाभ की गुंजाइश उच्च है। इससे फिलहाल निम्न कोटि का चूना बनाने में जो शुद्ध कच्चा माल फेंका जा रहा है उसका संगत उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत चूना सीपी का इस्तेमाल करते हुए रासायनिक कोटि के चूने के निर्माण के लिये प्रारम्भिक तौर पर एक संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

पहले साधारण हस्तचलित उपाय इसके लिये बनाये गये थे लेकिन उससे पूरी सफाई नहीं होती थी और तरीका खतरनाक था। उच्च कोटि का चूना बनाने के लिये अन्य प्रोगारिक जमे तत्वों को हटाने के लिये केवल पानी से सफाई कर पाना असम्भव नहीं हो सकेगा। कोई उपयुक्त रासायनिक उपचार जरूरी है जो शुद्धता को न बिगाड़े। उचित कोटि निर्धारण के लिये उपकरण जरूरी है। उपलब्ध सीपो के भारी संसाधनों के दोहन के लिये एकत्रण का पारम्परिक तरीका अनुकूल नहीं है और इसमें लगे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा भी है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।

शंख एवं सीपरी कलात्मक सामग्रियां पारम्परिक डिजाइनों का प्रयोग करते हुए कारीगर देश के अन्य भागों में इसका उत्पादन करते हैं और ऐसी सामग्रियां सीमित प्रकार की है जिसमें आधुनिक ग्राहक की परवाह नहीं की जाती। इस काम की देश और विदेश के बाजारों में अधिक सम्भावनायें हैं।

आयोग ने कृषिक अवशिष्ट तथा चर्म शोधनालयों, कागज कारखानों , चीनी मिलों आदि से निकलने वाले चूना गारे का इस्तेमाल करते हुए एक जुड़ाई सामग्री तैयार करने के बारे में कुछ प्रयास किये जायें ताकि अनेक कार्यों के लिये उसका उपयोग हो सके। कृषिक और औद्योगिक अवशिष्टों का विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से ऐसी सामग्री बनाने का परीक्षण चालू रखना जरूरी है।

प्रतियोगी दर पर चूंकि कोयला आसानी से नहीं मिलता है । यह आवश्य है कि कृषिक अवशिष्ट, धान की भूसी, खोई लकड़ी धूल का इस्तेमाल करके विकल्प - स्रोतों का दोहन किया जाये ।

उपसंहार -

भारत गावों का देश है। यहां के ८० प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। और ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर करते हैं। अत: यह स्वाभाविक है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किये बिना देश के विकास की बात नहीं सोची जा सकती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि उस देश के आर्थिक विकास के समस्त साधनों का न केवल आंकलन सही ढंग से हो बल्कि उनका प्रयोग भी समुचित ढंग से इस प्रकार किया जाये जिससे उन साधनों की उत्पादकता भी बढ़े और लोगों के लिये रोजगार तथा आय से वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सके।

भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार कृषि व्यवस्था है। दुर्भाग्य-वश बहुत से भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से अधिकांशत: कृषि पर ही निर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था न तो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग कर पा रही है और न ही सभी ग्रामीण लोगों को पर्याप्त रोजगार प्रदान कर पा रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के गैर-कृषि आधार को दृढ़ करना भी बहुत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के गैर-कृषि आधार को सुदृढ़ करने के लिये ग्रामीण औद्योगीकरण की ओर ध्यान जा रहा है। नितान्त स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है जिन पर निर्भर करके ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। परन्तु ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये इन साधनों का प्रयोग करने वाले कुशलता, क्षमता, तकनीक वित्तीय साधन और संगठन का अभाव है। इस कमी को दूर करने में खादी तथा ग्रामोद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

खादी तथा ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत ऐसे लघु तथा कुटीर उद्योगों को अपनाये जाने की नीति है जिनके लिये कच्चा माल गांव में ही उपलब्ध हो सकता है जिनमें बहुत अधिक पूंजी लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनमें कार्य करने के लिये थोड़े से प्रशिक्षण के साथ ही ग्रामीणजनों को तैयार किया जा सकता है इतना ही नहीं इनमें से बहुत से उद्योग अंशकालीन उद्योग के रूप में परिवार के कम अक्रिय सदस्यों तथा गैर-कृषि अवधि में भी अपनाया जा सकता है

खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत एक व्यक्ति को रोजगार देने में से लगभग ५०० रुपये से १००००रुपये तक की लागत आती है। इन उद्योगों के द्वारा न केवल रोजगार और आय की वृद्धि होती है बल्कि परम्परागत कला और कौशल की रक्षा भी होती है ।

ग्रामोद्योग का विकास का ही एक अंग है । और ग्रामोद्योगों को मूल-व्यवसाय के रूप में अथवा कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है । सरकार के द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये करोड़ो रुपये की व्यवस्था की जाती है । सरकार वित्तीय - सहायता के अतिरिक्त प्रशिक्षण कच्चा माल तथा बाजार की व्यवस्था भी इन उद्योगों के विकास के लिये करती है। उनके विकास के लिये सरकारी समितियों का संगठन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार ने ऐसे लगभग २३ उद्योगों को जैसे गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग, अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, अगरबत्ती उद्योग आदि को ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत विकसित करने के लिये सुरक्षित किया है।

सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग १९५३ में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का गठन किया तथा १९५६ में संसद के अधिनियम के जरिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रूप में इसे पुनर्गठन किया । तथा १९५७ में विभिन्न राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों की स्थापना की इस आयोग तथा राज्य बोर्डों का कार्य अपने-अपने क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के सर्वांगीण विकास कार्य करना है । ये संस्थायें खादी तथा ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में निरन्तर सूचनायें एकत्र करती हैं । उनके विकास का मूल्यांकन भी करना तथा उनमें विनियोजन से सम्बन्धित नीति भी निर्धारित करती है और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है तथा अन्य सम्बन्धित कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्य के लिये देश में लगभग ५० प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं । १९८६-८७ तक इनमें लगभग १२२२ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था तथा लगभग १४०० करोड़ रुपये की बिक्री इनके द्वारा की गयी थी ।

झांसी जनपद देश के सबसे बड़े प्रान्त उ०प्र०के दक्षिण में स्थित एक ऐसा महत्वपूर्ण जनपद है जोकि उ०प्र०तथा मध्यप्रदेश की समान सीमा का सहभागी है ।

इसकी कुल जनसंख्या लगभग १२ लाख है। जिसमें से लगभग ७ लाख ग्रामीण जनसंख्या सम्मिलित है। यह जनपद यातायात की दृष्टि से रेल तथा सड़क मार्गों से पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। परन्तु भौगोलिक एवं जलवायु की दृष्टि से इस क्षेत्र की कृषि भी समुन्नत नहीं है। और इसका औद्योगीकरण नाम मात्र के लिये ही हुआ है। पानी तथा बिजली की कमी के कारण जनपद में बड़े उद्योग बहुत अधिक नहीं है और इस प्रकार कुल मिलाकर उसकी ग्रामी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत नहीं है। इस जनपद में प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये जिला स्तर पर जिला खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र स्थित है। तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कार्यरत है। जनपद में उपलब्ध प्राकृतिक कच्चे माल तथा खनिज पदार्थों पर आधारित कई ग्रामोद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावनायें है जिनमें अनाज तथा दाल प्रशोधन, तेल, फल संरक्षण इत्यादि वन आधारित काष्ठकला फर्नीचर, जड़ी-बूटी संग्रह, बांस ताड़ एवं नीरा इत्यादि वन आधारित उद्योग, चर्मशोध, चर्मकला हड्डी, बूरा, ऊनी कम्बल इत्यादि पशु-पालन आधारित उद्योग, चूना, गोरा पत्थर मूर्तिकला एल्युमिनियम के बर्तन इत्यादि खनिज आधारित उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। १९८८-८९ में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत लगभग ४८० इकाइयां कार्यरत हैं। जिनको ५१ लाख रुपये का ऋण तथा लगभग २ लाख रुपये का अनुदान के व्यय की सम्भावना है। जनपद में विभिन्न विकास-खण्डों में वित्तीय सहायता के लिये विकास खण्ड व तमाम ग्रामोद्योगों को निर्धारित कर लिया गया है।

झांसी जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास की जितनी सम्भावनायें हैं उतनी गति से इनका विकास नहीं हुआ है। खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास मूलत: सरकार तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय साधन है। और उस दृष्टि से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता न मिलने के कारण इनके विकास में बाधा पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान दिये जाने वाला भत्ता तथा उसके उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में अथवा स्वरोजगार के लिये सुविधायें प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई भी महत्वपूर्ण है। इन उद्योगों को खुले बाजार में बड़े उद्योगों द्वारा किये गये उत्पादन से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बिक्री कर से जो छूट प्राप्त होती है। वह छोटी इकाइयों की अधिक लागत तथा अकुशलता के कारण समाप्त हो जाती है।

इन कठिनाइयोंको दूर करने के लिये सरकार तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पर्याप्त प्रयास कर रहा है और उत्पादन, तकनीक तथा प्रशिक्षण में ऐसे परिवर्तन लाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। जिससे इसका पर्याप्त विकास हो सके।

-: o :-

- सन्दर्भ-सूची -

(अ) ग्रन्थ -

१- अरोरा, आर०सी०, " इण्डस्ट्री एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट " एस० चान्द, नईदिल्ली-१९७८

२- बिहारी बिपिन, " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन इण्डिया, विकास नईदिल्ली-१९७६

३- जैन, ओ०पी०, " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन, इण्डियाज एक्सपीरियेन्स एण्ड प्रोग्राम आफ डेवलपिंग कन्ट्रीज " स्टर्लिंग नईदिल्ली-१९८३

४- मिश्रा एण सुन्दरम(सं०) " रूरल एरिया डेवलपमेंट परसपेक्टिव्स एण्ड एप्रोचेज " स्टर्लिंग नईदिल्ली १९७९

५- पपोला, टी०एस० " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन, इश्यूज एण्ड एविडेन्सेज " स्टडीज आन डेवलपमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश ,गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ।

६- राव, वी०के०आर०वी, " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन इण्डिया " कन्सेप्ट देहली, १९७८

७- सिाडसन् जे " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना " हार्वर्ड लन्दन, १९७७

८- याव, डेविड " रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज " चेतना नईदिल्ली-१९७८

९- जुवेकर, सी, इकानामिक डेवलपमेंट , इन इन्ट्रोडक्शन मेकमिलन, लन्दन, १९७९

(ब) रिपोर्ट -

१०- भारत सरकार - द्वितीय पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, नईदिल्ली-१९५६

(११) भारत सरकार - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की ग्रामीण उद्योगों के मूल्यांकन योजना की रिपोर्ट, योजना आयोग, दिल्ली, १९६८

(१२) भारत सरकार - ग्राम एवं लघु उद्योग समिति की रिपोर्ट नई दिल्ली, १९५५

(१३) भारत सरकार - ग्रामीण विकास की गहन क्षेत्र योजना खादी - ग्रामोद्योग, आयोग, दिल्ली, १९५८

(१४) संयुक्त निदेशालय, उ०प्र० झांसी बुन्देलखण्ड क्षेत्र औद्योगिक प्रगति एवं उपलब्ध सुविधायें एवं सहायतायें, १९८६-८७

(१५) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर जिला प्रोफाइल, झांसी १९८७-८८, १९८८-८९

(स) पत्र-पत्रिकाएं -

(१६) इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली पुणे, मार्च १९७८ विशेषांक, १९८०

(१७) खादी ग्रामोद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की मुख पत्रिका - अंक सित० १९८४, फरवरी १९८५, फरवरी, १९८६, अक्टूबर १९८६ एवं अक्टूबर १९८८

(१८) दैनिक जागरण, झांसी ५ मार्च, १९८९

-: o :-